नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173205 के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रारम्भिक**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान कार्यकारी अधिकारी (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे रोकड

(i) अध्यक्ष

क्र0सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमति उर्मिला चौधरी	01.04.2021 से 26.04.2022
2	श्री जस्सी चौधरी	18.06.2022 से 13.07.2023
3	श्री तरसेम चौधरी	10.08.2023 से 31.03.2024

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री रणवीर सिंह वर्मा	01.04.2021 से 22.06.2021
2	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	23.06.2021 से 24.01.2022
3	श्री रणवीर सिंह वर्मा	24.01.2022 से 03.04.2023
4	श्री ललित कुमार	04.04.2023 से 31.03.2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:—

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹ लाखों में)
1	वित्तीय स्थिति में पाई गई अनियमितताएँ एवं सम्भावित दुर्विनियोजन।	8.6 से 8.13	2.35
2	प्राप्त अनुदानों का निर्धारित समय अवधि में उपयोग करने में विफलता तथा अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना।	9.2	367.17
3	विविध संसाधनों से बकाया आय की वसूली शेष ।	11.1	126.21
4	बकाया दुकान किराये का अन्तशेष पूर्व किरायेदारों से बकाया दुकान किराया राशि तहबाजारी की कम वसूली की गलत गणना के कारण परिषद् निधि को वित्तीय हानि।	13.5 13.6 13.8 13.12	27.51
5	टैंडर फॉर्म बिक्री के बैंक ड्राफ्ट न तो रोकड़ बही में दर्ज करना और न ही बैंक में जमा न करवाना।	13.14	6.02
6	नकद वापिस चुकता की जा चुकी निर्माण कार्य अर्नैस्ट मनी के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी सावधि निवेशों को न भुनाना।	13.15	8.19
7	श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान।	14.1	1.88
8	नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को आबन्टित आवास के लाईसैंसिंग शुल्क की बकाया वसूली।	14.6	1.06
9	समायोजन हेतु शेष अग्रिम भुगतान।	15.1 व 15.2	219.14
10	अनियमित व्यय।	16.1 से 16.9	26.01
11	एच.पी.–12–एम–3314 स्कॉरपियो गाडी की मुरम्मत का संदिग्ध भुगतान।	16.10	4.13

12	एच.पी.–12–एम–3314 स्कॉरपियो गाड़ी की अवधि 14.07.2020 से 12.04.2023 तक की लॉग बुक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करना तथा इस लॉग बुक की ***तथाकथित चोरी*** बारे।	16.11	—
13	नगर परिषद् बद्दी द्वारा निष्पादित 38 निर्माण कार्यों का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना।	17.1	79.59
14	निष्पादित निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान	17.5 से 17.13	99.82

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर परिषद् द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णीत पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व ही कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांकः 23/01/2024 द्वारा लम्बित पैरों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण से पूर्व नगर परिषद् के 04/1999 से लेकर 31/03/2021 तक के कुल 446 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.)एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा 104 अनुच्छेद निर्णीत किये जाने के पश्चात शेष बचे 342 अनुच्छेदों पर अपेक्षित अनुपालना का सत्यापन करवाया जाना था। ***इनमें से वर्तमान अंकेक्षण में अनुपालना के सत्यापन उपरान्त 224 अनुच्छेद निर्णीत किये गये हैं।*** परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 118 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारुपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद् बद्दी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 21.02.2024 से 20.07.2024 तक, श्री कवीन्द्र कँवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा 30.03.2024 से 04.05.2024 तक, श्री तरूण सैणी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 30.03.2024 से 08.05.2024 तक तथा श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 20.02.2024 से 13.03.2024 तक परिषद कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 09/2021, 12/2022 व 02/2024 तथा व्यय के लिए माह 10/2021, 04/2022 व 09/2023 का चयन किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं। अंकेक्षण के लिये आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त भी अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था।

अस्वीकरण (Disclaimer):

"यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का शुल्क ₹1,46,000/–आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–181 दिनांक: 15/07/2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बद्दी से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से प्रेषित करने का आग्रह किया गया था। नगर परिषद्

द्वारा अंकेक्षण शुल्क का भुगतान आई डी बी आई बैंक बद्दी के मल्टीसिटी चैक संख्या 300123 दिनांक 18.07.2024 द्वारा कर दिया गया था।

4. **वित्तीय विवरणियाँ**

नगर परिषद् अधिनियम–1994 के अन्तर्गत तथा नगर परिषद् के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक है जिन्हें आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांक 23/01/2024 द्वारा अनुरोध करने पर सभी विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इस कारण रोकड़ बही के अतिरिक्त अन्य लेखों का पूर्णतः सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा नहीं किया जा सका। प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	**वित्तीय विवरणी**	**प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई**
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	मात्र वर्ष 2021–22 व 2022–23 का तुलन पत्र ही प्रस्तुत किया गया। ***वर्ष 2023–24 का तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।***
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	सभी विवरणियाँ प्रस्तुत कर दी गई थी।
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	विवरणियाँ प्रस्तुत नही की गई।
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	सभी विवरणियाँ प्रस्तुत कर दी गई थी।
5	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes on Accounts)	टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं किये गये।

5. **दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना**

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-

H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर परिषद् बद्दी के वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये इनका अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. तुलन–पत्र

नगर परिषद् के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर परिषद् द्वारा अपने मात्र वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के लेखों के अनन्तिम तुलन पत्र (Provisional Balance Sheet) **(परिशिष्ट "2")** ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये थे।। ***वर्ष 2023–24 के लेखों का तुलन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।*** इन तुलन पत्रों के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें दर्ज आंकड़े वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई वित्तीय विवरणियों के आँकड़ों से भिन्न थे परन्तु इस भिन्नता का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इस अनियमितता के कारण न केवल तुलन पत्र चार्टर्ड एकाऊँटैंट से बनवाने/प्रमाणित करवाने की प्रक्रिया ही निरर्थक होती है परन्तु इस पर किये गये व्यर्थ व्यय का औचित्य ठहराने की भी आवश्यकता है। आय व्यय के आंकड़ों में पाई गई भिन्नता का विवरण निम्नानुसार है:–

मद	वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23	
	आय (₹)	व्यय (₹)	आय (₹)	व्यय (₹)
वित्तीय विवरणियों के आँकड़े	148586486.00	161461242.24	177443771.92	138684005.00
तुलन पत्र के आँकड़े	102857206.00	151653040.97	134434575.16	129972871.99
अन्तर	**45729280.00**	**9808201.27**	**43009196.76**	**8711133.01**

1. **परिषद् की चल व अचल सम्पत्तियों तथा लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना**:– अन्तिम तुलन पत्रों के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें स्थाई सम्पत्तियों का मूल्य दिनांक 31.03.2023 को मात्र **₹8,84,399.57/–** दर्ज किया गया है। जबकि नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर परिषद् के पास निम्नलिखित चल व अचल सम्पत्तियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है।

(i) **परिशिष्ट "3"** के अनुसार नगर परिषद् के पास दिनांक 31.03.2024 को 35 स्थाई परिसम्पत्तियाँ निहित थीं जिनमें कार्यालय भवन– जिसमें विश्राम गृह, कार्यकारी अधिकारी आवास, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा महिला व्यायामशाला भी स्थित हैं– के अतिरिक्त सुराज माजरा में भवन, परिषद् कर्मचारियों के लिये आवास, रैन बसेरा भवन, सामुदायिक भवन, दुकानें, सामुदायिक शौचालय, पार्क, तथा वाहन पार्किंग आदि अनेक अचल सम्पत्तियों के साथ–साथ स्कॉरपियो जीप व कार्यालय में फर्नीचर, कम्पयूटर लैपटॉप आदि अन्य स्थाई सम्पत्तियाँ भी हैं। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार परिषद् द्वारा अपनी भवन सम्पत्तियों से वित्त वर्ष 2021–22 में ₹14,85,986/–, 2022–23 में ₹17,31,296/– तथा 2023–24 में ₹17,31,351/– की राशि किराये के रूप में वसूल की गई है। परन्तु इन सम्पत्तियों को तुलन पत्र मे नही दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल/अचल सम्पत्तियाँ तुलन–पत्र में दर्शाई जानी अपेक्षित हैं।

(ii) नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध आय सम्बन्धी सूचना, जो कि उप–अनुच्छेद 10.1 में संकलित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु शेष ₹1,26,21,116/– की लेनदारियों के साथ–साथ ₹2,16,,12,004/– के निक्षेप कार्यों हेतु जारी अग्रधन तथा ₹1,02,000/– के फुटकर व्यय के असमायोजित अग्रधन भी शेष हैं। इसके अतिरिक्त बैंक समाधान विवरणों अनुसार ₹34,15,751/– की देनदारियाँ भी विभिन्न विभागों को किये गये भुगतान के न भुनाये गये चैकों के रूप में शेष हैं। परन्तु वर्ष 2023–24 के तुलन पत्र के अभाव में इन पर स्पष्ट टिप्पणी तो सम्भव नहीं है परन्तु वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के आय व्यय के आँकड़ों में पाई गई भिन्नता के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह मदें भी सही स्थिति नहीं दर्शाती हैं। ***उदाहरण के लिये Schedule of Rent***

Income में आय वर्ष 2021—22 में ₹64,19,536/— तथा 2022—23 में ₹85,83,842/— दर्शाई गई है परन्तु वास्तव में यह मात्र ₹14,85,986/— तथा 2022—23 में ₹17,31,296/— है।

2. **अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवाना:—** दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद् द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः नगर परिषद् बद्दी द्वारा चल व अचल सम्पत्तियाँ, लेनदारियाँ, देनदारियाँ, फुटकर व्यय तथा निर्माण निक्षेप कार्य के अग्रधनों आदि को तुलन पत्र (Balance Sheet) में नहीं दर्शाया जाना लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर परिषद् बद्दी का तुलन—पत्र सम्पत्ति एवं देयताओं (Assets and Liablities) की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. **नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021—22, 2022—23 तथा 2023—24 के लेखाओं का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रमाणन**

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट कोड, 2022 के नियम 10.1 तथा 10.5 की अनुपालना में नगर परिषद् बद्दी के वर्ष 2021—22, 2022—23 के लेखों का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023—24 का तुलन पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण लेखों का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया गया। अतः 2023—24 के तुलन पत्र को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Final Accounts of Municipal Council Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh Certificate of the Assistant Controller (Audit),

(i) I have audited the attached Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms, of the Municipal Council Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh for the years 2021-22, 2022-23 & 2023-24 as per the provisions of amendment to the Section 255(1) of Himachal Pradesh Municipal Council Act 1994 on the recommendation of 11th Finance Commission and the Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh office Notification No. 1-376/81-Fin(LA) Vol.-IV dated

16-10-2008. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my audit.

(ii) I have conducted my audit in accordance with the auditing standards and guidelines issued by the Director, Himachal Pradesh State Audit Department. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on the test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

(iii) On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that,

"Except for the matters described in the basis for the qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms give a true and fair view of the state of affair of the Municipal Council Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh for the year 2021-22, 2022-23 and 2023-24".

8. वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांक: 23/01/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक विभिन्न निधियों/रोकड़ बहियों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(8.1) परिषद् की मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "4" पर):–

नगर परिषद् की स्व–स्त्रोतों से आय व्यय की वित्तीय स्थिति

शीर्ष		2021–22	2022–23	2023–24
प्रारम्भिक शेष (₹)	1	146421489.67	168306235.43	188728936.35

स्व–स्त्रोतों से आय (₹)	2	29585511.00	28022784.16	24782375.0
निवेश पर अर्जित ब्याज (₹)	3	7712977.00	7397064.76	9064574.00
वर्ष में कुल आय (₹) (2+3)	4	**37298488.00**	**35419848.92**	**33846949.00**
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+4)	5	**183719977.67**	**203726084.35**	**222575885.35**
वर्ष में कुल व्यय (₹)	6	15413742.24	14997148.00	17853853.00
अन्तशेष (₹) (5–6)	7	**168306235.43**	**188728936.35**	**204722032.35**

नगर परिषद् की अनुदानों से आय व्यय की वित्तीय स्थिति

शीर्ष		2021–22	2022–23	2023–24
प्रारम्भिक शेष (₹)	1	**67450575.00**	**32691073.00**	**51028139.00**
अनुदानों से आय (₹)	2	111287998.00	142023923.00	147883264.00
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+2)	3	**178738573.00**	**174714996.00**	**198911403.00**
वर्ष में कुल व्यय (₹)	4	146047500.00	123686857.00	162194162.00
अन्तशेष (₹) (3–4)	5	**32691073.00**	**51028139.00**	**36717241.00**

नगर परिषद् की कुल संसाधनों (स्व स्त्रोत व अनुदान) से आय व्यय की समेकित वित्तीय स्थिति–

शीर्ष		2021–22	2022–23	2023–24
प्रारम्भिक शेष (₹)	1	**213872064.67**	**200997308.43**	**239757075.35**
समेकित आय (₹)	2	148586486.00	177443771.92	181730213.00
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+2)	3	**362458550.67**	**378441080.35**	**421487288.35**
समेकित व्यय (₹)	4	161461242.24	138684005.00	180048015.00
अन्तशेष (₹) (3–4)	5	**200997308.43**	**239757075.35**	**241439273.35**

(8.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् के पास बैंक बचत खातों तथा हस्तगत राशि के रूप में उपलब्ध मुख्य रोकड़ बही से सम्बन्धित निधि का विवरण

	विवरण	कुल राशि (₹)
परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2024 को बैंक बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "5"** में उपलब्ध):–		
1	जोगिन्द्रा सहकारी बैंक बही 100234001003204	11406876.92
2	ऐक्सिस बैंक बही 366010100170284	12892320.95
3	ऐक्सिस बैंक बही 919010077343361	55622838.00
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बही 50100187626237	57472248.28
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बही 50100291533450	7064729.01
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बही 50100461056200	0.00
7	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बही 50100461056087	4163730.00
8	एच0डी0एफ0सी0 बैंक बही 50100461056768	10206258.00
9	आई सी आई सी आई बैंक बही 049901000353	17550.86
10	आई सी आई सी आई बैंक बही 049901000634	7041298.54
11	आई सी आई सी आई बैंक बही 658901700103	1418945.00
12	आई सी आई सी आई बैंक बही 3658901700447	9384590.00
13	आई डी बी आई बैंक बही 165104000049319	27822797.79
14	आई डी बी आई बैंक बही 165104000211055	11149978.00
15	परवाणू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बही 10510100001129	257736.00
16	ए यू समॉल फाईनेंस बैंक बही 1781236212438712	112206.00
17	इन्डस इन्ड बैंक बही 100065899668	8761437.00
18	यस बैंक बही 3294600000313	0.00
19	यूको बैंक बही 12550110042915	0.00
20	बैंक ऑफ बरोडा बही 30660100023519	10069888.00
21	**बचत खातों का कुल योग**	**234665428.35**
22	**परिशिष्ट "6" के अनुसार परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2024 को सावधि जमा में निवेशित राशि:–**	**9324584.00**
23	**हस्तगत नकद राशि (रसीद संख्या 1760 दिनांक 02.11.2023 = ₹2.00, + रसीद संख्या 1931 दिनांक 23.02.2024 = ₹50.00)**	**52.00**

24	*हस्तगत शेष/ऐसी आय जो बैंक में अवधि 01.10.2022 से 31.03.2023 तक कम जमा करवाई गई है*	*234674*
25	**बचत खातों, सावधि निवेश तथा हस्तगत राशि के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् की कुल निधि:–**	244224736.35

(8.3) **बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "7")**

1	**वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष**		241439273.35
2	**(+) जमा:–** केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर की राशि निर्माण कार्य बिलों के भुगतान के समय रोकड़ बही में व्यय के रूप में दर्ज तो कर दी गई है परन्तु 31.03.2024 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। (विस्तृत विवरणी संलग्न)	67875.00	
3	**(+) जमा:–** राज्य वस्तु एवं सेवाकर की राशि निर्माण कार्य बिलों के भुगतान के समय रोकड बही में व्यय के रूप में दर्ज तो कर दी गई है परन्तु 31.03.2024 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। (विस्तृत विवरणी संलग्न)	67875.00	
4	**(+) जमा:–** स्त्रोत पर आयकर कटौती की राशि निर्माण कार्य बिलों के भुगतान के समय रोकड़ बही में व्यय के रूप में दर्ज तो कर दी गई है परन्तु 31.03.2024 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। (विस्तृत विवरणी संलग्न)	98688.00	
5	**(+) जमा:–** श्रम उपकर की राशि निर्माण कार्य बिलों के भुगतान के समय रोकड़ बही में व्यय के रूप में दर्ज तो कर दी गई है परन्तु 31.03.2024 तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। (विस्तृत विवरणी संलग्न)	70521.00	
6	**(+) जमा:–** नगर परिषद् द्वारा विभिन्न व्यय के विरूद्ध जारी चैक जो 31.03.2024 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। (विस्तृत विवरणी संलग्न)	3110792.00	
7	**उपरोक्त (+) जमा का कुल योग**		3415751.00
8	**उपरोक्त (+) जमा के पश्चात संशोधित अन्तशेष**		244855024.35

9	**(–) घटावः– परिशिष्ट "8"** के अनुसार नगर परिषद् द्वारा विभिन्न मदों में आय को POS मशीन पर क्रैडिट/डैबिट कार्ड स्वाईप करके प्राप्त तो कर लिया परन्तु प्रतिदिन इन प्राप्तियों की बैंक के साथ अपेक्षित सैटलमैन्ट न किये जाने के कारण वास्तव में यह राशि बैंक खाते में अन्तरित नहीं हो पाई थी। अंकेक्षण द्वारा यह त्रुटि पाये जाने पर दिनांक 07.04.2024 को अपेक्षित सैटलमैन्ट की गई थी। इस राशि में से बैंक सैटलमैन्ट के पश्चात ₹5,51,349/– में से ₹859.93/– बैंक चार्ज काटने के बाद ₹5,50,489.07/– खाते में जमा गये तथा शेष ₹58929/– अभी सैटलमैन्ट हेतु शेष थे।	610278.00	
10	**(–) घटावः–** वाउचर संख्या 861 दिनांक 03.01.2024 के लिये ₹207763/– के विरूद्ध जारी चैक संख्या 886436 के लियं बैंक द्वारा ₹207771/– का भुगतान करने के कारण ₹8 का अधिक भुगतान।	8.00	
11	**(–) घटावः–** नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2023–24 में श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी के वेतन से ₹132000/– तथा श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता के वेतन से ₹80000/– कुल ₹212000/– की कटौती स्त्रोत पर आयकर के रूप में की गई थी। जबकि आयकर विभाग को इसका भुगतान आई डी बी आई बैंक खाता संख्या 165104000211055 से दिनांक 01.03.2024 द्वारा करते समय कुल ₹232000/– की राशि अन्तरित की गई थी। इस कारण इस अन्तरण द्वारा वेतन से वास्तविक कटौती की तुलना में आयकर विभाग को ₹20000/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली श्री ललित कुमार तथा श्री राजेश चौधरी से क्रमशः ₹12000/– तथा ₹8000/– की राशि के लिये की जानी है।	20000.00	

12	उपरोक्त (–) घटाव का कुल योग		630286.0
13	उपरोक्त (–) घटाव के पश्चात संशोधित अन्तशेष		244224738.3
14	गत उप–अनुच्छेद के अनुसार परिषद् के पास दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध कुल निधि		244224738.3
15	अन्तर		शून्य

(8.4) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "9" पर)

शीर्ष		2021–22	2022–23	2023–24
प्रारम्भिक शेष (₹)	1	**8707899**	**9907880**	13542541
पैन्शन अंशदान अर्जित ब्याज सहित (₹)	2	1059493	2724585	4555257
ग्रैच्युटी अंशदान अर्जित ब्याज सहित (₹)	3	478432	1250444	1414733
प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (1+2+3)	4	**10245824**	**13882909**	**19512531**
वर्ष में कुल भुगतान (₹)	5	337944	340368	1873894
अन्तशेष (₹) (4–5)	6	**9907880**	**13542541**	**17638637**

(8.5) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी

विवरण	राशि (₹)
जोगिन्द्रा केन्द्रीय स०० बैंक बही बचत खाता संख्या 100236087000001	**17638637**
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2024 का अन्तशेष	**17638637**
अन्तर	शून्य

(8.6) ₹2.35 लाख की राशि को एक वर्ष से अधिक अवधि तक हस्तगत रखकर किया गया सम्भावित अस्थाई दुर्विनियोजन

गत उप–अनुच्छेद 5.2 में दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् के पास बैंक बचत खातों तथा हस्तगत राशि के रूप में उपलब्ध निधि के विवरण के **क्रमांक 24 पर ₹234674/–** की राशि हस्तगत दर्शाई गई है। उक्त राशि के अंकेक्षण में पाया गया कि वास्तव में यह राशि अवधि 01.10.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के छः महीनों में रोकड़ बही के अन्तशेष की तुलना में निरन्तर कम होते बैंक खातों के

ANNUAL REPORT

अन्तशेष का परिणाम है। इससे स्पष्ट है कि इस अवधि में परिषद् को प्राप्त आय रोकड़ बही में तो दर्ज कर दी गई थी परन्तु उसे बैंक खातों में जमा करवाने के स्थान पर हस्तगत दर्शाया गया है। 17 महीने तक इतनी बड़ी राशि को हस्तगत दर्शाया जाना स्पष्टतयः इसका सम्भावित अस्थाई दुर्विनियोजन है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–126 दिनांक 18/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस राशि को प्राथमिकता पर बैंक में जमा करवाने के अतिरिक्त इतनी अधिक राशि को इतने समय तक हस्तगत रखने का तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए और सम्भावित दुर्विनियोजन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुये वसूली करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.7) 17 महीने तक POS मशीन पर डैबिट/क्रैडिट कार्ड स्वाईप से प्राप्त ₹6.10 लाख की आय की बैंक के साथ प्रतिदिन की जाने वाली सैटलमैन्ट न करने के कारण बैंक खातों में इस राशि का अन्तरण न होना

अंकेक्षण मे पाया गया है कि **परिशिष्ट ''8''** पर वर्णित **₹6,10,278/–** की राशि ऐसी आय है जोकि अवधि 28.11.2022 से 07.06.2023 के बीच POS मशीन पर डैबिट/क्रैडिट कार्ड स्वाईप करके जमा हुई थी। ***बैंक के नियमों के अनुसार इस मशीन पर सारे दिन में जो राशि स्वाईप द्वारा प्राप्त की जाती है उसका प्रतिदिन बैंक के साथ सैटलमैन्ट करवाना पड़ता है तभी यह परिषद् के बैंक खाते में अन्तरित हो पाती है।*** इस आय को रोकड़ बही में तो यथानुसार लेखाँकित कर लिया गया था परन्तु नगर परिषद् द्वारा बैंक के साथ प्रतिदिन की जाने वाली सैटलमैन्ट दिनांक 31.03.2024 तक लगभग 17 माह से नहीं किये जाने के कारण यह **₹6,10,278/–** की राशि बैंक खाते मे जमा/अन्तरित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त इस चूक के कारण परिषद् को इस राशि पर अर्जित होने वाले ब्याज की भी हानि हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–131 दिनांकः 21/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी

द्वारा पत्र संख्याः 442 दिनाँक 30.05.2024 द्वारा शीघ्र ही भविष्य में यथासमय सैटलमैन्ट करवाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः तथ्यों सहित इस चूक बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इस राशि की बैंक सैटलमैन्ट प्राथमिकता पर करवा कर तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.8) कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर काटे गये आयकर की तुलना में आयकर विभाग को ₹20000/– का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण मे पाया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर काटे गये आयकर की मद में मार्च 2024 में ₹2,32,000/– का भुगतान आयकर विभाग को किया गया था। इस वाउचर के अंकेक्षण में पाया गया कि इसमें से श्री ललित कुमार, कार्यकारी के नाम से **₹144000/–** तथा श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता के नाम से **₹88000/–** का भुगतान किया गया था जोकि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार इनके वेतन से **क्रमशः ₹132000/– तथा ₹80000/– कुल ₹212000/–** की गई वास्तविक कटौती की तुलना में **₹20000/–** अधिक था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–132 दिनांकः 24/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः 441 दिनाँक 30.05.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस राशि की वसूली यथाशीघ्र करते हुये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम	कर्मचारी का नाम	वर्ष 2023–24 में वेतन भुगतान	वास्तविक कटौती (₹)	विभाग को किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी	माह 04/2023 से 02/2024 (11 माह)	12000×11= 132000	12000×12= 144000	12000
2	श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता	माह 05/2023 से 02/2024 (10 माह)	8000×10= 80000	8000×11= 88000	8000
3	**कुल योगः**		**212000**	**232000**	**20000**

(8.9) चैक रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् के अंकेक्षण मे पाया गया है कि चैक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिकतर वाउचरों में भी भुगतान के विरूद्ध जारी किये गये चैक का कोई सन्दर्भ नही दिया गया है। इस पारदर्शिता के अभाव में अवधि 04/2021 से 03/2024 के बीच किये गये व्यय तथा उसके भुगतान की जाँच मे अनावश्यक बाधा उत्पन्न हुई। अतः इस प्रकरण में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार करते हुये चैक रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(8.10) अनावश्यक रूप से 20 बैंक बचत खातों का संचालन करना

परिशिष्ट "5" मे दिये विवरणानुसार नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2024 को 20 बैंक बचत खातों का संचालन किया जा रहा था। अंकेक्षणावधि के तीन वर्ष मे इन खातों की लेनदेन विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया है कि लगभग 10 खातों मे नाममात्र का ही लेनदेन किया गया था जोकि स्पष्ट करता है कि परिषद् को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से इन खातों के संचालन का स्पष्टतयः कोई औचित्य प्रतीत नही होता है तथा इसके कारण रोकड बही अनुरक्षण तथा बैंक समाधान विवरण तैयार करने में अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–129 दिनांकः 21/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः 443 दिनाँक 30.05.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन बचत खातों को जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.11) निजि क्षेत्र के बैंकों में प्रावधित सीमा से 47.57% अधिक राशि जमा रखना

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय आदेश संख्याः Fin-IF(A)I-68/83-II दिनाँक 29.04.2020 तथा Fin-IF(A)I-68/83-III दिनाँक 06.01.2021 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी करते हुये सभी प्रकार के बैंकों को तीन श्रेणियों मे बांटा है। इसमें प्रथम श्रेणी में सभी सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के बैंक, दूसरी श्रेणी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित (SBI, HDFC and ICICI) तीन बैंक तथा

तीसरी श्रेणी में अन्य सभी निजि क्षेत्र के बैंक आते हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् बदी द्वारा जमा की गई राशियों का श्रेणीवार विवरण निम्न तालिका में तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''10''** पर दिया गया है।

Sr	Bank Category	Balance as on 31-03-2024	% age of funds deposited	Amount of Admissible deposits	Admissible %age of deposits	Amount of excess/ short deposits	% age of excess/ short deposits
1	Total Funds deposited in Nationalized (Category-A) banks	30339022.92	12.43%	146394007.41	60%	(-)116054984.49	(-) 47.57% (Less)
2	**Total Funds invested in Domestic Systematically Important Banks (DSIB) (Category-B) banks**	**97489411.69**	**39.96%**	**63437403.21**	**26%**	**34052008.48**	**13.96% (Excess)**
3	**Total Funds invested in Other Scheduled Commercial (Category- C) Banks**	**116161577.74**	**47.61%**	**34158601.73**	**14%**	**82002976.01**	**33.61% (Excess)**
	Grand Total for funds invested in all category banks	243990012.35		243990012.35			

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), के उपरोक्त वर्णित आदेशों द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है कि किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा यदि बैंक खातों से सरकारी निधियों का संचालन किया जा रहा है तो

1. 60% of the available investible funds may be invested with the Nationalized Banks/Scheduled Commercial Public Sector Banks/ Incorporated in India, Himachal Pradesh Gramin Bank and Himachal Pradesh State Coop Bank (Scheduled). This category will also include two Central Coop Banks namely Kangra Central Coop Bank and Jogindera Central Coop Bank.
2. 26% of the available funds may be invested with other Scheduled Commercial Private Sector Banks incorporated in India, falling under the category of the Domestic Systematically Important Banks (DSIB) as per RBI evaluation released every year on competitive rates. As per the list released by the RBI on March 14, 2019 SBI, HDFC and ICICI are the only three DSIB.
3. 14% of the remaining investible funds may be invested with other Scheduled Commercial Private Sector Banks, other than those described in category "B" above, having minimum long term credit rating of AA evaluated by atleast two established credit rating agencies registered with SEBI (one of the credit rating agency should be from CRISIL/CARE/ICRA). Provided that the exposure limit for one bank in such cases shall not be more than 5% of the total surplus funds under the category.

इन निर्देशों के प्रकाश में तथा उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ***दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के बैंको में अनियमित तरीके प्रावधित सीमा से क्रमशः 13.96% (39.96–26) तथा 33.61% (47.61–14) कुल 47.57% अधिक राशि जमा की गई थी जोकि स्पष्ट करता है कि इन बैंकों को नियमों की जानबूझ कर अवहेलना करके अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया है।*** इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–130 दिनांक 21/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य में बैंको में

राशि जमा करवाते समय सरकार द्वारा प्रावधित सीमाओं का पालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.12) पैन्शन व ग्रैच्युटी अंशदान की ₹0.41 लाख की राशि को सात माह तक कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नाहन के नाम से खोले गये बैंक खाते में अनियमित रूप से जमा करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर पलिका लेखा संहिता, 1975 के अध्याय 14 में प्रावधित नियमों के अनुसार नगर परिषद् बद्दी 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रैच्युटी नियोक्ता अंशदान कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी के नाम से इस निधि के लिये जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह0 बैंक बद्दी में संचालित बचत खाता संख्या 100236087000001 में जमा करवाती है। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया कि माह 07/2021 से 01/2022 तक के सात महीनों में कार्यकारी अधिकारी के पद के विरूद्ध ₹5916/– प्रतिमाह की दर से जो पैन्शन व ग्रैच्युटी नियोक्ता अंशदान की कुल ₹41412/– की कटौती की गई थी उसे ***कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् बद्दी के स्थान पर कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नाहन, जिला सिरमौर, हि. प्र. के नाम से आई डी बी आई बैंक नाहन में संचालित बचत खाता संख्या 1933104000025416 में जमा करवाया गया था।*** यह सरासर अनियमित है तथा इस राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–142 दिनांकः 05/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके उचित बैंक खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.13) नगर परिषद् कर्मचारियों के सन्दर्भ में सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–143 दिनांकः 06/06/2024 के सन्दर्भ मे उपलब्ध करवाई गई सूचना के

अनुसार नगर परिषद् के वर्तमान कर्मचारियों में से कोई भी अंशदायी पैन्शन निधि का अभिदाता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि पैन्शन व ग्रैच्युटि के "नियोक्ता अंशदान" को कार्यकारी अधिकारी के नाम से खोले गये बैंक खाते में जबकि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि में मासिक अभिदान को सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि कार्यकारी अधिकारी के नाम गिरबी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2024 को पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि का शेष **₹1,76,38,637/–** था। इन खातों की अंकेक्षण करने पर इनके अनुरक्षण में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।
2. उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी॰ एफ॰ 7 – 1 से पी॰ एफ॰ 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर परिषद् द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।
4. मासिक अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है जिससे कर्मचारियों को केवल बचत बैंक खाते के ब्याज का ही लाभ मिल रहा है जोकि किसी अन्य सामान्य भविष्य निधि अभिदाता की तुलना में बहुत कम है।

अतः अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने तथा अन्य त्रुटियों के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य हेतु निराकरण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9. अनुदान

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांक: 23/01/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में परिषद को प्राप्त अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(9.1) रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "11" पर)

क्रम	विवरण	2021–22	2022–23	2023–24
1	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**67450575**	**32691073**	**51028139**
2	वर्ष में प्राप्त अनुदान (₹)	111287998	142023923	147883264
3	**प्रारम्भिक शेष सहित कुल योग (₹)**	**178738573**	**174714996**	**198911403**
4	अनुदान से किया गया व्यय (₹)	146047500	123686857	162194162
5	**अन्तशेष (₹)**	**32691073**	**51028139**	**36717241**

(9.2) परिषद् द्वारा प्राप्त अनुदानों की ₹367.17 लाख की राशि का यथासमय उपयोग करने में विफलता

गत उप पैरा (9.1) के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2024 को परिषद द्वारा प्राप्त अनुदानों में से **₹3,67,17,241/–** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। **इस राशि में परिशिष्ट "12" में दिये विवरणानुसार ₹11.76 लाख की राशि वर्ष 2022–23 में तथा ₹356.77 लाख की राशि वर्ष 2023–24 में प्राप्त हुई थी।** इस विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को भी प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–133 दिनांक: 24/05/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: 444 दिनाँक 30.05.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि परिषद अपनी कार्य

प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(9.3) ₹4319.29 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "11"** के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक कुल **₹43,19,28,519/**—का व्यय प्राप्त अनुदानों में से दर्शाया गया है परन्तु इस अवधि में, उक्त **परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम अनुसार**, किसी भी व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को प्रेषित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ–साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

ANNUAL REPORT

(9.4) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध मे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

10. निवेश

(10.1) परिषद् निधियों से निवेश

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांकः 23/01/2024 के सन्दर्भ मे **"परिशिष्ट–6"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को परिषद् निधि से सावधि जमा योजना मे

₹93,24,584/– की राशि दो बैंकों में निवेशित की गई थी। इन निवेशों को परिपक्वता पर यथासमय भुनाया अथवा पुनर्निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10.2) अतिरिक्त परिषद् निधि को सावधि जमा योजना में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण संभावित ब्याज आय की हानि

गत अनुच्छेद 8.1 में दिये गये विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के तीनों वित्त वर्षों के अन्त में नगर परिषद् द्वारा स्व–संसाधानों से जुटाई गई एक बड़ी राशि बचत खातों में जमा रखी गई थी। दिनांक 31.3.2024 को भी परिषद् द्वारा **₹20,47,22,032/–** के स्व संसाधनों के अन्तशेष में से मात्र **₹93,24,584/–** की राशि ही निवेशत की गई थी, जबकि शेष राशि बचत खातों में ही जमा थी।

इसी प्रकार पैन्शन निधि में उपलब्ध **₹1,76,38,637/–** की राशि भी मात्र बचत बैंक खाते में ही जमा थी तथा इसमें से कोई भी निधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेशित नहीं की गई थी।

यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी, परन्तु परिषद् द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा इस राशि को केवल बैंक बचत खातों में जमा रखा गया था। परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली संभावित अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में परिषद् की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर शेष उपलब्ध राशि को अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करने का प्रयत्न किया जाये ताकि परिषद को यह अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–141 दिनांकः 05/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य हेतु यथोचित राशि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

11. **नगर परिषद् के वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ**

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांक: 23/01/2024 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रतियों के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(11.1) वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24
आय			
स्व–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	53880000	47018000	48518000
स्व–स्त्रोतों से वास्तविक आय	37298488	35419849	33549961
अन्तर	**16581512 (30.77% कमी)**	**11598151 (24.67% कमी)**	**14968039 (30.85% कमी)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	124700000	141300000	164500000
अनुदानों से वास्तविक आय	111287998	142023923	147883264
अन्तर	**13412002 (10.76% कमी)**	**723923 (0.51% अधिक्य)**	**16616736 (10.10% कमी)**
व्यय			
कुल प्रस्तावित व्यय	199260000	197860000	213630000
कुल वास्तविक व्यय	161461242	138684005	179015776
अन्तर	**37798758 (18.97% कमी)**	**59175995 (29.91% कमी)**	**34614224 (16.20% कमी)**

(11.2) बजट अनुमोदन

नगर परिषद् के वर्ष 2022–23 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(C)(1)-4/2001-I-31434-25 दिनाँक 24.09.2022 द्वारा किया गया है। जबकि वर्ष 2021–22 व 2023–24 के अनुमोदन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये तथा मात्र बजट आंकड़ों का प्रिन्ट ही प्रस्तुत किया गया है।

(11.3) बजट प्रक्कलन साढ़े छः माह के विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) में प्रावधित है कि नगर परिषद् का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर परिषद् का सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो कार्यकारी अधिकारी सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2022–23 के बजट को जिलाधीश सोलन के कार्यालय पत्र संख्या: Acctts. (LFA)1-1/03 Part-X-408 दिनांक 06.09.2022 द्वारा प्रेषित किये जाने पर निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा 24.09.2022 को अनुमोदित किया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य दो वर्षों में भी यह अनुमोदन कई महीने के विलम्ब से ही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता, निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के छः महीने पश्चात बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(11.4) अव्यावहारिक बजट लक्ष्यों का निर्धारण करना

गत उप–अनुच्छेद (8.1) में वर्णित प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आँकड़ों के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि यदि बजट अनुमानों व वास्तविक आय की तुलना की जाए तो जहाँ स्व–स्त्रोतों से आय में प्रतिवर्ष क्रमशः **30.77%, 10.76% तथा 18.97% की कमी** है वहीं अनुदान आय में भी वर्ष 2022–23 के अपवाद को छोड़कर अन्य वर्षों में **कमी** पाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से भी नगर परिषद् बहुत दूर है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि

1. परिषद् द्वारा या तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये; अथवा

2. प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये; अथवा

3. अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर परिषद् बद्दी द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक उपहास की तरह लिया जाता है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2018-19	117637907	114541229
2019-20	255612584	129832893
2020-21	188679471	133243429

13. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

नगर परिषद् बद्दी द्वारा अवधि 04/2021 से 03/2024 तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

(13.1) विविध संसाधानों से ₹126.21 लाख की आय वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग-शिमला/2024/-24 दिनांक 23/01/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2024 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों **₹1,26,21,116/-** की आय वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "13 से 15"** पर उपलब्ध है।

क्रम	आय की मद	परिशिष्ट संख्या	दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	रख रखाव प्रभार (Maintenance Charges)	परिशिष्ट "13"	5617114
2	सम्पत्ति कर	परिशिष्ट "13"	2138302
3	IDSMT Project के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का किराया	परिशिष्ट "14"	1197080

4	टीनपोश दुकानों का किराया	परिशिष्ट "14"	1929300
5	लैन्टरपोश दुकानों का किराया	परिशिष्ट "14"	960100
6	जनता स्वीटस बसन्ती बाग की दुकानों का किराया	परिशिष्ट "14"	441720
7	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क	परिशिष्ट "15"	337500
	कुल योग:		**12621116**

(13.2) 23 वर्षों तक लम्बित रख–रखाव प्रभार व सम्पति कर की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

नगर परिषद् बद्दी द्वारा वर्ष 2016–17 तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस 1, 2 व 3 में रहने वाले नगरवासियों से गृहकर के स्थान पर रख–रखाव प्रभार की वसूली की जाती थी। दिनाँक 01.04.2017 से इन्हीं नगरवासियों पर रख–रखाव प्रभार के स्थान पर गृह/सम्पत्ति कर अधिरोपित किया गया था। गत उप–अनुच्छेद में दिये विवरणानुसार दिनांक 31.03.2024 को रखरखाव प्रभार की **₹56,17,114/–** की राशि 654 बकाएदारों से तथा सम्पत्ति कर की **₹21,38,302/–** की राशि 160 बकाएदारों से 1 से लेकर 23 वर्षों की अवधि के लिये वसूली हेतु शेष थी। इस कॉलोनी में कुल 893 घर है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा करों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–147 दिनांक: 12/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन बकायेदारों से इस राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.3) सभी नगरवासियों पर गृहकर का अधिरोपण न करना

नगर परिषद् बद्दी द्वारा वर्ष 2016–17 तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस 1, 2 व 3 में रहने वाले नगरवासियों से गृहकर के स्थान पर रख–रखाव प्रभार की वसूली की जाती थी। दिनाँक 01.04.2017 से इसके स्थान पर इन्हीं गृहस्वामियों से गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली आरम्भ की गई थी।

दिनाँक 24.01.2018 से नगर परिषद् द्वारा मकानों के नक्शों का ऑनलाईन अनुमोदन आरम्भ किया था, जिसकी अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 14.06.2024 तक 1362 नक्शे अनुमोदित किये गये थे। इसके अतिरिक्त नगर परिषद् द्वारा ऑफलाईन भी नक्शों का अनुमोदन किया जा रहा है। इस सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में निर्माण प्रक्रिया कई वर्षों पूर्व बन्द हो जाने के कारण लगभग सभी अनुमोदित नक्शे इन कॉलोनियों से बाहर के हैं।

परन्तु नगर परिषद् द्वारा इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों से बाहर निर्मित मकानों पर न तो सम्पतिकर अधिरोपित किया है और न ही वसूली हेतु अंकेक्षणावधि में कोई नोटिस जारी किया गया था। नगर परिषद् द्वारा आय के इस प्रमुख तथा महत्वपूर्ण संसाधन का दोहन न करना आश्चर्यजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–147 दिनांकः 12/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः सम्पत्तिकर का अधिरोपण करके वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर कार्रवाई करते हुये सम्पत्तिकर की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.4) 1 से 7 वर्षों तक लम्बित दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

परिशिष्ट "14" पर उपलब्ध करवाई गई दुकानों के बकाया किराये की विवरणी के अवलोकन प पाया गया कि यह बकाया किराया एक से लेकर सात वर्षों तक चुकता नहीं किया गया था। इस बकाया क अवधि का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	आय की मद	कुल सम्पत्तियाँ	सम्पत्तियाँ जिन पर किराया बाकी है	अधिकतम अवधि जिसके लिये किराया चुकता नहीं किया गया है	न्यूनतम अवधि जिसके लिये किराया चुकता नहीं किया गया है
1	IDSMT Complex की दुकानों का किराया	22	8	92 माह / 7 वर्ष (क्रमांक 8)	9 माह
2	टीनपोश दुकानों का किराया	26	19	70 माह / 6 वर्ष (क्रमांक 15)	6 माह
3	लैन्टरपोश दुकानों का किराया	13	8	59 माह / 5 वर्ष (क्रमांक 1)	7 माह
3	जनता स्वीटस बसन्ती बाग की दुकानों का किराया	3	3	70 माह / 6 वर्ष (क्रमांक 1)	20 माह
	कुल योग:	**64**	**38**		

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि **कुल 64 सम्पत्तियों में से लगभग 26 (41%) से ही समयानुसार वसूली हो रही है तथा शेष 38 (59%) किरायेदारों ने वर्षों से किराया चुकता नहीं किया है।** यदि मासिक किराया दर का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट होता है कि यह सम्पत्तियाँ वर्तमान बाजार भाव की तुलना में नाममात्र मासिक किराये पर आबन्टित की गई हैं और यह बहुत खेदजनक

है कि इतना कम किराया होने के उपरान्त भी इन किरायेदारों द्वारा इतने वर्षों से किराये का भुगतान नही किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरायेदार बकाया किराये का भुगतान करने के इच्छुक ही नही है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–146 दिनांकः 11/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.5) बकाया दुकान किराये का अन्तशेष की गलत गणना के कारण परिषद् निधि को ₹8.81 लाख की वित्तीय हानि

दुकान किराया अभिलेख की अंकेक्षण में पाया गया नगर परिषद् द्वारा किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण मात्र कम्पयूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सैल शीट में ही किया गया है तथा किसी प्रकार का भौतिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस शीट के उपलब्ध करवाऐ गये प्रिंट की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों में दुकानों के बकाया किराये का अन्तशेष वास्तविक की तुलना में कम दर्ज किया गया था। इस कारण नगर परिषद् निधि को दिनाँक 31.03.2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹881280/–** की वित्तीय हानि हुई है।

दुकान संख्या	दुकान की पहचान	किरायेदार का नाम	दुकान किराये पर लिये जाने की दिनांक	मासिक किराया (₹)	31.03.2024 को वास्तविक अन्तशेष (₹)	मांग व प्राप्ति रजिस्टर अनुसार अन्तशेष (₹)	अन्तर (₹)
2	टीनपोश दुकान	दिलबाग सिंह	01.06.2018	2800	17900	12000	5900

4	टीनपोश दुकान	गुरमीत सिंह	01.06.2018	2800	98200	84400	13800
5	टीनपोश दुकान	जसपाल सिंह	01.06.2018	2800	120000	72800	47200
7	टीनपोश दुकान	लक्की	01.05.2021	4000	98000	80000	18000
10	टीनपोश दुकान	राजेन्द्र केशव	—	4200	100300	92400	7900
11	टीनपोश दुकान	हेम सिंह	01.06.2018	2800	146000	78800	67200
12	टीनपोश दुकान	आशीश गम्भीर	01.06.2018	3000	195200	133200	62000
15	टीनपोश दुकान	ललन कुमार सिंह	01.06.2018	2800	162400	95200	67200
18	टीनपोश दुकान	महेन्द्र सिंह	01.05.2021	3000	81000	45000	36000
19	टीनपोश दुकान	संजीव कुमार	01.08.2019	2700	136200	71400	64800
20	टीनपोश दुकान	अशोक कुमार	01.08.2019	2750	49500	41500	8000
21	टीनपोश दुकान	हरीश कुमार	01.06.2018	2800	196000	128800	67200
24	टीनपोश दुकान	सोनिया	01.05.2021	3000	69000	33000	36000
25	टीनपोश दुकान	मोहम्मद रफीक	01.05.2021	3000	76000	33000	43000
1	लैन्टरपोश दुकान	रूची रानी	01.06.2018	4200	249000	148200	100800
2	लैन्टरपोश दुकान	सौरव कुमार	01.06.2018	3630	126280	119020	7260

5	लैन्टरपोश दुकान	नरेन्द्र कुमार	01.06.2018	3630	190080	87120	102960
1	जनता स्वीट बसन्ती बाग	हरप्रीत सिंह	—	4200	294000	193200	100800
3	जनता स्वीट बसन्ती बाग	श्याम कान्त	01.06.2021	3630	75260	50000	25260
		कुल योग			**2480320**	**1599040**	**881280**

इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर लेखों में सुधार हेतु कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.6) पूर्व किरायेदारों से दिनाँक 31.03.2021 को बकाया दुकान किराया की ₹10.18 लाख की राशि को 01.04.2021 से मांग व प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करना–

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2019 से 03/2021 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद 11(क) के परिशिष्ट "ज" मे दर्शाई गई निम्न तालिका मे वर्णित पूर्व दुकादारो से दिनाँक 31.03.2021 को **₹10,17,860/–** की बकाया किराया की राशि वर्णित है। ***परन्तु इस राशि को मांग व प्राप्ति रजिस्टर में दिनाँक 01.04.2021 को अग्रेषित नहीं किया गया था जोकि स्पष्टतः इस राशि की वसूली/अधिकार का त्याग करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद् द्वारा इस मांग का त्याग इन दुकानदारों को सर्वदा अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है*** क्योकि यदि ऐसी मंशा न होती तो परिषद् द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप

नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करके इस राशि वसूली सुनिश्चित करवाई जाती न कि इस बकाया को मांग व प्राप्ति रजिस्टर से हटाया जाता। इस कार्रवाई के कारण परिषद् निधि को **₹10,17,860/–** की हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/ 2024/–101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया था जाकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर लेखों में सुधार हेतु कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

दुकान संख्या	दुकान की पहचान	किराएदार का नाम व विवरण	बकाया किराया राशि (₹)	विवरण
1	IDSMT Complex	Sh.Shiv Kumar	112350	राजमार्ग के विस्तार हेतु दुकान ध्वस्त की गई।
11	IDSMT Complex	Sh. Rejender	218130	दुकान को वर्तमान में भण्डार गृह बनाया गया है।
12	IDSMT Complex	Sh. Jarnail Singh	374700	दुकान वर्तमान में भण्डार गृह बनाया गया है।
14	IDSMT Complex	Sh. Salim	161200	——
20	IDSMT Complex	Smt. Anuradha	151480	दुकान वर्तमान में पुस्तकालय बनाई गई है।
	कुल		**1017860**	

(13.7) वर्ष के दौरान वसूल दुकान किराए की राशि को मांग व प्राप्ति रजिस्टर में वास्तविक की तुलना में ₹6200/– की राशि से अधिक दर्ज करने के कारण किरायेदारों को अनुचित लाभ पंहुचाना

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के दुकान किराया मांग व संग्रहण रजिस्टर की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों में वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को मांग व

प्राप्ति रजिस्टर में वास्तविक की तुलना में अधिक दर्ज करके किरायेदारों को **₹6200/—** का अनुचित लाभ पहुचाया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/ 2024/–101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर लेखों में सुधार हेतु कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

दुकान संख्या	दुकान की पहचान	किराएदार का नाम व विवरण	मासिक किराया दर	दर्ज प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति	अंतर (₹)
2	Teenpose Shop	Dilbag singh S/o Gujjar singh R/o Ward No. 7 Nalagarh District Solan (HP) @ 2800/- w.e.f. 01.06.2018	2800	30200	27100	3100
13	Teenpose Shop	Meenu Chandel D/o Dilbagh singh R/o w.No.7 Nalagarh District Solan (HP) @ 2800/- w.e.f. 01.06.2018	2800	30200	27100	3100
		कुल योगः–				**6200**

(13.8) दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर में वार्षिक किराया माँग कम दर्ज करने के कारण ₹1.63 लाख की हानि।

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के दुकान किराया मांग व संग्रहण रजिस्टर की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों मे वार्षिक किराया माँग वास्तविक मांग की तुलना में **₹1,62,920/—** की राशि से कम दर्ज की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–75 दिनांकः 12/03/2024 तथा 101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर लेखों में सुधार हेतु कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

दुकान संख्या	दुकान की पहचान	किराएदार का नाम व विवरण	किराए की मासिक दर	वास्तविक वार्षिक मांग	दर्ज की गई मांग	अंतर (₹)
		वर्ष 2022–23				
1	Teenpose Shop	Dilbar Khan S/o Kaka Khan R/o Ward No. 2 Baddi District Solan (HP) @ 3100/- w.e.f. 01.06.2021	3100	37200	36600	600
3	Teenpose Shop	Sanjay Kumar S/o Gainda Ram R/o W.No.3 Baddi Teh Baddi District Solan (HP) @5500/- w.e.f. 01.05.2021	5500	66000	60500	5500
24	Teenpose Shop	Sonia W/o Mohammad Rafiq R/o Maidangarh Pirthipur Distt. Una @ 3000/- 01.05.2021	3000	36000	33000	3000
25	Teenpose Shop	Momd. Rafiq R/o Maidangarh Pirthipur Distt. Una @3000/- w.e.f. 01.05.2021	3000	36000	33000	3000
2	JANTA SWEET BASANTI BAGH	Raj Kumar S/o Gurmeet Singh R/o Billanwali Gujran W.No.9 Baddi @ 3630/- w.e.f. 01.06.2021	3630	43560	42900	660
23	Teenpose Shop	Nitish Kumar S/o Mohan Lal @ 3000/- PM w.e.f. 01.05.2021	3000	36000	0	36000
26	Teenpose Shop	Rahul s/o Salim Akhtar	3000	36000	0	36000

		वर्ष 2023–24				
3	Teenpose Shop	Sanjay Kumar S/o Gainda Ram R/o W.No.3 Baddi Teh Baddi District Solan (HP) @5500/- w.e.f. 01.05.2021	5500	66000	60500	5500
2	JANTA SWEET BASANTI BAGH	Raj Kumar S/o Gurmeet Singh R/o Billanwali Gujran W.No.9 Baddi @ 3630/- w.e.f. 01.06.2021	3630	43560	42900	660
23	Teenpose Shop	Nitish Kumar S/o Mohan Lal @ 3000/- PM w.e.f. 01.05.2021	3000	36000	0	36000
26	Teenpose Shop	Rahul s/o Salim Akhtar	3000	36000	0	36000
		कुल योग				**162920**

(13.9) दुकानों के किराये में अनुबन्ध की शर्त अनुसार 3 वर्षों के पश्चात बढ़ौतरी न करने के कारण नगर परिषद् को ₹0.26 लाख की हानि

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 तक के दुकान किराया आय के अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका में दर्ज विवरणानुसार नगर परिषद् द्वारा दुकान किरायेदारों से किये गये अनुबन्ध की शर्तों तथा आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–एफ–6–1/85 दिनांक 21.12.2001 द्वारा अधिसूचित अधिनियम नियम 5 (क) के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष उपरान्त दुकान किराए में 10% की अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई थी। इस चूक के कारण नगर परिषद् को दिनाँक 31.03.2024 तक कुल **₹26,161/–**की हानि हुई पाई गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/ 2024/–101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प.

बद्दी/2024-592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर चूक सुधार हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये भविष्य में यथासमय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना तथा किराया बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	दुकान सं०/ पता	किराएदार का नाम	अनुबन्ध की तिथि	किराया वृद्धि की अपेक्षित तिथि	प्राप्त दुकान किराया (18% जी॰ एस॰ टी॰ अतिरिक्त) (₹)	वृद्धि उपरान्त अपेक्षित दुकान किराया (18% जी॰ एस॰ टी॰ अतिरिक्त) (₹)	अन्तर (₹)	अवधि जिसके लिये वृद्धि नहीं की गई (माह)	कम वसूल राशि (₹)
1	13 (टीन छत)	श्रीमति मीनू चन्देल	25.05.2018	01.06.2021	2800	3080	280	34	11234
2	14 (टीन छत)	श्रीमति अमिता शर्मा	04.07.2019	01.07.2022	4100	4510	410	9	4354
3	17 (टीन छत)	श्री चमन लाल	07.07.2018	01.07.2021	2800	3080	280	32	10573
								कुल	26161

(13.10) परिषद् द्वारा खाली दुकानों का आबन्टन न करने के कारण ₹6.25 लाख की सम्भावित आय से वंचित रहना

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के दुकान किराया अभिलेख की नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि निम्न वर्णित दुकानों को नगर परिषद् द्वारा यथासमय आबन्टित नहीं किया गया था। यदि इन दुकानों के आस पास परिषद् की अन्य दुकानों के न्यूनतम मासिक किराये को आधार माना जाये तो इनकी खाली अवधि के लिये निम्न विवरणानुसार **₹6,25,000/–** की सम्भावित आय से वंचित रहना पड़ा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/ 2024/–101 दिनांक: 19/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या

ANNUAL REPORT

न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः परिषद् निधि को हो रही इस निरन्तर हानि से बचने के लिये यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

दुकान संख्या	दुकान की पहचान	दुकान खाली रहने की अवधि	दुकान खाली रहने की अवधि (माह में)	आस–पास की दुकानों के किराये के आधार पर अपेक्षित मासिक किराया (₹)	अपेक्षित राजस्व हानि (₹)
9	Teenpose Shop	04/21 to 03/23	36	2500	90000
7	LINTEL POSH	04/21 to 03/24	36	2500	90000
8	LINTEL POSH	04/21 to 03/25	36	2500	90000
9	LINTEL POSH	04/21 to 03/26	36	2500	90000
10	LINTEL POSH	04/21 to 09/22	17	2500	42500
11	LINTEL POSH	04/21 to 09/23	17	2500	42500
12	LINTEL POSH	04/21 to 03/23	36	2500	90000
13	LINTEL POSH	04/21 to 03/24	36	2500	90000
	कुल योग				625000

(13.11) राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के कारण ध्वस्त दुकान के मुआवजा अभिलेख बारे

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद् बद्दी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि IDSMT Complex की दुकान संख्या 1 राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के कारण ध्वस्त करके इसकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस अधिग्रहण के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजे का विवरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–101 दिनांकः 19/03/2024 द्वारा माँगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मौखिक रूप से यह अवश्य बताया गया कि इस भूमि से सम्बन्धित अभिलेख मुआवजे हेतु उपमण्डल अधिकारी (ना॰) नालागढ़ को प्रस्तुत कर दिया गया है परन्तु अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस मुआवजे की वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.12) तहबाजारी की ₹6.89 लाख की कम वसूली करना

अंकेक्षण में तहबाजारी की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा तहबाजारी की वसूली का कार्य टैंडर द्वारा वार्षिक ठेके पर अवधि 01.04.2021 से 31.10.2022 तक मै. विक्रान्ता एन्टरप्राईज तथा अवधि 01.01.2023 से 31.03.2024 तक श्री यश पाल पुत्र श्री चमेल सिंह को दिया गया था। दिनाँक 01.11.2022 से 31.12.2022 के बीच की अवधि अनुबन्धित न होने के कारण तहबाजारी की वसूली नगर परिषद् द्वारा अपने स्तर की गई थी। श्री यश पाल के साथ दिनांक 01.01.2023 से किए अनुबन्ध के अनुसार उस समय नगर परिषद क्षेत्र में 450 से अधिक मान्यताप्राप्त/पंजीकृत रेहड़ी फड़ी लगाने वाले बिक्रेता थे। इनसे उक्त 61 दिन की अवधि के लिये ₹30/– प्रतिदिन की प्रावधित दर से न्यूनतम **₹8,23,500/–** (450X30X61) की राशि तहबाजारी के रूप में वसूली जानी अपेक्षित थी। परन्तु इसमें से परिषद् द्वारा अपने स्तर पर निम्न तालिका अनुसार मात्र **₹1,34,160/–** की राशि ही वसूल की गई थी। इस कम वसूली के कारण नगर परिषद् निधि को **₹6,89,340/–** (823500–134160) की हानि हुई है।

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	रसीद संख्या	विवरण	राशि (₹)
17.12.22	34	1316	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	2481
19.12.22	34	1322	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	1593
21.12.22	35	1324	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	1707
22.12.22	35	1328	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	699
23.12.22	35	1329	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	738
26.12.22	36	1331	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	2412
27.12.22	36	1335	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	756
29.12.22	37	1339	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	1650
30.12.22	37	1341	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	609
02.01.23	39	1342	नगर परिषद कर्मचारियों से प्राप्ति	741
			कुल योग	**13416**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–75 दिनांक: 12/03/2024 तथा 102 दिनांक 20.04.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने

को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.13) वसूली उपरान्त ₹5820/– की तहबाजारी की राशि को परिषद् निधि में कम जमा करवाकर किया गया दुर्विनियोजन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के तहबाजारी की वसूली अभिलेख की नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि सामान्यतः नगर परिषद् द्वारा नगर में व्यापार करने वाले रेहड़ी व फड़ी वाले छोटे व्यापारियों से तहबाजारी की वसूली का कार्य टैंडर द्वारा वार्षिक ठेके पर दिया जाता है। परन्तु अपरिहार्य तकनीकी कारणों से अवधि 01.11.2022 से 31.12.2022 तक यह वसूली परिषद् कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर की गई थी जिसके अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न तालिका में संक्षिप्त रूप में संकलित प्रकरणों में रसीद द्वारा वसूली उपरान्त तहबाजारी की **₹5820/–** की राशि को परिषद् निधि में जमा नही अथवा कम जमा करवाया गया है जोकि इस राशि के स्पष्ट दुर्विनियोजन को दर्शाता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–75 दिनांकः 12/03/2024 तथा 102 दिनांक 20.04.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम	जारी की गई तहबाजारी रसीदों का क्रमाँक	जारी की गई कुल तहबाजारी रसीदें	रसीदों द्वारा वास्तव में वसूल की गई कुल राशि (₹)
1	801 से 893	93	3180
2	020 से 154	135	4320
3	001 से 019	19	750

4	1201 से 1253	53	1590
5	201 से 400	200	10950
6	155 से 200	45	1380
7	1801 से 1911	111	3330
8	894 से 974	81	2430
9	1912 से 2000	89	2670
10	2775	1	30
	वास्तविक वसूली का कुल योग		30630
	जी–8 संख्या 1316 दिनांक 17.12.22 द्वारा निधि में जमा राशि		24810
	निधि में कम जमा राशि		5820

(13.14) टैंडर फॉर्म बिक्री की ₹8.02 लाख की बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त आय को न तो रोकड़ बही में दर्ज करना और न ही बैंक में जमा न करवाना

नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया है कि अवधि 01.02.2019 से 23.02.2024 तक **परिशिष्ट "16"** में दिये गये विवरणानुसार टैंडर फॉर्म बिक्री की **₹8,02,100/–** की जो आय इच्छुक बोलीदाताओं से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गई थी उसके लिये न तो कोई रसीद काटी गई है और न ही इसे रोकड़ बही में दर्ज करके बैंक में जमा करवाया गया। **प्रशासकीय प्रबन्धन तथा कर्तव्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही इस सीमा तक दर्शाई गई है कि यह बैंक ड्राफ्ट परिषद् द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत विभिन्न नस्तियों तथा टैंडरों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख के साथ संलग्न पाये गये हैं।** इसमें से वर्ष 2023–24 में प्राप्त टैंडर बिक्री के ड्राफ्टों को एक बार बैंक में भेजा तो गया था परन्तु तीन महीने की अवधि के बाद अमान्य होने हो जाने के कारण खाते में जमा नही हो पाये। ***संलग्न विवरणी में मात्र वही प्रकरण दर्ज हैं जो उन नस्तियों में उपलब्ध थे जोकि अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इस बात की पूरी–पूरी सम्भावना है कि इसी प्रकार के और बैंक ड्राफ्ट भी परिषद् अभिलेख में पड़े हो सकते हैं जिन्हें ढूँढकर आय का लेखांकन किया जाना***

ANNUAL REPORT

अपेक्षित है। आय के सम्पूर्ण लेखांकन के प्रति इस प्रकार की कर्तव्यहीनता अवश्य ही वृहद् जाँच का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–155 दिनांकः 27/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस मामले की परिषद् द्वारा अपने स्तर पर सम्पूर्ण जाँच करके इस प्रकार की समस्त आय का लेखांकन करने के साथ–साथ दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुये उनसे इस राशि पर हुई ब्याज हानि की वसूली भी की जाये। तदानुसार अंकेक्षण को भी अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

(13.15) नकद वापिस चुकता की जा चुकी निर्माण कार्य अर्नैस्ट मनी के ₹8.79 लाख के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरबी सावधि निवेशों को न भुनाना

नगर परिषद् द्वारा वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया है कि विभिन्न **टैंडरों के साथ प्राप्त अर्नैस्ट मनी की ₹8,78,900/– की बैंक सावधि जमा रसीदें (Fixed Deposit Receipts) परिशिष्ट "17" में दिये गये विवरणानुसार टैंडर फॉर्म बिक्री तथा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अन्य नस्तियों में संलग्न पाई गई हैं।** दिनांक 29.01.2019 से 01.10.2022 तक की अवधि में निवेशित यह बैंक सावधि जमा रसीदें कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरबी है। ***नगर परिषद् के निर्माण कार्य बिलों के भुगतान हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली की पड़ताल में पाया गया है कि परिषद् द्वारा प्रथम चलत भुगतान करते समय ही अर्नैस्ट मनी की राशि प्रतिभूति में समायोजित करने के स्थान पर कुल बिल राशि में अलग से जोड़ कर संविदाकारों को वापिस चुकता कर दिया जाता है।*** यही प्रक्रिया इन मामलों में भी अपनाई गई है क्योंकि यदि सम्बन्धित संविदाकारों को यह अर्नैस्ट मनी वापिस चुकता न की गई होती तो उन्होंने अपने गिरबी सावधि निवेशों को छुड़ाकर वापिस ले लिया होता। नियमानुसार अर्नैस्ट मनी को वापिस चुकता करने पर यह सावधि निवेश परिषद् की सम्पत्ति है जिसे रोकड़ बही में लेखांकित करके यथासमय भुनाया जाना अपेक्षित था। ***संलग्न विवरणी में मात्र वही प्रकरण दर्ज हैं जो उन नस्तियों में उपलब्ध थे जोकि अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इस बात की पूरी–पूरी सम्भावना है कि इसी प्रकार की और बैंक सावधि जमा रसीदें भी परिषद् अभिलेख में पड़ी हो***

ANNUAL REPORT

सकती हैं जिन्हें ढूंढकर रोकड़ बही में लेखाँकित किया जाये। आय के सम्पूर्ण लेखांकन के प्रति इस प्रकार की कर्तव्यहीनता अवश्य ही वृहद् जाँच का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–156 दिनांकः 27/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस मामले की परिषद् द्वारा अपने स्तर पर सम्पूर्ण जाँच करके इस प्रकार की समस्त आय का लेखाँकन करने के साथ–साथ दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुये उनसे इस राशि पर हुई ब्याज हानि की वसूली भी की जाये। तदानुसार अंकेक्षण को भी अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

(13.16) विवाह पंजीकरण की ₹4000/– की राशि की वसूली न करना

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2024 के विवाह पंजीकरण अभिलेख की नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों में सरकार द्वारा निर्धारित दर से विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹4000/– की राशि की वसूली नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–75 दिनांकः 12/03/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	पंजीकरण रजिस्टर पृष्ठ संख्या	पंजीकरण क्रमाँक	विवाह तिथि	पति का नाम	पत्नी का नाम	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	39	483	25.04.2021	मुकेश कुमार	पायल	400
2	39	484	08.07.2019	शुभम कौशल	रक्षा देवी	400
3	41	490	25.04.2021	चमन	हरप्रीत	400
4	41	492	07.05.2021	यशपाल	गुरदीप कौर	400
5	41	493	20.06.2021	परमजीत	ज्योती	400
6	42	494	21.05.2021	रोहित	सरूची	400
7	46	508	07.10.2021	विकास	नेहा	400

8	47	510	11.12.2021	हितेश	शिवानी	400
9	51	523	01.12.2021	जनकराज	सोनी कश्यप	400
10	51	525	12.12.2021	तरसेम	रीना देवी	400
				कुल योग		**4000**

14. स्थापना **(Establishment)**

(14.1) श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹1.88 लाख का अधिक भुगतान

श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की अंकेक्षण में पाया गया है कि दिनॉक 01.01.2016 से उन्हें वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारित किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक द्वारा 2.25 के गुणक (फैक्टर) के साथ वेतन संशोधन का विकल्प चुना था।

2. चूंकि उन्हे दिनॉक 01.10.2012 से हुये वेतन पुनरसंशोधन 2012 के आधार पर पे–बैण्ड ₹5910–20200 + 2000 ग्रेडपे (सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना के लाभ के साथ) के स्थान पर उच्च पे–बैण्ड ₹10300–34800 + 3200 ग्रेडपे का लाभ दिया गया है। इस कारण चुने गये विकल्प 2.25 के गुणक के साथ, दिनॉक 31.12.2015, को उनके वास्तविक वेतन ₹14760/– के आधार पर उनका अपेक्षित वेतन संशोधन तथा नगर परिषद् द्वारा अनियमित निर्धारित किये गये वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0स0	विवरण	अपेक्षित संशोधित वेतन (₹)	विवरण	वास्तव में निर्धारित किया गया वेतन (₹)
1	दिनॉक 31.12.2015	14760	दिनॉक 31.12.2015	14760
2	गुणक के लिये चुने गये विकल्प 2.25 के साथ दिनॉक 01.01.2016 का वेतन	33210	गुणक के लिये चुने गये विकल्प 2.25 के साथ दिनॉक 01.01.2016 का वेतन	33210

3	₹2000 (सुनिश्चित प्रगतिशील आजीविका योजना के लाभ के साथ) ग्रेड पे के आधार पर वेतन संशोधन नियम 2022 के पे–मैट्रिक्स में लेवल 5 में ₹33210/– के बराबर अथवा इससे अगली राशि के लिये वेतन निर्धारित करते हुये सैल 17 के अनुसार संशोधित वेतन	34200	वेतन पुनर्संशोधन 2012 के अनुसार ₹3200 ग्रेड पे के आधार पर वेतन संशोधन नियम 2022 के पे–मैट्रिक्स में लेवल 9 में सैल 1 पर न्यूनतम ₹35600/– के लिये अनियमित संशोधित वेतन	35600
4	दिनांक 01.04.2018 को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न पश्चात वेतन संशोधन नियम 2022 के पे–मैट्रिक्स में लेवल 7 में ₹36300/– के बराबर अथवा इससे अगली राशि के लिये वेतन निर्धारित करते हुये सैल 9 के अनुसार संशोधित वेतन	36600	दिनांक 01.04.2018 को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न पश्चात वेतन संशोधन नियम 2022 के पे–मैट्रिक्स में लेवल 10 में सैल 1 पर न्यूमनतम ₹38100/– के लिये किया गया अनियमित वेतन निर्धारण	38100

3. उपरोक्त गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनोंक 01.01.2016 से श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में निम्न अन्तर पाया गया है।

क्र0सं0	विवरण	दिनाँक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वेतन संशोधन	01.01.2016	लेवल 9 सैल 1, ₹35600	लेवल 5 सैल 17, ₹34200
2	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2016	लेवल 9 सैल 2, ₹36700	लेवल 5 सैल 18, ₹35200
3	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2017	लेवल 9 सैल 3, ₹37800	लेवल 5 सैल 19, ₹36300
	कनिष्ठ सहायक पद पर स्थानापन्न	01.04.2018	लेवल 10 सैल 1, ₹38100	लेवल 7 सैल 9, ₹3660[illegible]

4	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2018	लेवल 10 सैल 2, ₹39200	लेवल 7 सैल 10, ₹37700
5	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2019	लेवल 10 सैल 3, ₹40400	लेवल 7 सैल 11, ₹38800
6	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2020	लेवल 10 सैल 4, ₹41600	लेवल 7 सैल 12, ₹40000
7	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2021	लेवल 10 सैल 5, ₹42800	लेवल 7 सैल 13, ₹41200
8	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2022	लेवल 10 सैल 6, ₹44100	लेवल 7 सैल 14, ₹42400
9	वार्षिक वेतनवृद्धि	01.10.2023	लेवल 10 सैल 7, ₹45400	लेवल 7 सैल 15, ₹43700

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण श्री प्रदीप को नगर परिषद् द्वारा इस अनियमित वेतन संशोधन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2021 तक गणना किये गये ₹46866/– के कुल बकाया वेतन का सम्पूर्ण भुगतान एक ही बार में वाउचर संख्या 653 दिनाँक 05.09.2023 द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 01.01.2022 से अधिक वेतन भुगतान किये जाने के कारण दिनाँक 01.01.2016 से 31.03.2024 तक श्री प्रदीप कुमार, कनिष्ठ सहायक को **परिशिष्ट "18"** में दिये विस्तृत विवरणानुसार कुल **₹1,88,283/**– का अनियमित व अधिक भुगतान वेतन व भत्तों के रूप में किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–94 दिनांकः 04/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.2) श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी तथा श्रीमति योगिता बाली, लिपिक को वेतन संशोधन नियम, 2022 के लाभ के बकाया वेतन की गलत गणना बारे

नगर परिषद् द्वारा वेतन संशोधन नियम, 2022 के लाभ को जारी करने पर दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2021 तक के बकाया वेतन की प्रथम किश्त का भुगतान वाउचर संख्या 653 दिनांक 05.09.2023 द्वारा अपने कर्मचारियों को किया गया था। इस वाउचर की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी तथा श्रीमति योगिता बाली, लिपिक के बकाया वेतन की गणना निम्न विवरणानुसार गलत की गई है।

क्रम	अधिकारी / कर्मचारी	गणना किया गया बकाया वेतन (₹)	वास्तविक बकाया वेतन (₹)	कम / अधिक गणना राशि (₹)	टिप्पणी
1	श्री ललित कुमार, कार्यकारी अधिकारी	610219	625429	15210 (कम)	अवधि 01.07.2021 से 31.12.2021 तक महँगाई भत्ते की दर 31% के स्थान पर 28% लेकर कम गणना की गई है।
2	श्रीमति योगिता बाली, लिपिक	142008	85154	56854 (अधिक)	बकाया वेतन में माह 01 / 2022 के लिये ₹56854 /– की बकाया राशि को भी गणना में शामिल करके अधिक गणना की गई जबकि वेतन संशोधन का बकाया वेतन 31.12.2021 तक ही देय है और नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2022 से संशोधित वेतन का भुगतान नकद किया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला / 2024 / –154 दिनांक 24 / 06 / 2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न.प. बद्दी / 2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही

आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। चूंकि कुल बकाया वेतन मे से इन दोनो कर्मचारियों को अभी तक मात्र ₹50,000/– की एक किश्त ही जारी की गई है अतः प्राथमिकता के आधार इस अनियमितता में सुधार करते हुये शेष बकाया का भुगतान यथानुसार सही गणना के लिये करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(14.3) श्री हरि कृष्ण डोगरा, सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक को अनियमित पैन्शन संशोधन का लाभ देकर ₹0.78/– लाख का अधिक भुगतान

पैन्शन भुगतान के अभिलेख तथा वाउचरों की अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा श्री हरि कृष्ण डोगरा, सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक को दिनाँक 01.06.2023 से पैन्शन संशोधन नियम 2022 का लाभ अनियमित रूप से जारी कर दिया गया जबकि शहरी विकास विभाग द्वारा इस पैन्शन संशोधन नियम, 2022 को स्थानीय नगर निकाय कर्मचारियों को प्रदान करने के सम्बन्ध में वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। इसी कारण से जो कर्मचारी दिनाँक 01.01.2022 के पश्चात भी सेवानिवृत हो रहे हैं उनका वेतन संशोधन तो नये नियमों के अनुसार किया जा चुका है परन्तु पैन्शन निर्धारण वेतन संशोधन नियम, 2009 के आधार पर नोशनल वेतन से किया जा रहा है। इस अनियमितता के कारण श्री डोगरा को दिनाँक 31.05.2024 तक **परिशिष्ट "19"** में दिये विवरणानुसार कुल **₹78264/–** का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–152 दिनांक 21/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.4) 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रावधित नियमों के अनुसार सभी पैन्शन व पारिवारिक पैन्शन भोगियों को 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से देय पैन्शन भत्ते

का लाभ जारी किया जाता है। नगर परिषद् बद्दी में श्री हरि कृष्ण डोगरा, सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक ही एकमात्र पैन्शनभोगी हैं जिनकी जन्मतिथि 25.06.1956 है। इस प्रकार उन्होंने 25.06.2021 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। उक्त नियमों के अनुसार उन्हें दिनांक 01.07.2021 से 5% की मासिक दर से पैन्शन भत्ते का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–152 दिनांक: 21/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.5) पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि नियोक्ता अंशदान में ₹14.75 लाख की राशि अधिक अन्तरित करना।

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPALITY EMPLOYEES (PENSION, GRATUITY AND GENERAL PROVIDENT FUND) RULES, 2000 के नियम 3(3) के अनुसार नगर पालिका द्वारा अपने सृजित कर्मचारी पदो के विरूद्ध उनके वेतनमान के अधिकतम स्तर के आधार पर क्रमशः की 12% व 5% की दर से पैन्शन व ग्रैच्युटि की राशि हर महीने निधि के बैंक खाते में अन्तरित करना आवश्यक है। इस निधि का उपयोग सेवानिवृित कर्मचारियों की मासिक पैन्शन तथा अन्य सेवानिवृति लाभों का भुगतान करने में किया जाता है। इस अन्तरण से सम्बन्धित वाउचरों की अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करने के पश्चात **परिशिष्ट "20"** में दिये विवरणानुसार अवधि 01.01.2022 से 29.02.2024 तक 26 महीनों में पैन्शन अंशदान गणना हेतु कनिष्ठ अभियन्ता, सफाई पर्यवेक्षक व लिपिक के पदो के वेतनमान की अधिकतम की राशि वास्तविक की तुलना में अधिक लेकर कुल **₹8,26,488/–** की राशि अधिक अन्तरित की गई है।

इसी प्रकार ग्रैच्यूटि निधि में भी उपरोक्त तीन पदो के साथ–साथ सामुदायिक समन्वयक के पद को मिलाकर चार पदों के विरूद्ध **परिशिष्ट "20"** में ही दिये विवरणानुसार इन 26 महीनों में ग्रैच्यूटि अंशदान में कुल **₹5,93,970/–** की राशि अधिक अन्तरित की गई है।

उपरोक्त विवरणानुसार इन दोनो निधियों में कुल **₹14,20,458/–** अधिक अन्तरित किये गये थे। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–97 दिनांक 09/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न.प. बद्दी/2024–400 दिनॉंक 29.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में अपेक्षित अनुपालना करके यह राशि दिनांक 29.04.2024 को परिषद् निधि में अन्तरित कर दी गई शीघ्र है जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया था। भविष्य में इस प्रकार की चूक के दोहराव से बचा जाये।

(14.6) नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को आबन्टित आवास के लाईसैंसिंग शुल्क की ₹1.06 लाख की बकाया वसूली बारे

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: GAD-D-7(G)1-12/81-IV दिनॉंक 01.01.2021 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण वर्तमान तैनाती से बाहर होता है तो **"सरकारी आवास को प्रतिधारण करने की अनुमत अवधि 2 महीने अथवा 10 दिन यदि नये तैनाती स्थान पर सरकारी अवास का कब्जा प्राप्त कर लिया है, में से जो भी पहले हो, होगी। अन्यथा पूर्व अनुमति के साथ "हि. प्र. सरकारी आवास आबन्टन (सामान्य पूल) नियम, 1994" के संशोधन नियम 10 दिनॉंक 11.03.2010 के अनुसार कर्मचारी से लाईसैंसिंग शुल्क वसूल किया जायेगा"**। वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये गये आवास में कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण होने के उपरान्त अनियमित रूप से ठहराव करने पर भी नियमानुसार पूर्ण लाईसैंसिंग शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–111 दिनांक 22/04/2024 द्वारा परिषद् कर्मचारियों को आवास आबन्टन सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर में **परिशिष्ट "21"** पर प्रस्तुत सूचना के अवलोकन पर पाया

गया कि दिनांक 31.03.2024 को निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को आबन्टित आवास के विरूद्ध लाईसैंसिंग शुल्क की **₹1,05,687/–** राशि की कम वसूली की गई थी।

Sr.	Name of Employee	Accomodation type	Date of transfer/ relieving	Date of vacating the residence	Due date of vacating the residence	Extended stay in the residence	Licensing fee rate for extended stay	Net Recovery (₹)
1	Sh. Ranbeer Singh Verma, Executive Officer	III	03-04-2023	01-09-2023	13-04-2023	4 Months & 17 Days	=4656 (4 times of ₹388 per month for 3 months) +3104 ((8 times of ₹388 per month for 1 month) +1759 for 17 days.	9519
2	Sh. Rakesh Kant, Jr. Engineer	III	27-01-2022	01-07-2022	27-03-2022	15 months & 4 days	=4656 (4 times of ₹388 per month for 3 months) +9312 (8 times of ₹388 per month for 3 month) +81000 (@ ₹9000 per month for 9 months) + ₹1200 for 4 days.	96168
							Total	105687

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–150 दिनांकः 15/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15. अग्रिमः

(15.1) नगर परिषद् कर्मचारियों के नाम से जारी ₹1.02 लाख के अग्रिम 8 वर्षों से समायोजन हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांकः 23/01/2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–''22''** पर उपलब्ध

करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को **₹1,02,000/–** के अग्रधन समायोजन/वसूली हेतु शेष थे। इसमें से श्री राम कर्ण, लिपिक (वर्तमान में नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन में कार्यरत) के नाम से **₹52,000/–** के 4 अग्रिम तथा श्री शरीफ मोहम्मद, कनिष्ठ अभियन्ता (वर्तमान में नगर परिषद् मैहतपुर, जिला ऊना मे कार्यरत) के नाम से **₹50,000/–** के 3 अग्रिम दिनाँक 19.05.2012 से 21.05.2014 के बीच विविध फुटकर व्यय के भुगतान हेतु जारी किये गये थे। इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय उनसे इन अग्रधनों का न तो समायोजन करवाया गया और न ही इस राशि की वसूली की गई थी। तत्पश्चात अंकेक्षण द्वारा अपने प्रत्येक प्रतिवेदन में इन अग्रिम राशियों बारे आपत्ति दर्ज किये जाने पर भी नगर परिषद् द्वारा अनुपालना हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अतः उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–168 दिनांकः 02/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः एक बार पुनः यह अनियमितता उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और प्राथमिकता के आधार पर इस विषय मे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करते हुये इस राशि की वसूली के लिये प्रशासनिक अथवा वैधानिक कदम (Legal Action) उठाये जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(15.2) निर्माण कार्यों को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करवाने हेतु जारी ₹216.12 लाख के अग्रिम समायोजन हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांकः 23/01/2024 के सन्दर्भ मे **परिशिष्ट–"23"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को निर्माण कार्यों को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करवाने हेतु जारी अग्रधनों की राशि **₹2,16,12,004/–** थी। प्रस्तुत सूचना के अनुसार इन अग्रधनों के व्यय के सम्बन्ध कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनाँक 31.03.2024 तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः यह उपयोगिता

NUAL
PORT

प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित कार्य निष्पादन संस्थाओं से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(16.1) दुकानों से किराये की मांग पर ₹11.71 लाख जी0एस0टी0 की वसूली न करना

वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अधिनियम, 2017 की धारा–9 में प्रावधानों के अनुसार दुकान किराया प्राप्ति पर नियमानुसार 18% जी0एस0टी0 कटौती उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। नगर परिषद द्वारा दुकानों से प्राप्त किराये से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2021 से 03/2024 में निम्न तालिका अनुसार किराये की मांग राशि **₹65,06,564/–** पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर **₹11,71,181/–** की माँग व वसूली नहीं की गई थी जोकि वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त राशि की वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–113 दिनांक: 23/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–377 दिनाँक 25.04.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। वस्तु व सेवाकर की वसूली न करने तथा उस राशि सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में सम्बन्धित विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ***जैसा कि टैलीकॉम टावरों से वसूल राशि पर भी नगर परिषद द्वारा दिनांक 04.03.2024 को ₹964688/– के कुल भुगतान में ₹487344/– की दण्ड राशि का भुगतान करके किया जा चुका है।*** ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व परिषद् का न होकर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत होगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर वस्तु व सेवाकर की वसूली करके इसे सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	वर्ष के दौरान दुकान किराए की कुल माँग (₹)	18% की दर से जी0एस0टी की अपेक्षित वसूली (₹)
2021–22	2160880	388958
2022–23	2154788	387862
2023–24	2190896	394361
कुल	**6506564**	**1171181**

(16.2) नगर परिषद् बद्दी द्वारा अनावश्यक रूप से जी0एस0टी (वस्तु और सेवाकर) के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड शुल्क का अधिरोपण करवाकर ₹4.87 लाख के दण्ड शुल्क का भुगतान करना

अवधि 04/21 से 04/24 तक के लेखाओ के अंकेक्षण में पाया गया दिनाँक 04.03.2024 को **₹9,64,688/– (477344+477344+10000)** का भुगतान बैंक RTGS द्वारा उपायुक्त वस्तु और सेवाकर मण्डल बद्दी को किया गया था। यह भुगतान उपायुक्त के कार्यालय पत्र संख्या IV(16)Tech./SCN/MC/85/Baddi/18/1484 दिनांक 30.12.2019 **(परिशिष्ट "24")** के उत्तर में किया गया है। इस पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि यह भुगतान नगर परिषद् द्वारा अवधि 04/2013 से 03/2017 के बीच टैलीकॉम कम्पनियों को उपलब्ध करवाई गई सेवाओं व स्थाई सम्पत्तियों से अर्जित किराया/शुल्क की ₹33,20,153/– की आय पर **अपेक्षित सेवाकर ₹4,77,344/–** की मूल राशि का समय पर भुगतान न करने के लिये इस पर अलग–अलग धाराओं में अधिरोपित **दो दण्ड शुल्क राशियों ₹10,000/– तथा ₹4,77,344/–** के लिये किया गया था। इस भुगतान में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ वांछित हैः–

1. उपरोक्त वर्णित दिनांक 30.12.2019 के पत्र के अनुसार यह सेवाकर, ब्याज तथा दण्ड शुल्क परिषद् द्वारा उपायुक्त वस्तु और सेवाकर मण्डल बद्दी के कार्यालय पत्र सं0 C.No.V(19)Prev/Misc/Baddi/02/2017/3229 दिनांक 23.10.2018 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर कोई ध्यान/उत्तर न देने के फलस्वरूप वसूल किया गया है।

2. इस नोटिस के अनुसार परिषद् द्वारा अवधि 04/2013 से 03/2017 के बीच टैलीकॉम कम्पनियों को उपलब्ध करवाई गई सेवाओं व स्थाई सम्पत्तियों से अर्जित किराया/शुल्क से ₹33,20,153/– की आय अर्जित की गई थी। इस आय पर नियमानुसार ₹477344/– सेवा कर (पत्र का पैरा 8) की राशि वस्तु और सेवाकर विभाग के पास जमा करवाई जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई।

3. पैरा 12 के अनुसार उक्त कारण बताओ नोटिस द्वारा नगर परिषद से निम्न वर्णित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था–

 1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 सहपठित धारा 174(2)(ई) के तहत सीमा की विस्तारित अवधि (Limitation Period) को लागू करके उनसे ₹4,77,344/– रुपये की सेवा कर की मांग व वसूली की जानी चाहिए अथवा नहीं?

 2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 क धारा 75 सहपठित धारा 174(2)(ई) अनुसार उनसे ऊपर मांगी गई सेवा कर राशि पर ब्याज की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए?

 3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70, 77 और 78 सहपठित धारा 174(2)(ई) के अनुसार नगर परिषद् पर दंड शुल्क क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?

4. पैरा 15 के अनुसार इस नोटिस का नगर परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो कोई लिखित उत्तर दिया गया और न ही दिनांक 05.09.2019, 25.09.2019 तथा 20.11.2019 को ***निर्धारित कार्रवाई (Hearing) में नगर परिषद् के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी की वाँछित व अपेक्षित व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की गई थी।***

5. ***उपायुक्त वस्तु और सेवाकर मण्डल बदी के समक्ष कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बदी द्वारा दर्शाये गये इस अनावश्यक दम्भ के परिणामस्वरूप Ex-Parte कार्रवाई अमल में लाते हुये दिनांक 30/12/2019 को उक्त पत्र के पैरा 25 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।***

1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 सहपठित धारा 74, 142(8)(ए) व 174(2)(ई) के तहत सीमा की विस्तारित अवधि (Limitation Period) को लागू करके नगर परिषद से ₹4,77,344/– रुपये की सेवा कर की मांग व वसूली की जाए।

2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 सहपठित धारा 142(8)(ए) व 174(2)(ई) अनुसार नगर परिषद से मांगी गई सेवा कर राशि पर ब्याज की वसूली की जाए।

3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 77 सहपठित धारा 142(8)(ए) व 174(2)(ई) अनुसार नगर परिषद पर ₹10000/– की दंड राशि अधिरोपित की जाए।

4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 78 सहपठित धारा 142(8)(ए) व 174(2)(ई) अनुसार नगर परिषद पर ₹477344/– की दंड राशि अधिरोपित की जाए। ***यदि सेवा कर की राशि को ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर जमा करवाया जाता है तो के धारा 78 अनुसार केवल 25% दंड राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।***

उपरोक्त तथ्यों तथा सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा समय पर कोई कार्रवाई अमल मे नहीं लाई गई जिस कारण ₹477344/– के सेवाकर की मूल राशि के अतिरिक्त यह ₹487344 (10000+477344) के दंड शुल्क का भुगतान भी करना पड़ा है।

यदि इसी राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर यथासमय किया जाता तो दण्ड राशि ₹477344/– के स्थान पर इसका 25% मात्र ₹119336/– ही होती।

परन्तु अभी भी उपरोक्त क्रमाँक 5.2 पर वर्णित ब्याज का कोई भुगतान नही किया गया था और वस्तु व सेवाकर विभाग शीघ्र ही इस राशि की माँग भी दण्ड राशि सहित अवश्य ही करेगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि उक्त मामले में नगर परिषद को जो वित्तीय हानि हुई। इस बारे विभागीय स्तर पर पड़ताल करने उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा मामले में नुकसान हुई हुई वित्तीय की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–167 दिनांकः 02/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर मे कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः परिषद् निधि को जानबूझ कर इस प्रकार हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी से इसकी वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(16.3) ''ट्रैक्टर व ट्रॉली – चालक सहित'' किराये पर लेने के लिये सफाई व्यवस्था के बिलों के साथ किये गये ₹20000/– के अनियमित भुगतान बारे

नगर परिषद् द्वारा अवधि 03/2023 से 03/2024 तक सफाई व्यवस्था का कार्य ठेके पर दो अलग–अलग फर्मों टारगेट ग्रीन प्लैनेट तथा रवीन्द्र कुमार को दिया गया है। उनके द्वारा 02/2023 में अपने टैंडरों में प्रत्येक महीने में ₹1000/– की मासिक दर पर ट्रैक्टर व ट्रॉली चालक सहित उपलब्ध करवाने की दरें दी गई थी। इन दरों से माह 03/2023 से 03/2024 तक 13 महीने में निम्न विवरणानुसार सफाई व्यवस्था के बिलों में ट्रैक्टर व ट्रॉली चालक सहित उपलब्ध करवाने के लिये ₹20000/– का भुगतान ₹1000/– प्रति ट्रैक्टर की मासिक दर से किया गया था। **जिससे स्पष्ट है कचरा निष्पादन हेतु ट्रैक्टर व ट्रॉली चालक सहित उनके द्वारा इसी मासिक दर पर परिषद् को उपलब्ध करवाई** जानी थी **तथा परिषद् द्वारा इसके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जानी थी।** परन्तु इस अवधि में नगर परिषद् द्वारा तीन अतिरिक्त ट्रैक्टर व ट्रॉली चालक सहित क्रमशः सुरेन्द्र सिंह, सन्दीप कुमार तथा कुलदीप कुमार से ₹35000/– प्रत्येक की मासिक दर पर किराये पर लिये गये **जिनके लिये ₹105000/– मासिक की दर से 13 महीने में कुल 1365000/–** का भुगतान किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त **₹20000/–** का भुगतान पूर्णतः अनुचित तथा अनियमित है क्योंकि वर्तमान समय में ₹1000/– की मासिक दर से ट्रैक्टर व ट्रॉली चालक सहित उपलब्ध करवाया जाना सम्भव ही नहीं है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–158 दिनांकः 27/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा

पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान का तथ्यों तथा अभिलेख सहित औचित्य स्पष्ट करते हुये इसकी वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

माह	टारगेट ग्रीन प्लैनेट को किया गया भुगतान (₹)	रवीन्द्र कुमार को किया गया भुगतान (₹)	कुल भुगतान (₹)
मार्च 2023	1000	1000	2000
अप्रैल 2023	1000	1000	2000
मई 2023	1000	1000	2000
जून 2023	1000	1000	2000
जुलाई 2023	1000	1000	2000
अगस्त 2023	1000	1000	2000
सितम्बर 2023	1000	1000	2000
अक्तूबर 2023	0	1000	1000
नवम्बर 203	0	1000	1000
दिसम्बर 2023	0	1000	1000
जनवरी 20224	0	1000	1000
फरवरी 2024	0	1000	1000
मार्च 2024	0	1000	1000
कुल योग	7000	13000	20000

(16.4) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर ₹0.29 लाख के अधिक भुगतान बारे

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः 15-01/2006-pub- 14263-92 दिनाँक 30.08.2006 तथा 1&PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनाँक 05.07.2013 के द्वारा समस्त विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशनों आदि को जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाले सभी विज्ञापन इस विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाना प्रावधित है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यकारी एजैंसी Bureau of Outreach Communication (earlier DAVP) जोकि सभी प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को मान्यता प्रदान करती है द्वारा मान्यता के समय अनुबन्ध करते हुये प्रावधित किया जाता

है कि सभी सरकारी/अर्ध–सरकारी विभाग/संस्थान अपने विज्ञापन प्रकाशित करवाते समय 15% छूट के अधिकारी होंगे। वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा अवधि 04/2021 से 03/2024 के बीच प्रकाशित करवाये गये विज्ञापनों की लागत पर इस छूट का लाभ नहीं उठाया गया था। **परिशिष्ट "25"** में दिये विवरणानुसार उक्त अवधि में विज्ञापन प्रकाशन पर किये गये कुल ₹1,92,997/– के व्यय में से इस छूट का लाभ न उठाकर कुल **₹28,953/–** का अधिक भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–98 दिनांक 10/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस भुगतान का तथ्यों तथा अभिलेख सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.5) ₹0.51 लाख के संदिग्ध व्यय के समर्थन में सेवाप्रदाता के बिल/वाउचर उपलब्ध न करवाना

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया था कि निम्न तालिका में संकलित विज्ञापन सम्बन्धी व्यय के समर्थन में सेवाप्रदाता बी. आर. ऐडवर्टाईजर के बिल वाउचर नस्तियों में संलग्न नहीं थे। इस कारण इस व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा यह व्यय पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विज्ञापनों का प्रकाशन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से करवाया जाना आवश्यक था। यदि यह कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई है तो भी सामान्यतः यह प्रकाशन समाचार पत्रों से सीधे सम्पर्क करके भी करवाया जाता है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा यह भुगतान बी. आर. ऐडवर्टाईजर के पक्ष में बिना किसी बिल के दर्शाया गया जिसमें न तो कोई निविदा और न ही दर संविदा सम्बन्धी औपचारिकता पूर्ण किये जाने का अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया था।

इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–109 दिनांकः 22/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नही हुआ था। अतः इस संदिग्ध व्यय के बारे में अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अनियमितता की स्थिति मे नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई व राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Vr. No.	Date	CBP	Supplier and Payment Particulars	Total Payment (₹)	Remarks
1	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	7444	No bill/voucher available
2	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	8272	No bill/voucher available
3	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	6617	No bill/voucher available
4	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	5544	No bill/voucher available
5	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	5544	No bill/voucher available
6	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	4653	No bill/voucher available
7	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	6204	No bill/voucher available
8	263	5.10.2021	125	BR Advertiser	7031	No bill/voucher available
Total amount					51309	

(16.6) वैधानिक परामर्श शुल्क (Legal Counsel Fee) के रूप में भुगतान किये गये ₹0.16 लाख के व्यय का सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

वर्तमान अंकेक्षण में व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया है कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹16000/–** की राशि की वैधानिक परामर्श शुल्क (Legal Counsel Fee) के रूप में भुगतान की गई थी। परन्तु सम्बन्धित अधिवक्ताओं की सरकारी विभागों में अधिवक्ता के रूप में एम्पैनलमैन्ट तथा निर्धारित परामर्श शुल्क सम्बन्धी सूचना/अधिसूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–108 दिनांकः 22/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया परन्तु इसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण इन अधिवक्ताओं को किये गये भुगतान का सम्पूर्ण सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो पाया है। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करके इस व्यय का सत्यापन सुनिश्चित करवाया जाना किया जाये।

Sr	Vr. No.	Date	CBP	Name & Address of the Advocate	Particulars	Total Payment
1	2	2.4.2022	167	Adarsh Kumar Vashista Office, Shimla 171001	Counsel fee in case of Tarsem Chand Vs State of H.P.	3000
2	28	13.4.2022	171	Braham S Sharma, Chamber No.22 Court Complex, Nalagarh, District Solan	Counsel fee in case of Tarsem Chand Vs State of H.P.	13000
Total						16000

(16.7) निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹18.66 लाख का अनियमित व्यय करना

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 के अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित स्टॉक/सामग्री खरीद करते समय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 97 से 104 तक प्रावधित औपचारिकताएँ जैसे निविदायें आमन्त्रित करना, तुलनात्मक विवरणी तैयार करना, खरीद पश्चात सामान की पूर्ण मात्रा तथा गुणवत्ता को प्रमाणित करना आदि पूर्ण नहीं नहीं की गई थीं। इस कारण परिषद् द्वारा किया गया यह **₹1865930/–** का व्यय अनियमित पाया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–103 दिनांकः 20/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के खरीद सम्बन्धी प्रावधानों की अवहेलना क्यों की गई तथा इस अनियमित ₹1865930/– के व्यय को एकल निविदा खरीद मानते हुये अब सक्षम प्राधिकारी से की कार्योत्तर स्वीकृति से इसे नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr.	Vr. No.	Date	CBP	Supplier	Particulars	Total Payment (₹)
1	261	5.10.2021	125	RKS Computers and Peripherals, Solan	Purchase of HP All in One PC, Antivirus, UPS & Pen Drive	[illegible]

2	275	7.10.2021	126	Trident Sales (Mohali), SAS Nagar Punjab	Flood Light, LED Street Light, Light Control Panel & PVC Aluminum Cable	801545
3	17	12.4.2022	169	Jewels Electronics, Baddi	Purchase of AC & AC Stand	39900
4	31	20.4.2022	172	Taran Enterprises, Parwanoo	Repair/Purchase LED Flood light, Copper Wire, Hydra Charges & Labour Charges	416130
5	657/1	06-09-2023	112	Saphire Computers, Baddi	Toner, laptop adapter, cable & mouse	4071
6	657/7	06-09-2023	112	-do-	Printer repair etc	3858
7	657/8	06-09-2023	112	-do-	Laptop charger repair	4366
8	657/9	06-09-2023	112	-do-	Laying of computer networking	12915
9	659/18	08-09-2023	113	Shivam Enterprises Baddi	Wall clock, room freshner and noting sheet	3314
10	660	08-09-2023	113	Himalayan Engineering works, Dhaliara, Distt. Kangra	Purchase of handcarts	210040
11	674	14-09-2023	115	Shree Interiors, Baddi	PVC Panelling of walls in Office & Rest House	52137
12	682	23-09-2023	117	Sandhu Enterprises, Baddi	Repair of mobile toilet	33276
13	683	23-09-2023	117	Ajit Electricals Baddi	Pole connecters	30586
14	684	26-09-2023	118	Rajvir Tent House, Baddi	Tent and sitting arrangements with Tea & snacks on oath ceremony of nominated members	72570
15	685	26-09-2023	118	Yashpal Contractor & Supplier, Baddi	Lime	126000
				Total		1865930

(16.8) बिल की छायाप्रति पर ₹1.74 लाख का अनियमित भुगतान करना

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 के अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 684 दिनांक 26.09.2023 118 द्वारा **₹72,570/–** का भुगतान राजवीर टैंट हाऊस बद्दी को मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण पर कुर्सियां टैंट तथा चाय नाश्ता उपलब्ध करवाने हेतु किया गया था। इस वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें उक्त फर्म के मूल बिल के स्थान पर इनवॉयस संख्या 98 दिनांक 01.03.2023 की छायाप्रति संलग्न की गई है।

इसी प्रकार वाउचर संख्या 688 दिनांक 27.09.2023 रोकड़ बही पृष्ठ 118 द्वारा **₹101395/–** का भुगतान हरमन फिलिंग स्टेशन बद्दी को फॉगिंग मशीन हेतु माह 08/2023 में डीजल आपूर्ती के लिये किया गया था। इस वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें भी उक्त फर्म के मूल बिल के स्थान पर बिल संख्या 19875, 19876 तथा 19877 दिनांक 31.08.2023 जो क्रमशः राशि ₹18143/–, ₹62838/– तथा ₹22414/– की छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है।

मूल बिलों के स्थान पर छायाप्रतियाँ क्यों प्रयोग की गई है इसके सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा प्रावधानानुसार प्रतिलिपि बिल (Duplicate Bill) हेतु वाँछित प्रमाणपत्र भुगतान वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाये गये हैं। बिल की छायाप्रति पर भुगतान करना न केवल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपादित वित्त नियमों तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना परन्तु साथ ही इसमें दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–189 दिनांकः 19/0/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस संदिग्ध भुगतान के बारे में अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अनियमितता की स्थिति में नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई व राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.9) कार्यालय में प्रयोग की गई विद्युत आपूर्ती के ₹5.11 लाख के बकाया बिलों का भुगतान न करने बारे

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 के अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31/03/2022 को 15 बिलों/मीटरों के विरूद्ध **परिशिष्ट "26"** पर दिये विवरणानुसार **₹14,22,573/–** की राशि का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को किया था जिसमें ₹13,66,486/– की राशि पुराने बिलों के बकाया तथा **₹8308/– देरी से भुगतान के लिये दण्ड राशि** के रूप में चुकता किये गये हैं। परन्तु इस एक मामले को छोड़कर परिषद् द्वारा

अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों में कभी भी कोई अन्य भुगतान विद्युत आपूर्ती हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को नहीं किया गया था।

अंकेक्षण द्वारा अपने स्तर पर उपरोक्त वर्णित 15 मीटरों के विरूद्ध बकाया की नवीनतम स्थिति जानने हेतु विद्युत परिषद् के ऑनलाईन पोर्टल से जब जानकारी डाउनलोड की गई तो वहाँ **परिशिष्ट "26"** पर दिये विवरणानुसार मात्र 9 मीटरों का बकाया ही उपलब्ध पाया गया जिनके लिये दिनाँक **31.03. 2024 को ₹5,11,432/— की राशि का भुगतान शेष है जिसमें ₹4,90,256/— की राशि पुराने बिलों के बकाया तथा ₹7127/— देरी से भुगतान के लिये दण्ड राशि से सम्बन्धित है।** एक बिल का बकाया शून्य तथा अन्य 5 बिल स्ट्रीट लाईट के मीटरों के है जिनके बकाया का विवरण उपलब्ध नही हो पाया है। यदि कार्यालय में प्रयोग की गई बिजली का ही इतना बकाया शेष है तो अवश्य ही स्ट्रीट लाईट के लिये प्रयोग की गई बिजली का बकाया तो लाखों अथवा सम्भवतः करोड़ों में भी हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद् द्वारा अपने बिजली उपभोग का भुगतान यथासमय नही किया जा रहा है तथा पूरी सम्भावना है कि विद्युत परिषद् कभी भी इस बकाया की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई करके दण्ड राशि तथा ब्याज का दावा कर सकती है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग — शिमला/2024/—190 दिनांकः 19/0/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। इस भुगतान में देरी के कारण अधिरोपित दण्ड राशि का भुगतान परिषद् निधि पर सर्वथा अनुचित प्रभार है जिसके लिये स्पष्टीकरण के अतिरिक्त दायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे यथाशीघ्र अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.10) वाउचर संख्या 256 माह 10/2021 तथा 339 माह 11/21 द्वारा एच.पी.—12—एम—3314 स्कॉरपियों गाड़ी की मुरम्मत करवाने हेतु ₹4.13 लाख का संदिग्ध भुगतान।

नगर परिषद् के अवधि 04/21 से 04/24 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 256 माह 10/2021 द्वारा **₹1,50,000/—** का अग्रिम भुगतान तथा 339 दिनांक 09.11.2021 से

ANNUAL REPOR

₹2,62,618/– कुल ₹4,12,618/– (परिशिष्ट "27") का भुगतान मै. राज व्हीकलस मोहाली को एच. पी.–12–एम–3314 स्कॉरपियो गाडी की मुरम्मत के लिये किया गया था। इस बिल के अवलोकन पर पाया गया कि गैराज द्वारा कुल बिल ₹4,35,578.95/– के लिये जारी किया गया था जिसमें ₹3,02,829.95/– के 122 स्पेयर पार्टस बदलने के साथ ₹1,32,750/– में डैन्टिंग, पेन्टिंग व टर्बो चार्जर मुरम्मत दर्शाई गई है। इस व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. यह वाहन 14.07.2020 को ₹14,31,969/– खरीदा गया था। इसकी मुरम्मत में प्रयुक्त ₹3,02,829.95/– के 122 स्पेयर पार्टस तथा ₹1,00,300/– की डैन्टिंग तथा ₹29,500/– की पेन्टिंग से प्रतीत होता है कि इसकी कोई दुर्घटना हुई थी। क्योंकि एक साल पुराने वाहन को इतनी बडी मुरम्मत की सामान्य तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती है.

2. यदि इस वाहन की कोई दुर्घटना हुई थी तो निकटतम पुलिस थाने में उसकी प्राथमिकि भी दर्ज करवाई गई होगी परन्तु अंकेक्षण को अधियाचना द्वारा माँगने पर भी इस प्राथमिकि की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और **ऐसा प्रतीत होता है कि इस संदिग्ध दुर्घटना को छुपाने के लिये यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की ही नहीं गई थी।** यह संशयपूर्ण कार्यप्रणाली इस व्यय को अति संदिग्ध बनाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यों तथा अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

3. उपरोक्त व्यय के साथ ही 09.11.2021 को वाउचर संख्या 340 द्वारा **21330/–** का भुगतान इस वाहन का बीमा करवाने हेतु भी किया गया है। **परन्तु संदिग्ध दुर्घटना के समय प्रभावी बीमा के बीमापत्र की प्रति अंकेक्षण को अधियाचना द्वारा माँगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पर कोई भी वाहन बीमा प्रभावी नहीं था।** यदि सच में उस समय यह गाडी बीमित थी तो इस मुरम्मत में से कितनी राशि की प्रतिपूर्ती बीमा कम्पनी से की गई है उसका कोई विवरण न तो अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया और न ही इस प्रकार की कोई प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष मे दर्ज पाई गई थी। इससे स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय यह गाड़ी बीमित नहीं थी और न ही इस मुरम्मत व्यय की कोई प्रतिपूर्ती ली गई है। यदि बीमा कम्पनी से मुरम्मत व्यय की प्रतिपूर्ती

ऐसा

नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई? अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यों तथा अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के साथ–साथ इस व्यय की प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–169 दिनांकः 04/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नही हुआ था। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच सुनिशिचत करते हुये इस भुगतान के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.11) वाहन संख्या एच.पी.–12–एम–3314 की अवधि 14.074.2020 से 12.04.2023 तक की लॉग बुक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करना तथा उसकी तथाकथित चोरी बारे।

नगर परिषद् के अवधि 04/21 से 04/24 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु **महिन्द्रा स्कॉरपियो गाड़ी पंजीकरण संख्या एच.पी.–12–एम–3314** की लॉग बुक केवल दिनाँक 13.04.2023 से 31.03.2024 के लिये ही प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रथम प्रविष्टि के अनुसार यह गाड़ी उससे पूर्व 55385 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–183 दिनांकः 15/07/2024 द्वारा इस अवधि से पूर्व की लॉगबुक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024– दिनाँक ... . (दर्ज नहीं) **(परिशिष्ट "28")** द्वारा सूचित किया कि– **"यह लॉगबुक वाहन से चोरी हो गई है जिसकी FIR रिपोर्ट संलग्न है जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है"।**

इस परिशिष्ट में संलग्न पुलिस प्राथमिकी के अवलोकन पर पुलिस द्वारा इस ***"तथाकथित चोरी"*** के बारे में जो अपनी विवेचना/जाँच का परिणाम दिया है वह रिपोर्ट की अन्तिम आठ पंक्तियों में निम्न प्रकार से दर्ज है:–

"जिसके उपरान्त मन स॰ उ॰नि॰ के द्वारा महिन्द्र सिह पुत्र श्री ज्ञान चंद निवासी पहव डा॰ साई तह व थाना बददी जिला सोलन हि॰ प्र॰ ने अपना ब्यान कलमबदद करवाया जिसने अपने ब्यान मे जाहिर किया की यह सैक्टरी सुपरवाईजर नगर परीषद बददी मे कार्यरत है तथा जिसने दि॰ 20.12.2022 को अपनी

गाडी मे न० HP12 M 3314 जोकी पार्कींग मे खडी थी जिसमे हमारी लॉग बुक व कुछ अन्य कागजात थे जो गुम थे। और इस लॉग बुक का बिभाग के अलावा किसी को कोई भी लाभ न है। *कार्यवाही पुलिस:- आमदा दरखास्त व मजबुन ब्यान व तसदीक हालात से मामला नगर परीषद की लॉग बुक व अन्य कागजात का विभागीय लापरवाही द्वारा गुम होने का पाया जा रहा है। जो उपरोक्त लॉग बुक व कागजात का सम्बन्धित विभाग के अलावा किसी को भी कोई लाभ न है। जो शिकायतकर्ता को नकल रपट दी जाकर हिदायत करी की अपनी चारोजोही अपने विभाग से करे।*

पुलिस द्वारा इस *''तथाकथित चोरी''* के बारे में अपनी जाँच का जो परिणाम दिया था उससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा भी इसे चोरी मानने से इन्कार कर दिया गया है और ***स्पष्ट रूप से अवधि 14.07.2020 से 12.04.2023 के बीच इस वाहन के दुरूपयोग तथा इससे सम्बन्धित अन्य अनियमितताओं को ढकने के उद्देश्य से यह असफल नाटक रचने का प्रयत्न किया गया था।***

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–191 दिनांकः 19/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ है। ***अतः इस मामले की उच्चस्तरीय विस्तृत विभागीय जाँच सुनिश्चित करते हुये मामले की वास्तविकता सामने लाई जाये तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।***

(16.12) नगर परिषद् द्वारा कचरा निस्तारण हेतु जे.बी.आर. कम्पनी को किये गये ₹272.52 लाख के भुगतान के अभिलेख का स्पष्ट व पूर्ण अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् द्वारा वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया है कि अवधि 04/2021 से लेकर 03/2024 तक जे.बी.आर. कम्पनी को **परिशिष्ट ''29''** में दिये विवरणानुसार 28236. 74 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट वैज्ञानिक निस्तारण हेतु दिया गया था। यह ठोस अपशिष्ट नगर परिषद् के सफाई कर्मियों द्वारा नगर की सड़कों, गलियों, मैदानों आदि से एकत्र करके जे.बी.आर. कम्पनी के वाहनों में ढुलाई हेतु लादकर दिया जाता है जिसके लिये सरकार की अनुमति से कम्पनी को 25 वर्ष के लिये अनुबन्धित किया गया है। इन तीन वर्षो में समझौता ज्ञापन के अनुसार ₹990/– प्रति मीट्रिक टन की दर से जे.बी. आर. कम्पनी को **कुल ₹2,72,51,837/–** का भुगतान किया गया था।

इसी प्रकार व्यय अंकेक्षण हेतु चयनित माह 09/2021, 03/2022 तथा 08/2023 में दैनिक आधार पर भेजे गये ठोस अपशिष्ट का विवरण भी इस **परिशिष्ट के पृष्ठ 2** पर दिया गया है तथा यदि तीन वर्षों अथवा इन चयनित तीन मास में भेजे गये कचरे की मात्रा के आधार पर दैनिक औसत की गणना की जावे तो यह 25–26 मीट्रिक टन प्रतिदिन बनती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर परिषद् द्वारा ₹25000 से ₹26000/– तक की राशि का भुगतान प्रतिदिन इस कम्पनी को किया जा रहा है। इस काम के लिये कम्पनी द्वारा मासिक आधार पर बिल जारी किया जाता है जिसमें दैनिक आधार पर सारे नगर से उठाये गये कुल ठोस अपशिष्ट का वजन दर्ज होता है।

नगर में सफाई व्यवस्था हेतु नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में 80 व 2023–24 में 70 सफाईकर्मी भी ठेकेदारों के माध्यम से लगाये गये थे जिन पर तीन वर्षों में लगभग ₹3,25,00,000/– का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्मरणीय है कि घरों ओर फैक्टरियों से घरद्वार कचरा सन्ग्रहण का कार्य तथा उसकी शुल्क वसूली जे.बी.आर. कम्पनी द्वारा स्वयँ की जाती है। उपरोक्त भुगतान की अंकेक्षण जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

(i) एकत्र ठोस अपशिष्ट की मात्रा का एकमात्र विवरण जे.बी.आर. कम्पनी द्वारा जारी बिलों में ही उपलब्ध है जिसमें आठ से दस वाहनों के पंजीकरण नम्बर तथा प्रतिदिन उनमें ढुलाई किये गये ठोस अपशिष्ट का वजन दर्ज होता है।

(ii) उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट कहां से अथवा किस स्थान/वार्ड से एकत्र किया गया है (Location of the collection point), न तो इसका विवरण अभिलेख में उपलब्ध था और न ही निस्तारण हेतु भेजी गई दैनिक मात्रा का किसी भी नगर परिषद् कर्मचारी द्वारा सत्यापन किया गया था।

(iii) जिन वाहनो से यह कचरा निस्तारण हेतु भेजा गया था उनकी प्रकार जैसे टैम्पो, जीप ट्रैक्टर अथवा ट्रक आदि का कोई विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है जिससे वाहन की

भारवहन क्षमता के साथ ढुलाई किये गये वास्तविक ठोस अपशिष्ट की मात्रा का मिलान किया जा सके।

(iv) ठोस अपशिष्ट का वजन नगर परिषद् अथवा कम्पनी में से किसके द्वारा और कहाँ करवाया गया था, यह प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट नहीं है और न ही अभिलेख में वजन मशीन/धर्मकांटा की कोई वजन पर्ची संलग्न पाई गई है। इस अनियमितता के कारण इस मात्रा की विश्वसनीयता संदिग्ध है।

(v) वास्तव में नगर परिषद् द्वारा ठोस अपशिष्ट के उत्पादन तथा निस्तारण की गई मात्रा का कोई भी अभिलेख तथा विवरण अनुरक्षित ही नहीं किया गया था। इस मामले में जे.बी.आर. कम्पनी पर ही सम्पूर्ण निर्भरता दर्शाई गई थी। ***नगर परिषद् द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा पर दृष्टि बनाये रखने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित नहीं की है। परिषद् से अपेक्षित किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट के उत्सर्जन तथा उस पर किये जा रहे उपरोक्त वर्णित लगभग ₹800 लाख के वार्षिक व्यय के सत्यापन तथा उसकी सार्थकता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक सम्पूर्ण तथा विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करे। इस प्रकार की व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करना, नगर परिषद् कर्मचारी द्वारा मात्रा का सत्यापन करना, उत्सर्जित मात्रा का बाद में सत्यापन करने हेतु अभिलेख/रजिस्टर आदि का अनुरक्षण करना आदि सम्मिलित है परन्तु नगर परिषद् द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।***

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–157 दिनांकः 27/06/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण में प्रस्तुत सफाई व्यवस्था पर किये गये व्यय का पूर्णतः सत्यापन सम्भव नहीं हो सका है। यह एक गम्भीर चूक है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के साथ–साथ भविष्य में भी वर्णित अभिलेख/विवरण का अनुरक्षण करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराने हेतु विभागीय स्तर पर पड़ताल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. निर्माण कार्यों पर व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(17.1) नगर परिषद् बद्दी द्वारा ₹79.59 लाख की लागत से निष्पादित 36 निर्माण कार्यों का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

नगर परिषद् बद्दी के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार इस अवधि में **₹21,68,76,559/–** की लागत से 510 निर्माण कार्य निष्पादित करवाये गये थे। अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि इसमें से ***₹79,58,953/– की लागत से निष्पादित 36 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मापन पुस्तिका, प्राक्कलन, निविदा अभिलेख, आबन्टन पत्र आदि का कोई सन्दर्भ रोकड़िये के पास उपलब्ध भुगतान वाउचरों में नहीं दिया गया था जबकि शेष सभी निर्माण कार्यों के भुगतान वाउचरों में यह विवरण सन्दर्भित है।*** इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–166 दिनांक 02.07.2024 तथा 173 दिनांकः 09/07/2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से इस अभिलेख को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसके उत्तर में पत्र संख्याः न0प0बद्दी/2024–577 दिनांक 12.07.2024 **(परिशिष्ट "30")** द्वारा सूचित किया गया है कि,

"वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता से इस बारे जानकारी मांगी जाने पर उन्होंने लिखित रूप में बताया है कि उनके पूर्ववर्ती कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मापन पुस्तिका संख्या 17, 30, 33, 36, 54, 79, 81 तथा 82 चार्ज में नहीं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को यह भी सूचित किया गया है कि उक्त 36 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख भी उनके पास उपलब्ध नहीं है"।

इस अभिलेख की अनुपलब्धता अति संदेहास्पद है तथा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत इसकी अग्रिम सूचना हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के ऑडिट कोड, 2022 के पैरा 7.9 की अनुपालना मे अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा कार्यकारी अधिकारी के उत्तर की छायाप्रतियों सहित सहायक नियन्त्रक के पत्र

ANNUAL REPORT

संख्या क्रमांकः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–180 दिनांकः 15/07/2024 द्वारा निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई थी।

अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष विस्तृत जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसके पश्चात पाई गई अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक व दण्डात्मक कार्रवाई से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत कराया जाये।

(17.2) कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से आबन्टन पत्र में प्रावधित शर्त के अनुसार ₹14.58 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण में पाया गया था कि **"परिशिष्ट "31"** में वर्णित निर्माण कार्य बिलों का आबन्टन करते समय आबन्टन पत्र में कार्य निष्पादन पूर्ण करने हेतु जो समय अवधि निर्धारित की गई थी उसमें कार्य पूरा नहीं किया गया था। इन सभी प्रकरणों में कार्य निष्पादन में देरी के लिये समय बढ़ौतरी के लिये न तो संविदाकार द्वारा किसी प्रकार का अनुरोध किया गया था और न ही नगर परिषद् द्वारा समय विस्तार दिया गया है। इन कार्यों के आबन्टन पत्रों में प्रावधित शर्तों के आधार पर इन सभी कार्यों का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व कार्य निष्पादन में हुई देरी के लिये, ₹1000/– प्रतिदिन जिसे अधिकतम ₹3,50,000/– तक सीमित किया जाना था, की दर से क्षतिपूर्ति राशि की कटौती अन्तिम बिल में से की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई। इस अनियमितता के कारण अलग–अलग संविदाकारों को **₹14,58,000/–** का अधिक भुगतान किया गया था। अतः उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अंकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और इस **₹14,58,000/–** के अनियमित व अधिक भुगतान सहित इस प्रकार किये गये अन्य सभी भुगतानों की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.3) निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति (AA&ES) के बिना किया गया ₹40.98 लाख का अनियमित भुगतान

सी. पी. डब्ल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 2.3.5 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित निर्माण कार्य बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति राशि (AA&ES) से यदि 10%

प्रतिशत की प्रावधित मात्रा से अधिक राशि के लिये किया जाता है तो कुल व्यय राशि के लिये सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है। नगर परिषद् बड़ी के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि **परिशिष्ट "32"** में वर्णित पाँच निर्माण कार्य बिलों में कुल वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि की तुलना में ***10.98% से 29.01% (कुल ₹6,23,788/–) तक की अधिक राशि के लिये किया गया था परन्तु यह व्यय प्रावधित सीमा से अधिक होने पर भी*** सक्षम प्राधिकारी की संशोधित व्यय स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस कारण चयनित माह में पड़ताल किये गये इन पाँच निर्माण कार्य बिलों में किया गया ***₹40,97,508/–*** का कुल व्यय पूर्णतः अनियमित है। यह अत्यन्त खेदजनक है तथा यह मामला प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाये जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। अनुपालना उपरान्त अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(17.4) निर्माण कार्यों के निष्पादन में विचलन (Deviation) की सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के बिना किया गया अनियमित भुगतान

सी. पी. डब्ल्यू.डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद् बड़ी के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण में पाया गया था कि संलग्न **परिशिष्ट "33"** पर संकलित प्रकरणों में निष्पादित निर्माण कार्य की कुल मात्रा व राशि अवार्ड की तुलना में अधिक अथवा कम होने पर भी इनके अन्तिम बिलों का भुगतान करने से पूर्व विचलन को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमति नही किया गया था। यह बहुत ही खेदजनक है कि इस सन्दर्भ में पिछले कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने के बाद भी परिषद् द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है। अतः एक बार पुनः यह मामला प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाये जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(17.5) वाउचर संख्या 286 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹3.11 व ₹6.94 लाख की लागत से निष्पादित दो निर्माण कार्यों के संदिग्ध भुगतान में अनियमितताएँ

वाउचर संख्या 286 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹3,11,328/—₹6,94,416/— की लागत से निष्पादित दो निर्माण कार्यों का भुगतान श्री राज कुमार सन्धु संविदाकार को किया गया था। इन निर्माण कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई की गई है:—

1. **C/o Road 80 mm paver block ISI mark with drain in ward No. 7 from canteen upto the house of Pandit, Pahse 1 R.d. 0/0 to 0/250:**

1	Contractor	Raj Kumar Sandhu, Government Contractor
2	MB and Page	83/76-78
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2021 433-37 dated 17-06-2021
4	Estimated cost	₹968000/- (HPSR 2020)
5	Award amount	₹840637/-
6	Final Bill amount	₹311328/-
7	Date of start	01-07-2021
8	Date of completion	31-08-2021
9	Time allowed for completion	60Days

2. **C/o Road 80 mm paver block ISI mark with drain in ward No. 7 from canteen upto the house of Pandit, Pahse 1 R.d. 0/250 to 0/500:**

1	Contractor	Raj Kumar Sandhu, Government Contractor
2	MB and Page	83/79-81
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2021 428-32 dated 17-06-2021
4	Estimated cost	₹968000/- (HPSR 2020)
5	Award amount	₹841237/-
6	Final Bill amount	₹694416/-
7	Date of start	01-07-2021
8	Date of completion	31-08-2021
9	Time allowed for completion	60 ays

3. उपरोक्त दोनो कार्यों की अंकेक्षण जाँच में प्रावधित औपचारिकताओं सम्बन्धी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई है,

I. इनके प्राक्कलन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे,

II. इन कार्यों की निविदा तुलना विवरणियों को केवल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था,

III. नयूनतम दर के साथ कार्य निष्पादित करने वाले संविदाकार श्री राज कुमार सन्धु के साथ कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही किया गया था; तथा

IV. मापन पुस्तिका संख्या 83 में बिलों के अन्तिम पृष्ठ क्रमशः 78 तथा 81 पर मात्र तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के ही हस्ताक्षर हैं। इसे न तो सहायक अभियन्ता द्वारा नमूना जांच के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किया गया और न ही इसमें आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किया गया है।

4. निविदा के अनुसार इन दोनों ही कार्यों की एक ही प्रकार की निम्नलिखित सात मदें निष्पादित की जानी थीं–

Item No.	1	2	3	4	5	6	7
Nomenclature (In short)	Cutting in earth work	Spreading and compacting stone aggregate wet mix	P/L interlocking paver block	P/L cement concrete 1:2:4	Raising the height of chambers	Excavation in earth work	P/L cement concrete 1:3:6 ....

5. परन्तु मापन पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार दोनों कार्यों में केवल तीन ही मदें निष्पादित करके कार्य को पूर्ण दर्शाया गया है। निष्पादित मदें निम्न प्रकार हैं:– .

			Item 1	Item 2	Item 3	
		Executed length of the road	Cutting/ excavation in earth work	Spreading and compacting stone aggregate wet mix	P/L interlocking paver block	**Total**
Work-1	C/o Road 80 mm paver block ISI mark with drain in ward No. 7 from canteen upto the house of Pandit, Pahse 1 R.d. 0/0 to 0/250	88 Mtrs	135.36 X 50 = ₹6768	67.68 X 900 = ₹60912	451.20 X 540 = ₹243648	**₹311328/-**
Work-2	C/o Road 80 mm paver block ISI mark with drain in ward No. 7 from canteen upto the house of Pandit, Pahse 1 R.d. 0/250 to 0/500	138 Mtrs	301.92 X 50 = ₹15096	150.96 X 900 = ₹135864	1006.40 X 540 = ₹543456	**₹694416/-**

6. यदि उपरोक्त क्रमॉक 6 पर वर्णित सात में से अन्तिम तीन मदों को अनदेखा भी कर दिया जाये तो भी इन पेवर ब्लॉक को बांधकर रखने के लिये मद संख्या 4 में 1:2:4 के अनुपात में कन्क्रीट किनारों पर बिछाकर लॉकिंग बॉण्ड बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है परन्तु इस मद को तो निष्पादित ही नहीं किया गया है। लॉकिंग बॉण्ड के बिना यह कार्य सम्भव ही नहीं है क्योंकि पेवर ब्लॉक ऐसे ही तो सड़क पर रखे नहीं जा सकते हैं।

7. दोनों सड़कें 250+250 कुल 500 मीटर (Rd 0/0 to 0/250 & Rd 0/250 to 0/500) के लिये बनाई जानी प्रस्तावित थी परन्तु एक को 88 मीटर तथा दूसरी को 138 मीटर के लिये ही आधा अधूरा बना हुआ दर्शाया गया था। यह अधूरा कार्य निष्पादन किस आधार पर किया गया इसका कोई अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

8. दोनों कार्यों में मात्र तीन ही मदें निष्पादित करवाते हुये पहले कार्य में 35.2% (88/250) लम्बाई के लिये आबन्टन राशि का 37.03% (311328/840637) का व्यय किया गया था परन्तु दूसरे कार्य में 55.2% (138/250) लम्बाई के लिये आबन्टन राशि का 82.55% (694416/694416) का व्यय किया गया है। व्यय में इस अप्रत्याशित आनुपातिक वृद्धि के कारण/आधार का औचित्य तथ्यों तथा अभिलेख सहित स्पष्ट किया जाये।

9. कार्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह इस सड़क का कार्य 500 मीटर (Rd 0/0 to 0/500) के लिये किया जाना प्रस्तावित था परन्तु इसे दो भागों में बांट कर एक ही संविदाकार से निष्पादित करवाया गया है क्योंकि यदि इसे एक ही कार्य के रूप में करवाया जाता तो इसकी प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति निदेशक शहरी विकास विभाग से करवानी पड़ती। यह स्पष्टतः प्रावधित नियमों तथा समय–समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना है। अतः अब इस कार्य की संयुक्त व्यय व प्रशासनिक स्वीकृति निदेशक से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. दूसरे कार्य (Rd 0/250 to 0/500) के प्राक्कलन में कुल निष्पादित क्षेत्रफल 962.50 वर्गमीटर अनुमानित था। परन्तु मापन पुस्तिका 83 के पृष्ठ 79–81 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार कुल लम्बाई में से 55.2% (138/250) का निष्पादन करवाने पर भी कुल क्षेत्रफल 1006.40 वर्गमीटर दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि

प्राक्कलन तैयार करते समय कार्यस्थल का वास्तविक माप लेने के स्थान पर काल्पनिक माप का प्रयोग किया गया था। अतः इसका औचित्य तथ्यों तथा अभिलेख सहित स्पष्ट किया जाये।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह भुगतान न केवल संदेहास्पद परन्तु साथ ही झूठा भी प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि सम्भवतः यह कार्य वास्तव में धरातल पर करवाया ही नहीं गया है। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–172 दिनांकः 09/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके न केवल अनियमित भुगतान की वसूली परन्तु दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.6) वाउचर संख्या 293 तथा 294 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹4.01 तथा ₹4.01 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों के संदिग्ध भुगतान में अनियमितताएँ तथा सम्भावित गबन

वाउचर संख्या 293 तथा 294 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹4,01,073/– तथा ₹4,01,073/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान श्री विशाल कौशल तथा ललित ठाकुर संविदाकारों को किया गया था। इन निर्माण कार्यों में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैं:–

1. **C/o Nallah near New Sabji Mandi Baddi Rd 0/0 to 0/25:**

1	Contractor	Vishal Kaushal
2	MB and Page	77/83-85
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020 dated ....
4	Estimated cost	₹653189/-
5	Award amount	₹567364/-
6	Final Bill amount	₹401073/-
7	Date of start	01-09-2021
8	Date of completion	28-09-2021
9	Time allowed for completion	One Month

2. **C/o Nallah near New Sabji Mandi Baddi Rd 0/0 to 0/60:**

1	Contractor	Lalit Thakur
2	MB and Page	77/86-88

3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2022/ 203-6 dated 31-08-2021
4	Estimated cost	₹653188/-
5	Award amount	₹914543/-
6	Final Bill amount	₹401073/-
7	Date of start	01-09-2021
8	Date of completion	28-09-2021
9	Time allowed for completion	One Month

3. इन दोनों कार्यों में नाले की चैनलाईजेशन मद संख्या 6 में 1:3:6 के अनुपात में कन्क्रीट से दो तरफ सुरक्षा दीवार लगाते समय 8–8 वीप होल्स रखकर मद संख्या 7 में अलग से उनका भुगतान ₹250/– प्रत्येक की दर से किया गया है। परन्तु मद 6 में से इसके लिये कन्क्रीट की मात्रा में से अपेक्षित कटौती नहीं की गई है।

4. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ही कार्य, जिसमें 60 मीटर की नाले की चैनलाईजेशन की जानी थी, को दो भागों में बांटा गया है जिससे कि नियमानुसार अपेक्षित निदेशक की स्वीकृति लेने से बचा जा सके। पहला कार्य Rd 0/0 to 0/25 तक जो जोकि विशाल कौशल को आबन्टित किया गया था वह वास्तव में ललित ठाकुर को आबन्टित Rd 0/0 to 0/60 का ही भाग है। **स्पष्ट है कि जब ललित ठाकुर द्वारा पूरे 60 मीटर नाले का चैनलाईजेशन किया गया है तो विशाल द्वारा उसी में से 25 मीटर का चैनलाईजेशन किस प्रकार किया जा सकता है।**

5. इन दोनों बिलों के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि इनका प्राक्कलन 7 मदों के लिये 45% प्रीमियम के साथ ₹653188.61/– के लिये अलग–अलग तैयार किया गया था। टैंडर के पश्चात विशाल कौशल को Rd 0/0 to 0/25 तक ₹567364/– तथा Rd 0/0 to 0/60 तक ललित ठाकुर को ₹914543/– की राशि के लिये आबन्टित किया गया था। आबन्टन राशि में यह अन्तर नैगोशियेशन के बाद आया जहां विशाल द्वारा 300 मि.मी की सीमेन्ट पाईप के लिये ₹1800/– की दर की सहमती दी थी वहीं ललित ने यह दर ₹6800/– के लिये दी। **परन्तु कार्य निष्पादित करवाते समय इस अविश्वसनीय कम दर (Absurdly Low Rate) की मद 300 मि.मी की सीमेन्ट पाईप को निष्पादित ही नहीं करवाया गया। जोकि स्पष्ट रूप से इन्गित करता है कि यह प्रक्रिया मात्र इन संविदाकारों को विशेष लाभ तथा टैंडर का इन्हीं को आबन्टन सुनिश्चित करने के लिये अपनाई गई थी।**

6. दोनों ही कार्यों में पाँच–पाँच मदें निष्पादित करवाई गई थीं। टैंडर प्रक्रिया तथा आबन्टन अलग–अलग होने पर भी अविश्वसनीय रूप से दोनों ही कार्यों की निष्पादित मात्रायें पूर्णतः समान हैं तथा दोनों के बिल बनाते समय विशाल कौशल द्वारा दी गई दरों के आधार पर ही देय राशि की गणना की गई थी जबकि दरें कम करने की ललित ठाकुर की कोई सहमती अभिलेख में उपलब्ध नही है। दोनों कार्यों में सभी निष्पादित पाँच मदों की मात्रायें भी मापन पुस्तिका में समान दर्ज की गई जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

Lalit Thakur						Vishal Kaushal					
Item No.	Description	Quoted rate	Rate recorded in MB & paid	Qty executed	MB Page	Item No.	Description	Quoted rate	Rate recorded in MB & paid	Qty executed	MB Page
1	Excavation	₹215 per M^3	₹240 per M^3	18.45 M^3	87	1	Excavation	₹240 per M^3	₹240 per M^3	18.45 M^3	84
2	CC 1:6:12	₹3015 per M^3	₹3050 per M^3	6.15 M^3	87	2	CC 1:3:6	₹3050 per M^3	₹3050 per M^3	6.15 M^3	84
3	Form Work	₹235 per M^2	₹230 per M^2	196.80 M^2	87	3	Form Work	₹230 per M^2	₹230 per M^2	196.80 M^2	84
6	CC 1:3:6	₹4500 per M^3	₹4480 per M^3	73.80 M^3	88	5	CC 1:3:6	₹4480 per M^3	₹4480 per M^3	73.80 M^3	85
7	Weep holes	₹365 per Hole	₹250 per Hole	8 Holes	88	7	Weep holes	₹250 per Hole	₹250 per Hole	8 Holes	85

7. **दोनों ही कार्यों में 41 मीटर नाले का 2.40 मीटर ऊँचाई तथा 0.60 से 0.90 (मद संख्या 6: 41 X 2.40 X (0.60+0.90)/2 = 73.80 M^3) मीटर तक की मोटाई की दीवारों साथ चैनलाईजेशन निष्पादित दर्शाया गया है। परन्तु जब नाले की कुल लम्बाई Rd 0/0 to 0/60 तक 60 मीटर ही थी तो 82 मीटर (41+41) की लम्बाई के लिये कार्य कैसे करवाया गया है।**

8. उपरोक्त के अतिरिक्त इस भुगतान में औपचारिकता सम्बन्धी निम्नलिखित अनियमितताएं भी पाई गई हैं:

   I. विशाल कौशल को जारी आबन्टन पत्र में न तो प्रेषण संख्या और न ही दिनांक दर्ज की गई है।

   II. विशाल के द्वारा दी जो नैगोशियेशन दरों की सूची अभिलेख में संलग्न है वह कार्यकारी अधिकारी और कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तो हस्ताक्षरित है परन्तु संविदाकार द्वारा नहीं।

   III. दोनों ही कार्यों की टैंडर प्रक्रिया में तीन–तीन संविदाकारों द्वारा भाग लिया गया था परन्तु उनके द्वारा दी गई दरें उनमें से किसी के भी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं।

   IV. विशाल को जारी आबन्टन पत्र में मद संख्या 5– टॉर स्टील का यूनिट किलोग्राम के स्थान पर नम्बर तथा 6 में 1:3:6 के अनुपात में कन्क्रीट का घनमीटर के स्थान पर वर्गमीटर दर्ज किया गया जबकि मद संख्या 3 में फॉर्म वर्क का यूनिट दर्ज ही नहीं किया गया है।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह दोनों नहीं तो कम से कम विशाल कौशल को Rd 0/0 to 0/25 तक के लिये किया गया ₹401073/– का यह भुगतान न केवल संदेहास्पद परन्तु साथ ही झूठा भी प्रतीत होता है। वर्णित तथ्य इंगित करते हैं कि सम्भवतः यह कार्य वास्तव में धरातल पर करवाया ही नहीं गया है। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–174 दिनांकः 10/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07. 2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके न केवल अनियमित भुगतान की वसूली परन्तु दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.7) वाउचर संख्या 284 माह 10/2021 द्वारा ₹9.14 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या 284 माह 10/2021 द्वारा ₹9,14,095/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का भुगतान श्री राजन कुमार संविदाकार को किया गया था। इन निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैः–

1. **P/F of ISI Mark tiles over the road from H.No.171 HBC-3 to BL public School RD 0/120 to 0/240.**

1	Contractor	Rajan Kumar
2	MB and Page	83/46-52
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/520-24 dated 10-06-2020
4	Award amount	₹773672.80/-
5	Final Bill amount	₹914095/-
6	Date of completion	30-09-2021

2. इस कार्य के प्राक्कलन तथा आबन्टन पत्र के अनुसार 4 मदें के साथ 120 मीटर लम्बी तथा 9.32 मीटर चौड़ी सड़क पर पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य आबन्टित था। परन्तु वास्तव में मापन पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार इस कार्य की लम्बाई को 120 मीटर से बढ़ाकर, तीन अलग–अलग भागों में बांटकर कुल 335.60 मीटर लम्बाई के लिये निष्पादित करवाया गया जो इस प्रकार हैः

मकान संख्या 269 से 266 तक 123.80 मीटर,

मकान संख्या 484 से 258 तक 121 मीटर; तथा

मकान संख्या 110 से 117 तक 90.80 मीटर दर्ज करके

3. प्राक्कलन की मद संख्या 4 में 10 सीवरेज चैम्बरों की उँचाई बढ़ाई जानी अपेक्षित थी परन्तु वास्तव में मापन पुस्तिका अनुसार कुल 45 चैम्बरों की उँचाई बढ़ाई गई जिसमें से उपरोक्त वर्णित पहले 123.80 मीटर में 8 तथा तीसरे 90.80 मीटर में भी 8 चैम्बर दर्शाये गये हैं। **परन्तु आश्चर्यजनक रूप से दूसरे भाग 121 मीटर की लम्बाई में 29 चैम्बर दर्शाये गये थे।** इस प्रकार ₹1000/– प्रत्येक की दर से 45 चैम्बरों के लिये कुल ₹45000/– का भुगतान किया गया था। सामान्यतः सीवरेज में प्रयोग किये जाने वाले सीमेन्ट पाईप की लम्बाई 2.40 मीटर होती है इस आधार पर यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है कि सड़क के इस 121 मीटर लम्बे भाग में लगभग 4 मीटर की औसत दूरी पर चैम्बर बनाये गये थे। **ऐसा प्रतीत होता है कि 123.80 मीटर की तरह ही 121 मीटर की लम्बाई में भी 8 ही चैम्बर निर्मित हैं परन्तु इसमें 21 चैम्बर बढ़ाकर संविदाकार को 21X1000 कुल ₹21000/– का अनुचित लाभ दिया गया है।** अतः अनियमितता को तकनीकी रूप से स्पष्ट करने के साथ–साथ **इस ₹21000/– की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाये।**

4. सड़क की कुल लम्बाई प्राक्कलन के 120 मीटर से बढ़ाकर 335.60 मीटर तक बढ़ाये जाने से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–175 दिनांकः 10/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.8) वाउचर संख्या 295 माह 10/2021 द्वारा ₹5.51 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का संदिग्ध भुगतान और सम्भावित गबन।

वाउचर संख्या 295 माह 10/2021 द्वारा ₹5,50,650/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का भुगतान श्री देश राज संविदाकार को किया गया था। इन निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैं–

1. **Const. of Open Nallah drain near PNB & Garg Ply Baddi Sai road Baddi**

1	Contractor	Desh Raj
2	MB and Page	77/ 89-94
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/......... dated ....
4	Award amount	₹559875/-
5	Final Bill amount	₹550650/-
6	Date of start	15-09-2021
7	Date of completion	15-10-2021
8	Time allowed	One Month

2. इस कार्य की अंकेक्षण जाँच में प्रावधित औपचारिकताओं सम्बन्धी निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं,

I. इस कार्य का प्राक्कलन अंकेक्षण को उपलब्ध नही करवाया गया था,

II. आबन्टन पत्र में प्रेषण संख्या तथा दिनांक दर्ज नही थी,

III. इस टैन्डर प्रक्रिया में तीन संविदाकारों द्वारा भाग लिया गया था परन्तु इनमें से किसी के भी द्वारा अपनी निविदायें हस्ताक्षरित नही की गई हैं,

IV. न्यूनतम दर देने वाले श्री देवराज को नैगोशियेशन के लिये बुलाया गया परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शाई गई नैगोशियेटड दरों की सूची भी हस्ताक्षरित नहीं है।

V. कार्य आबन्टन से पूर्व निविदा दरों की तुलना विवरणी अभिलेख में उपलब्ध नही थी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह बनाई ही नही गई है।

VI. कार्य आबन्टन के पश्चात श्री देशराज के साथ कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही किया गया था। जबकि कार्य को न केवल आबन्टित परन्तु पूर्ण किया हुआ भी अभिलेख में दर्शाया गया है।

3. अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि इस कार्य का प्राक्कलन तथा संविदाकारों द्वारा दी गई निविदाओं में निम्न विवरणानुसार दी गई 7 मदें निष्पादित करके यह कार्य पूर्ण किया जाना था *परन्तु आबन्टन पत्र जारी करते समय आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी आधार अथवा अभिलेख के*

इन सभी मदों को बदल कर पूर्णतः अलग ही 6 मदों के साथ पत्र जारी किया गया था। जब संविदाकार द्वारा इन मदों की दरों के लिये निविदा ही नहीं दी थी तो आबन्टन पत्र में उन मदों की दरे कहाँ से आई हैं यह बहुत ही आश्चर्यचकित करता है ***और स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह कार्य वास्तव में धरातल पर निष्पादित ही नहीं करवाया गया था और जल्दबाजी में मात्र इसके आधे अधूरे अभिलेख ही तैयार किये गये हैं।***

Item Number	Brief description of item as per estimate and tender documents	Proposed Qty	Brief description of item as per award letter & MB	Awarded Qty	Qty executed and paid
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth including all leads and lifts as per the direction of the Engineer in charge. All Kinds of Soil	150 m^3	Excavation in foundations, trenches etc. in earth work, lift upto 1.50 mts stacking the excavated soil not more than 3 mts clear from the edge of excavation & then returning the stacked soil in 15cm layers, when required into the plinths sides of foundations etc. consolidating each deposited layer by ramming and watering and then disposing of all surplus excavated earth as directed with in a lead of 20mts. Pick / Jump work	115.72 m^3	110.72 X 245 = ₹27126
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade including the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level1:6:12 (1 cement: 6 fine sand: 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size)including all leads and lifts as per the direction of the Engineer in charge	14.4 m^3	Providing & Laying RCC pipe NP2for (buried conduits) on first class bedding of granular material including fixing collar with cement and sand mortar 1:2 but excluding excavation protection works' backfilling, concrete and masonry work in head wall and parapets 450mm dia	135 Rmt	136.70 X 1710 = ₹233757

3	Providing form work with steel plates 3.15mm.thick welded with angle iron in frame 30x30x5mm. so as to give a fair finish including centering, shuttering, strutting and propping etc. with wooden battens and ballies, height of propping and centering below supporting floor to ceiling not exceeding 4 Mtrs. and removal of the same for insitu-reinforced concrete & plain concrete work in Walls	288 m^2	P/L Cement conc. 1:6:12(1 cement: 6 sand: 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth	19.45 m^3	18.45 X 3050 = ₹56272
4	Providing and laying Non Pressure NP-3 class (Medium duty) R.C.C. pipes including collars/spigot jointed with stiff mixture of cement mortar in the proportion of 1:2 (1 cement: 2 fine sand) including testing of joints etc. complete 900mm dia	40 Mtr	Const. of Manhole complete with lid etc. manhole covers heavy duty	16 No.	16 X 3000 = ₹48000
5	Providing Tor steel/TMT Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, binding and placing in position complete including cost of binding wire upto all heights including carriage of material in all leads and lifts.	474 Kg	Steel work welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red lead paint. In gratings framed guard bars, ladders, railing, brackets and similar works.	11.6 Qtl	1085.56 X 110 = ₹119411
6	Providing and laying cement concrete 1:3:6 (1 cement:3 sand: 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding cost of centring and shuttering in: foundation and plinth	27.6 m^2	Providing and laying cement concrete work 1:2:4 (1 Cement:2 Sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work and reinforcement	12.6 m^3	13.67 X 5200 = ₹71084

			for reinforced concrete work		
7	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement: 2 sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)laid in one layer finished with a floating coat of neat Cement.50mm thick	80 m^2			

4. उपरोक्त के अतिरिक्त मापन पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों में पाई गई निम्नलिखित विसंगतियाँ भी इस कार्य के वास्तविक निष्पादन को संदिग्ध बनाती हैं।

I. मापन पुस्तिका के पृष्ठ 92 पर 16 मेनहोल निर्माण के लिये ₹3000/– प्रत्येक की दर से ₹48000/– का भुगतान किया गया था। परन्तु इसके साथ ही पृष्ठ 92–93 पर 1085.56 किलोग्राम ***स्ट्रक्चरल स्टील*** का प्रयोग करके ₹110/– प्रति किग्रा की दर से ₹119411/– का भुगतान ***"ड्रेन कवर"*** बनाने के लिये भी किया गया था। सामान्य ज्ञान के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि मेनहोल भूमीगत सीवरेज में बनाये जाते हैं जिनमें लोहे अथवा सीमेन्ट के ढक्कन प्रयोग किये जाते हैं जबकि नालों के खुले चैनलाईजेशन में सीमेन्ट से यू–आकार की नाली बनाकर उन पर लोहे के "ड्रेन कवर" लगाये जा सकते **है परन्तु एक ही नाले के चैनलाईजेशन में "मेनहोल" तथा "ड्रेन कवर" दोनों का एक साथ निष्पादन व भुगतान संशयपूर्ण है** क्योंकि इस कार्य में कहीं भी यू–आकार की नाली के निष्पादन का कोई वर्णन नहीं है।

II. इस कार्य में कुल खुदाई 136.70 मीटर लम्बाई के लिये हुई थी जिसमें 135 मीटर लम्बे भूमीगत सीमेन्ट पाईप डाले जाने का भुगतान किया गया है जिसमें 0.90X0.90 mtrs आकार के उपरोक्त वर्णित 16 मेनहोल का भुगतान अलग से किया गया था। यह सर्वविदित है कि भूमिगत सीमेन्ट पाईप मेनहोल के बीच में नहीं डाला जाता है परन्तु सीमेन्ट पाईप का भुगतान करते समय 135 मीटर लम्बाई में से उसके लिये ₹24624/– (16X0.9=14.40 mtrs X 1710 =₹24624) की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार यदि यह कार्य वास्तव में निष्पादित हुआ भी है तो इसमें संविदाकार को स्पष्टतः **₹24624/– का अनुचित लाभ** पहुँचाया गया है।

III. और यदि सारे नाले मे पूर्ण लम्बाई के लिये 135 मीटर लम्बे भूमीगत सीमेन्ट पाईप डाला ही गया है तो फिर स्पष्टतः इसमें मैनहोल बनाये ही नहीं गये थे तथा इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त प्रमींक 7.1 पर वर्णित 16 मैनहोल के लिये **₹48000/– का भुगतान झूठा है और मात्र संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये किया गया है** यदि यह कार्य वास्तव में निष्पादित हुआ भी है तो।

IV. **यह नाला भूमीगत चैनलाईजेशन के बाद बन्द कर दिया गया था यह तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि अन्त में मद संख्या 6 में 136.70 मीटर की लम्बाई के लिये 1:2:4 अनुपात में 1 मीटर चौड़ तथा 0.10 मीटर मोटा कन्क्रीट बिछाकर 13.67 वर्गमीटर के लिये ₹71084/– भुगतान किया गया था।** परन्तु इसमें भी 16 मैनहोल के लिये कोई कटौती नहीं करके संविदाकार को स्पष्टतः **₹6760/– का अनुचित लाभ** पहुँचाया गया है। (16X0.90X0.90X0.10=1.30m³ X 5200 =₹6760)

V. **इस आधार पर यह विसंगति भी उत्पन्न हाती है कि जब मैनहोल के साथ भूमिगत ड्रेनेज बनाया गया है तो फिर प्रश्न उठता है कि लगभग 1100 किलोग्राम के "ड्रेन कवर" कहाँ प्रयोग किये गये क्योकि बन्द नाले में इनका कोई औचित्य नहीं है। और यह ₹119411/– का झूठा भुगतान मात्र संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये किया गया है** यदि यह कार्य वास्तव में निष्पादित हुआ भी है तो।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह भुगतान अति संदेहास्पद प्रतीत होने के साथ–साथ वर्णित तथ्य इस कार्य में झूठी प्रविष्टियाँ दर्ज करके किये गये सम्भावित गबन की ओर भी इन्गित करते हैं। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–176 दिनांकः 10/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच

करके न केवल अनियमित भुगतान की वसूली परन्तु दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.9) वाउचर संख्या 84 माह 06/2021 तथा 297 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹11.14 तथा ₹9.16 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों में संदिग्ध, अनियमित तथा अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 84 माह 06/2021 तथा 297 माह 10/2021 द्वारा क्रमशः ₹1114261/– तथा ₹916304/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान श्री गुरदास चंदेल संविदाकार को किया गया था। इन निर्माण कार्यों में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैः–

1. **P/L 80mm ISI Mark tiles on internal roads of HBC Colony Phase-1 & 2 #230 to 233, 243 to 245, 65 to 73 Baddi** :

1	Contractor	Gurdas Chandel
2	MB and Page	85/ 42-44
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/2148-52 dated 26-11-2020
4	Award amount	₹1003974/-
5	Final Bill amount	₹726254/-
6	Date of start	01-12-2020
7	Date of completion	30-09-2021
8	Time allowed	60 Days

2. **P/L 80mm ISI Mark tiles on internal roads of HBC Colony Phase-1 & 2 # 502 and near # 437 Saimandir, # 310 street, Baddi**:

1	Contractor	Gurdas Chandel
2	MB and Page	85/ 45-48
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/2143-47 dated 26-11-2020
4	Award amount	₹1007974/-
5	Final Bill amount	₹462337/-
6	Date of start	01-12-2020
7	Date of completion	30-09-2021
8	Time allowed	Sixty days.

3. इन दोनो ही कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन तथा निविदा सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और नस्तियों में केवल ऑनलाईन टैंडर की तुलना विवरणियाँ ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दर देने वाले संविदाकार श्री गुरदास चंदेल के साथ कार्य निष्पादन से पूर्व कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं है।

4. आबन्टन पत्र के अनुसार निम्नलिखित 5 मदों को दोनो ही कार्यों में निष्पादित किया जाना था परन्तु मापन पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें से मद संख्या 4, 1:2:4 अनुपात में कन्क्रीट, को छोड़कर बाकी चार ही मदों का निष्पादन करवाया गया था ।

Item Number	Brief description of item as per estimate and tender documents	Awarded Qty in Work 1	Qty executed in Work 1	Awarded Qty in Work 2	Qty executed in Work 2
1	Cutting in earth work and disposal of excavated earth upto a lead of 20 metres Pick/Jumper Work	260.40 m^3	313.83 X 100 = ₹31383	260.40 m^3	315.21 X 100 = ₹31521
2	Provding, laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadum specification including premixing the material with water at OMC in mechanical mixer(PUG Mill) carriage of mixed material by tipper to site. Laying in uniform layers in sub base base course in a well prepared sub base and compacting with a smooth wheel layer 80-1000 Kn wait to achieve the desired density including lighting, barricading and maintainence of diversion etc as per table 400.11 and 400.22 and technical specification clause by mechanical means upto 1 km lead	130-20 m^3	156.91 X 1000 = ₹156910	130.20 m^3	126.53 X 1000 = ₹126530
3	Interlocking Concrete Block Pavement Providing and laying of interlocking Concrete Block Pavements ISI Mark having thickness 80mm as per drawing and technical Specification Clause 1504	1302.00 m^2	1569.16 X 585 = ₹917958	1302.00 m^2	1265.39 X 585 = ₹740253
4	Providing and laying cement concrete work 1:2:4 (1 Cement:2 Sand:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work	22.96 m^2	0 X 3400 = ₹0	22.96 m^2	0 X 3400 = ₹0
5	Raising the height of chambers of newly laid sewerage including fixing of ring and providing old cover Market Rates	8 No.	8 X 1000 = ₹8000	18 No.	18 X 1000 = ₹18000
	Total		₹1114251		₹916304

5. इन कार्यों के प्रथम चलत बिलों का भुगतान वाउचर संख्या 84 माह 06/2021 द्वारा क्रमशः ₹387997/– तथा ₹453967/– के लिये किया गया था। भुगतान वाउचर में दिये सन्दर्भ के अनुसार इस भुगतान की मापन प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका 79 के क्रमशः पृष्ठ 62–64 तथा 65–67 पर दर्ज हैं। परन्तु परिशिष्ट "30" पर संलग्न सूचना के अनुसार वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा

कार्यग्रहण करते समय यह मापन पुस्तिका उनके पूर्ववर्ती कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा चार्ज हैण्डओवर करते समय नहीं दी गई है। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है कि लाखों और सम्भवतः करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों का विवरण जिस मापन पुस्तिका में दर्ज है वह कार्यालय अभिलेख में न केवल उपलब्ध ही नहीं है परन्तु लगभग दो वर्ष पहले यह मामला सामने आ जाने पर भी अभी तक नगर परिषद् द्वारा इस पर नियमानुसार अपेक्षित कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जाँच करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई के साथ–साथ दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाये।

6. इन दोनों ही निर्माण कार्यों की निष्पादित मदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन रास्तों/सड़कों के निर्माण में पेवर ब्लॉक को अपने स्थान पर बांधकर रखने के लिये किनारों पर 1:2:4 की मात्रा में सीमेन्ट कन्क्रीट बिछाकर न तो लॉकिंग बॉण्ड बनाये गये थे और न ही न तो कोई क्रॉस बॉण्ड जोकि इन्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक को स्थायीत्व प्रदान करने के लिये अति आवश्यक है। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस प्रकार बिना बॉण्डिंग के बिछाये गये सीमेन्ट पेवर ब्लॉक की मजबूती व स्थायीत्व पूर्णतः संदिग्ध है। इस अनियमितता को तकनीकी रूप से प्रमाणित (Justify) किये जाने की आवश्यकता है। **इस अति आवश्यक मद को निष्पादित नहीं करवाना संशय पैदा करता है कि क्या वास्तव में यह कार्य धरातल पर करवाये भी गये हैं अथवा नहीं?**

7. इन दोनों कार्यों की प्रथम मद में 0.30 मी. खुदाई करके दूसरी मद में 0.10 मी. मोटाई में रेत बजरी का वैट मिक्स (Wet Mix) तथा तीसरी मद में 0.08 मी. मोटाई के पेवर ब्लॉक बिछाने के बाद भी सड़क का नया धरातल स्तर पुराने की तुलना में 0.12 मी. नीचे है। ***क्योंकि यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है कि (आबन्टन पत्र के अनुसार) नई बिछाई गई सीवरेज लाईन के चैम्बर पुरानी सड़क के धरातल स्तर की तुलना में गहराई में बनाये गये थे।*** उपरोक्त गणना अनुसार जब सड़क का नया धरातल स्तर पुराने की तुलना में पहले ही 0.12 मीटर नीचे है तो फिर इन दोनों कार्यों में जो 26 (8+18) चैम्बरों की उंचाई बढ़ाने के लिये ₹1000/– प्रति चैम्बर की दर से **जो ₹26000/– का भुगतान किया गया था वह पूर्णतः संदिग्ध व झूठा प्रतीत होता है और यह मद वास्तव में संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँाने के उद्देश्य से ही मापन पुस्तिका में दर्ज की गई है।** अतः इस राशि की वसूली अपेक्षित है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–182 दिनांकः 15/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नही पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.10) वाउचर संख्या 298 माह 10/2021 द्वारा ₹11.65 लाख तथा 299 माह 10/2021 द्वारा ₹7.17 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों का संदिग्ध भुगतान एवं सम्भावित गबन

वाउचर संख्या 298 माह 10/2021 द्वारा ₹11,64,818/– तथा 299 माह 10/2021 द्वारा ₹7,16,672/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान क्रमशः श्री कमल कुमार तथा हरपाल संविदाकारों को किया गया था। इन निर्माण कार्यों में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैः–

1. **Channelization of Nallah in ward No. 3 for Herbal Park Suraj Majra Baddi ((Rd0/0 to 0/45 mtrs):**

1	Contractor	Kamal Kumar
2	MB and Page	85/59-62
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020-211-215 dated 12-02-2020 ***As recorded in MB at page 59*** ***No other record except than MB has been put up to audit***
4	Estimated cost	Data not available
5	Award amount	Data not available
6	Final Bill amount	₹1164818/-

2. **Channelization of Nallah in ward No. 3 for Herbal Park Suraj Majra Baddi ((Rd 0/45 to 0/90 mtrs):**

1	Contractor	Harpal Singh
2	MB and Page	85/63-66
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020-216-220 dated 12-02-2020
4	Estimated cost	₹1378184/- (HPSR 2009 cost ₹950472/- + 45% Cost index ₹427712/-)
5	Award amount	₹920692/-
6	Final Bill amount	₹716672/-

3. क्रमांक 2 पर वर्णित कार्य जोकि श्री कमल कुमार द्वारा निष्पादित है की मापन पुस्तिका के पृष्ठ 59 से 62 के अनुसार वर्णित हर्बल पार्क के नाले के चैनलाईजेशन का कार्य आर. डी. 0/0 से 0/45 तक ₹11,64,818/– की लागत से निम्नलिखित मदों के साथ निष्पादित किया गया था। परन्तु इस भुगतान के समर्थन में अंकेक्षण के समक्ष मात्र मापन पुस्तिका तथा रोकड़िये का भुगतान वाउचर ही प्रस्तुत किये गये थे।

अंकेक्षण हेतु इस निर्माण कार्य का प्राक्कलन, निविदा सूचना, टैंडर प्रक्रिया का अभिलेख, आबन्टन पत्र इत्यादि कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

Item no. as per MB	MB Page	Description	Qty executed	Rate paid (₹)	Total amt paid (₹)
1	60	Excavation in drain and channels etc in earth work i/c dressing of side and bed and disposing of excavated earth up to a lead of 20 mtr and lift up to 1.5 mtr. Disposed earth to be leveled and neatly dressed in pick work.	536.1 m^3	40.00	21444.00
2	60-61	Providing and laying cement conc. 1:6:12 [1cement 6sand 12graded stone aggregate 40mm nominal size]and curing complete excluding cost of centering and shuttering in foundation and plinth.	57.93 m^3	1780.00	103115.00
3	61	Providing form work with steel plates 3.15mm welded with angle iron in frame 30x30x 5 mm so as to give a fair finish including centring, shuttering, strutting and propping etc. height of propping and centring below supporting floor to ceiling not	1009.19 m^2	50.00	50459.00
4	62	Providing and laying reinforced cement conc. work 1:2:4[1cement 2 sand 4graded stone aggregate 20mm nominal size]and curing complete excluding cost of form work and reinforcement for reinforced conc. work in :-Suspended floor, roof, landing and shelves and their suport balconies beams girders and breasumers and cantilevers up to floor to level.	282.80 m^3	3500.00	989800.00
		Total			1164818.00

4. इसी प्रकार क्रमांक 2 पर वर्णित कार्य जोकि श्री हरपाल सिंह द्वारा निष्पादित दर्शाया गया है की मापन पुस्तिका के पृष्ठ 63 से 66 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार वर्णित हर्बल पार्क के नाले के चैनलाईजेशन का कार्य आर. डी. 0/45 से 0/90 तक दो मदों के लिये ₹7,16,672/– की लागत से निष्पादित किया गया था। जबकि इस कार्य के आबन्टन पत्र के अनुसार 7 मदें निष्पादित की जानी थीं परन्तु केवल क्रमांक 4 व 6 की दो ही मदें निम्न विवरणानुसार निष्पादित की गई हैं।

Item no. as per MB	MB Page	Description as per award letter	Qty awarded	Qty executed	Rate paid (₹)	Total amt paid (₹)
1	--	Excavation in drain and channels etc in earth work i/c dressing of side and bed and disposing of excavated earth up to a lead of 20 mtr and lift up to 1.5 mtr. Disposed earth to be leveled and neatly dressed in pick work.	135 m^3	0	0	0
2	--	Providing and laying cement conc. 1:6:12 [1cement 6sand 12graded stone aggregate 40mm nominal size]and curing complete excluding cost of centering and shuttering in foundation and plinth.	40.50 m^3	0	0	0
3	--	Providing form work with steel plates 3.15mm welded with angle iron in frame 30x30x 5 mm so as to give a fair finish including centring, shuttering, strutting and propping etc. height of propping and centring below supporting floor to ceiling not exceeding 4 meters and removal of the same for in situ reinforced concrete and plain concrete work in		0	0	0
3.01	--	(A) Vertical wall surfaces such as wall (any thickness) partitions of the like including attached pillasters buttresses, plinth and string courses and the like.	450.00m^2	0	0	0
3.02	--	B) flat surfaces such as soffits of suspended floor roof landing and the like.	90.00m^2	0	0	0
4	65	Providing and laying cement conc. 1:3:6 (1 cement 3 sand 6 graded stone aggregate 20mm nomina size) and curring complte excluding cost of form	20.25 m^3	21.46 m^3	2690.00	57727.00
5	--	Cement conc flooring 1:2:4[1cement 2sand 4graded	9.00 m^2	0	0	0

		stone aggregate 20mm nominal size]laid in one layer finished with a floating coat of neat cement 50mm thick.				
6	64 & 65	Providing and laying reinforced cement conc. work 1:2:4[1cement 2 sand 4graded stone aggregate 20mm nominal size]and curing complete excluding cost of form work and reinforcement for reinforced conc. work in :-Suspended floor, roof, landing and shelves and their suport balconies beams girders and breasumers and cantilevers up to floor to level.	166.81 m^3 & 21.46 m^3	166.81 m^3 & 21.46 m^3	3500.00 & 3500.00	583835.00 & 75110.00
7	--	Providing mild steel/tor steel reinforcement for R.C.C. Work I/C bending binding and placing in position complete up to floor two level Tor Steel.	7370 Kg	0	0	0
		Total				716672.00

5. यह भुगतान निम्नलिखित कारणों से अत्याधिक संदेहास्पद प्रतीत होता है;

I. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही कार्य, जिसमें 90 मीटर की नाले की चैनलाईजेशन की जानी थी, को दो भागों में बांटा गया है जिससे के नियमानुसार अपेक्षित निदेशक की स्वीकृति लेने से बचा जा सके।

II. अंकेक्षण हेतु इनसे सम्बन्धित मात्र मापन पुस्तिका तथा आबन्टन पत्र ही प्रस्तुत किये गये।

III. आबन्टन पत्रों में कार्य पूर्ण करने हेतु कोई अवधि दर्ज नहीं की गई है।

IV. नस्ति में संलग्न प्राक्कलन को न तो अभियन्ता और न ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

V. इस कार्य से सम्बन्धित निविदा सूचना तथा टैंडर प्रक्रिया का अभिलेख इत्यादि कुछ भी अंकेक्षण हेतु इस उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

6. **क्रमॉक 2 पर वर्णित कार्य का भुगतान निम्नलिखित विसंगतियों के आधार पर न केवल संदिग्ध परन्तु गलत भी प्रतीत होता है;**

I. इस कार्य में मात्र 1:2:4 तथा 1:3:6 अनुपात के कन्क्रीट का निष्पादन ही दर्शाया गया है।

II. यदि आर. डी. 0/45 से 0/90 तक खुदाई, 1:6:12 अनुपात के कन्क्रीट के साथ नींव तथा शटरिंग जैसी महत्वपूर्ण मदें निष्पादित ही नहीं हुई तो यह कन्क्रीट की दो मदों का निष्पादन तथा भुगतान भी असम्भव तथा गलत ही प्रतीत होता है। शटरिंग के बिना यह कन्क्रीट की सुरक्षा दीवार किस प्रकार बनाई गई है इसे तकनीकी रूप से प्रमाणित किया जाये।

III. दोनों कार्यों कार्यों के समानान्तर अवलोकन तथा उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह पूर्णतः सम्भव प्रतीत होता है कि यदि दोनों नहीं तो कम से कम क्रमॉक 2 पर वर्णित हरपाल सिंह द्वारा निष्पादित दर्शाया गया कार्य वास्तव में धरातल पर निष्पादित ही नहीं करवाया गया है।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह भुगतान अति संदेहास्पद प्रतीत होता है। वर्णित तथ्य इस कार्य में गलत प्रविष्टियाँ दर्ज करके किये गये भुगतान की ओर इंगित करती हैं। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–184 दिनांकः 16/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः न. प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नही पाया गया है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके न केवल अनियमित भुगतान की वसूली परन्तु दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.11) पेवर ब्लॉक को बांधकर रखने के लिये किनारों पर कन्क्रीट बिछाकर लॉकिंग बॉण्ड व बीच में क्रॉस बॉण्ड न बनाकर निर्माण कार्यों में ₹10.56 लाख संदिग्ध भुगतान

अवधि 04/21 से 04/24 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में माह 10/2021 में वाउचर संख्या 303 तथा 305 द्वारा भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैः–

1. **P/F of 80mm thick ISI Mark tiles in ward No. 7 near Ridhi Enterprises.**

1	Voucher No.	303 of 10/2021		
2	Contractor	Ajay Thakur		
3	MB and Page	83/96-98		
4	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/........ dated		
5	Award amount	₹586550/-		
6	Final Bill amount	₹330340/-		
7	Date of completion	23-10-2021		
8	**Audit Memo No.**	सहा॰ नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2024 / –185 दिनांक: 18 / 07 / 2024		
9	Items executed	Detailed below		
Item Number	MB Page	Brief description of item	Qty executed	Amt
1	97	Excavation in foundations, trenches etc. in earth work, lift upto 1.50 mts stacking the excavated soil not more than 3 mts clear from the edge of excavation & then returning the stacked soil in 15cm layers, when required into the plinths sides of foundations etc. consolidating each deposited layer by ramming and watering and then disposing of all surplus excavated earth as directed with in a lead of 20mts.	60.40 X ₹245	14798
2	97	P/L Cement conc. 1:6:12(1 cement: 6 sand: 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth	28.99 X ₹3050	88429
3	98	Interlocking Concrete Block Pavement Providing and laying of interlocking Concrete Block Pavements having thickness 80mm as per drawing and technical Specification Clause 1504	241.60 X ₹940	229113
		Total		**₹330340**

2. **P/F 80mm interlocking paver blocks near Birla in W.No. 7 Baddi.**

1	Voucher No.	305 of 10/2021
2	Contractor	Sanjeev Kumar
3	MB and Page	85/32-34
4	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/........ dated ....
5	Award amount	₹563135/-
6	Final Bill amount	₹726525/-
7	Date of completion	22-10-2021
8	**Audit Memo No.**	सहा॰ नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2024 / –187 दिनांक: 18 / 07 / 2024
9	Items executed	Detailed below

Item Number	MB Page	Brief description of item	Qty executed	Amt
1	33	Excavation in foundations, trenches etc. in earth work, lift upto 1.50 mts stacking the excavated soil not more than 3 mts clear from the edge of excavation & then returning the stacked soil in 15cm layers, when required into the plinths sides of foundations etc. consolidating each deposited layer by ramming and watering and then disposing of all surplus excavated earth as directed with in a lead of 20mts.	158.25 X ₹195	30858
2	33	Provding, laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadum specification including premixing the material with water at OMC in mechanical mixer(PUG Mill) carriage of mixed material by tipper to site. Laying in uniform layers in sub base base course in a well prepared sub base and compacting with a smooth wheel layer 80-1000 Kn wait to achieve the desired density including lighting, barricading and maintainence of diversion etc as per table 400.11 and 400.22 and technical specification clause by mechanical means upto 1 km lead	63.30 X ₹1890	119637
3	33-34	Interlocking Concrete Block Pavement Providing and laying of interlocking Concrete Block Pavements ISI Mark having thickness 80mm as per drawing and technical Specification Clause 1504	633.00 X ₹910	576030
		Total		**₹726525**

उपरोक्त दोनों कार्यों की निष्पादित मदों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन रास्तों/सड़कों के निर्माण में पेवर ब्लॉक को अपने स्थान पर बांधकर रखने के लिये किनारों पर 1:2:4 की मात्रा में सीमेन्ट कन्क्रीट बिछाकर न तो लॉकिंग बॉण्ड बनाये गये थे और न ही न तो कोई क्रॉस बॉण्ड जोकि बिछाये गये इन्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक को स्थायीत्व प्रदान करने के लिये अति आवश्यक हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस प्रकार बिना बॉण्डिंग के बिछाये गये सीमेन्ट पेवर ब्लॉक की मजबूती व स्थायीत्व पूर्णतः संदिग्ध है। इस अनियमितता को तकनीकी रूप से प्रमाणित (Justify) किये जाने की आवश्यकता है। इस अति आवश्यक मद को निष्पादित नहीं करवाना संशय पैदा करता है कि क्या वास्तव में यह कार्य धरातल पर करवाये भी गये हैं अथवा नहीं? कार्य विवरण के क्रमांक 8 पर वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा इन दोनों कार्यों में पाई गई अनियमितता बारे कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाने पर उनके कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024-592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में आवश्यक विस्तृत जाँच हेतु लाया जाता है और अनियमित भुगतान की स्थिति में राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.12) वाउचर संख्या 306 माह 10/2021 द्वारा ₹7.27 लाख की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का भुगतान

वाउचर संख्या 306 माह 10/2021 द्वारा ₹726525/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का भुगतान प्रिया ठाकुर संविदाकार को किया गया था। इन निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं दर्ज की गई हैं:–

1. **P/F 80mm interlocking paver blocks near Birla in W.No. 7 Baddi :**

1	Contractor	Priya Thakur
2	MB and Page	85/32-34
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2020/........ dated ....
4	Award amount	₹664395/-
5	Final Bill amount	₹691029/-
6	Date of completion	22-10-2021

2. आबन्टन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित 6 मदों को निष्पादित किया जाना था।

Item Number	MB Page	Brief description of item as per estimate and tender documents	Awarded Qty in Work 1	Qty executed in Work 1	Amt (₹)
1	33	Excavation in foundations, trenches etc. in earth work, lift upto 1.50 mts stacking the excavated soil not more than 3 mts clear from the edge of excavation & then returning the stacked soil in 15cm layers, when required into the plinths sides of foundations etc. consolidating each deposited layer by ramming and watering and then disposing of all surplus excavated earth as directed with in a lead of 20mts.	43.20 m³	142.78 X ₹195	27842
2	33	P/L Cement conc. 1:6:12(1 cement: 6 sand: 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth	23.31 m³	53.54 X ₹3050	162687
3	33-34	Providing and Laying HDPE (D-Plast)waste water pipes of working pressure not less than 10kg/sqm including filling the joints with approved adhesive complete. 150mm dia	35 Rmt	0	0

4		roviding and Laying HDPE (D-Plast) waste water pipes of working pressure not less than 10kg/sqm including filling the joints wit with approved adhesive complete. 200mm dia	50 Rmt	0	0
5		Raising height of chambers complete in all respect	15 No.	0	0
6		Interlocking Concrete Block Pavement Providing and laying of interlocking Concrete Block Pavements ISI Mark having thickness 80mm as per drawing and technical Specification Clause 1504	487.50 m²	550.00 X ₹910	500500
		Total			₹691029

3. इस कार्य में पेवर ब्लॉक को बांधकर रखने के लिये किनारों पर कन्क्रीट बिछाकर लॉकिंग बॉण्ड बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है परन्तु इस मद को तो न तो प्राक्कलन और आबन्टन पत्र का भाग बनाया गया है और न ही निष्पादित किया गया जिसके अभाव में इस सड़क के स्थायीत्व को तकनीकी रूप से प्रमाणित किया जाये।

4. इसमें मद संख्या 3, 4 व 5 जोकि आबन्टन पत्र के अनुसार ₹141250/– (29750+59000+52500) की लागत से निष्पादित करवाई जानी थी परन्तु नही करवाई गई। इस प्रकार अब वास्तविक आबन्टन राशि केवल ₹523145/– (664395–141250) ही शेष है। परन्तु निष्पादित 3 मदों की मात्रा में वृद्धि करके कार्य को **₹691029/–** के लिये निष्पादित करवाया गया है। अतः वास्तविक निष्पादन इन तीन मदों की आबन्टन राशि की तुलना में 691029–523145= ₹167884/– (32.09%) की राशि से अधिक है। **यह स्पष्ट है कि उपरोक्त क्रमाँक 4 पर वर्णित मदों को जब निष्पादित ही नहीं करवाया जाना था उन्हें टैंडर का भाग बनाया जाना न केवल संदेहास्पद है परन्तु स्पष्ट रूप से संविदाकार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है।**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–188 दिनांकः 18/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण के अन्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके अनियमित भुगतान की स्थिति में राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.13) वाउचर संख्या 284 माह 10/2021 द्वारा निष्पादित दर्शाये गये निर्माण कार्य के लिये ₹6.84 लाख का संदिग्ध भुगतान तथा सम्भावित गबन।

वाउचर संख्या 284 माह 10/2021 द्वारा ₹6,83,545/– की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य की अंकेक्षण जाँच में पाई गई निम्नलिखित अनियमितताओं के कारण यह भुगतान पूर्णतः संदिग्ध होने के साथ–साथ यह भी प्रतीत होता है कि वास्तव में यह कार्य धरातल पर निष्पादित ही नहीं हुआ है।

1. **P/L of 80 mm thick ISI Mark tiles in HIMUDA Colony, Ward No. 9, MC Baddi.**

1	Contractor	Rajan
2	MB and Page	83/53-57
3	Award letter & Date	M.C. Baddi/Award letter/2021 ______ dated ____________ ***Neither any dispatch number assigned nor date of dispatch recorded.***
4	Estimated cost	₹566206/-
5	Award amount	₹603045.50/-
6	Final Bill amount	₹683545/-
7	Date of start	29-09-2021
8	Date of completion	15-10-2021

2. इस कार्य का आबन्टन ऑनलाईन के स्थान पर ऑफलाईन माध्यम से किया गया, जिसकी कोई भी निविदा सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध उपलब्ध नही करवाई गई, आबन्टन पत्र में प्रेषण संख्या और दिनांक दर्ज नहीं की गई तथा इस कार्य के प्राक्कलन, निविदा तुलना विवरणी को भी कनिष्ठ अभियन्ता तथा कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

3. आश्चर्यजनक रूप से जो तीन संविदाकार सर्वश्री ऐस के ऐस बिल्डर्ज, श्री यशपाल, तथा श्री राजन निविदा में भाग लेते दर्शाये गये हैं उनमें से किसी के द्वारा दी गई निविदाओं को हस्ताक्षरित नही किया गया था।

4. न्यूनतम दर देने वाले संविदाकार श्री राजन के साथ कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही है और न ही आबन्टन पत्र को कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका संख्या 83 में बिल के अन्तिम पृष्ठ 57 पर मात्र तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के ही हस्ताक्षर हैं। इसे न तो सहायक अभियन्ता द्वारा नमूना जांच के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है और न ही इसमें आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण यह भुगतान संदेहास्पद तथा झूठा होने के साथ–साथ एक सम्भावित गबन भी प्रतीत होता है। जिसकी विभागीय स्तर पर पड़ताल करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–171 दिनांकः 08/07/2024 द्वारा सूचित किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनाँक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस मामले की विस्तृत जाँच करके न केवल अनियमित भुगतान की वसूली परन्तु दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.14) निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कटौती न करना

हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के संरक्षण एवं दोहन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर नियम तथा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी कारण इनके अवैध खनन तथा प्रयोग के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है। किसी भी निर्माण कार्य में प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिजों जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि का उत्खनन किसी वैध स्त्रोत से किया गया है अथवा नहीं इसके प्रमाण के रूप में वैध खदान/क्रशर लाईसैंस धारक द्वारा ***हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) (Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing) द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 77 व 79 के अनुसार फॉर्म ''डब्ल्यू'' (ट्रान्जिट पास) तथा फॉर्म ''ऐक्स'' (सप्लीमैन्ट्री ट्रान्जिट पास) (Form "W" (Transit Pass) and Form "X" (Supplementary Transit Pass))*** जारी किये जाते हैं।

सरकारी राजस्व के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किये गये वैध खनन के लिये रॉयल्टी वसूल की जाती है जिसकी दरें उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रतिपादित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये वर्णित नियमों के अध्याय 7– PREVENTION OF ILLEGAL MINING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF MINERALS –के नियम 71 व 72 में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

यदि यह क्षुद्र खनिज सरकार द्वारा अनुमोदित खदान अथवा क्रशर से खरीदे गये हैं तो इनके लिये देय रॉयल्टी सरकार को जमा करवाने का दायित्व प्रयोगकर्ता के स्थान पर खदान अथवा क्रैशर के लाईसैंसधारक का होता है जिसके लिये फॉर्म–डब्ल्यू व ऐक्स जारी किये जाते हैं। यदि उपयोगकर्ता के पास उक्त फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिज अवैध स्त्रोत से प्राप्त किये गये हैं।

परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षणावधि में निष्पादित निर्माण कार्यों में प्रयोग किये गये क्षुद्र खनिजों को वैध स्त्रोत से उत्खनन किये जाने के प्रमाण के रूप में बिलों के साथ न तो ***फॉर्म "डब्ल्यू" तथा फॉर्म "ऐक्स"***– संलग्न किये गये हैं और न ही नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की गई है।

इस अनियमितता के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग/शिमला/2024/–160 दिनांकः 28/06/2024 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः न.प.बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया था। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों तथा कार्यकारी अधिकारी की जानकारी में विशेषतया लाया जाता है ताकि इस बारे में ***हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा)*** के अधिकारियों के साथ चर्चा उपरान्त इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये। इसके साथ ही इन सब बिलों से काटी जाने वाली अपेक्षित रॉयल्टी राशि की गणना व वसूली करके उद्योग विभाग को जमा करवाना तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.15) निर्माण कार्यों की प्रतिभूति के रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

नगर परिषद् द्वारा अवधि 03/2021 से 03/2024 तक निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यों की जो सूचना अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी उसके अवलोकन पर पाया गया कि निम्न तालिका में संकलित विवरणानुसार कुल **510** निर्माण कार्य निष्पादित करवाये गये जिनमें **₹2,10,43,964/–** की राशि की कटौती

प्रतिभूती राशि के रूप में की गई थी। परन्तु इसके लिये प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। यह कटौती नगर परिषद् के लिये संविदाकारों के प्रति प्रतिबद्ध देयता (Committed liability) है। इस राशि में से अधिकतर राशि को अंकेक्षण किये जाने तक चुकता किया जा चुका था **परन्तु प्रतिभूति रजिस्टर जैसे संकलित अभिलेख के अभाव में इसका सत्यापन सम्भव नहीं हो सका है, और न ही इसे चुकता किये जाते समय इसमें दोहरे भुगतान की सम्भावना को स्पष्टतयः नकारा जा सकता है।** इसके अतिरिक्त **यह भी सत्यापन नहीं किया जा सका था कि प्रतिभूति राशि चुकता करते समय कहीं (छः माह से पूर्व अथवा तीन वर्ष के पश्चात चुकता नहीं किये जाने की) प्रावधित समयसीमा का उलन्धन तो नहीं किया गया था।** इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा अपने गत कई प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज किये जाने के पश्चात भी नगर परिषद् द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण अब तक नहीं किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरक्त आवश्यक अनुपालना करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	वर्ष	उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निष्पादित निर्माण कार्यों की संख्या	उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार प्रतिभूति रूप में कटौती की गई राशि (₹)
1	2021—22	223	7743930
2	2022—23	163	7404392
3	2023—24	124	5895642
	कुल योग	**510**	**21043964**

18. **अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।**

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् लेखा संहिता—1975 के नियम 152(1) के अनुसार परषिद् के लिये प्रारूप आर—1 तथा आर—1बी (R.I. and R.I.B.) के अनुसार अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है। परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग—शिमला/2024/—24 दिनांकः 23/01/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि इस नियम की अवहेलना करते हुये सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नही किया गया था। इस बारे में गत कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने पर भी नगर परिषद् बद्दी द्वारा अनुपालना नही की गई है। अतः एक बार पुनः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19. स्टॉक रजिस्टरों में लेखाँकन बारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ।

(19.1) क्रय किये गये स्टॉक/सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना

नगर परिषद् के अवधि 04/2021 से 03/2024 के अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि क्रय की गई निम्न तालिका में वर्णित सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में इस सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

Sr	Vr. No.	Date	CB P	Supplier	Particulars	Total Payment (₹)
1	261	5.10.2021	125	RKS Computers and Peripherals, Solan	Purchase of HP All in One PC, Antivirus, UPS & Pen Drive	55222
2	264	7.10.2021	126	Shiv Enterprises, Pinjore	Blankets, Pillow, Towel, Mat, Bedsheet, AC Sheet etc., Cartridge	71033
3	265	7.10.2021	126	Sushma Chopra Kalka	Caps on Swachta Saptah 2021	24000
4	271	7.10.2021	126	Ajit Electricals	Wire, MCB, Holder, Screw, Sheet, Power Set etc & Bearing, Extension, Fan Ceiling etc.	28403
5	282	12.10.2021	127	Krishna Agricultural Tools	Fogging MachineS	170000
6	36	26.4.2022	174	RKS Computers and Peripherals, Solan H.P.	Epson Inkjet Color Printer	19900
				Total		368558

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2024/–107 दिनांकः 22/04/2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः न.प. बद्दी/2024–592 दिनांक 20.07.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार चूकसुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(19.2) स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2024/–24 दिनांकः 23/01/2024 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में स्टोर/स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है।
2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमो, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर परिषद् द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की गई थी तथा स्थाई व अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।
3. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

20. **लघु आपत्ति विवरणिकाः**— यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

21. **निष्कर्ष**:— लेखों के रख–रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

04 NOV 2024

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष 0177–2620881

का०/प्रति
4969 – 4971

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(2)(सी)(15)V 105/2012 खण्ड–4 दिनांक, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधान सभा, शिमला–04 (हि०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत

3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

04 NOV 2024

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष 0177–2620881

का०/प्रति

संख्या 1 (ध) में सन्दर्भित

नगर परिषद बद्दी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1999 से 3/2005

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 1	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा 2	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा 3(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा 3(ड)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
5	पैरा 4(1)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	पैरा 4(2)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24

				खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
7	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	₹40790 की कम वसूली।	
8	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	₹191869 की कम वसूली।	
9	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	₹25000 की कम वसूली।	
10	पैरा 5(घ)(1)	अनिर्णीत	₹2164 की कम वसूली।	
11	पैरा 5(घ)(2)	अनिर्णीत	₹3801 की कम वसूली।	
12	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	महावीर (वर्धमान) स्पिनिंग मिल को ₹4133660 का अनुचित लाभ।	
13	पैरा 5(च)(1 से 5)	निर्णीत	बसीका पंजीकरण लेखे तैयार करने में त्रुटियाँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा 5(छ)(1)	अनिर्णीत	भवन निर्माण मैप शुल्क– ₹2986 की कम वसूली।	
15	पैरा 5(छ)(3)	आंशिक निर्णीत	भवन निर्माण मैप शुल्क– ₹4500 की कम वसूली।	(क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 से देय क्रमशः 1000, 1000, 1000 व 500 की राशि जी–8 संख्या 5082, 5085, 5080 व 5089 द्वारा दिनाक 16.8.2007, 16.8. 2007, 14.8.2007 व 27.8.2007 द्वारा वसूल कर ली गई। क्रम संख्या 5 व 6 के पक्ष में भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए।
16	पैरा 5(छ)(4)	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
17	पैरा 5(छ)(5)	निर्णीत	भवन निर्माण मैप पारित करने में औपचारिकताएँ वाँछित।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
18	पैरा 5(ज)(1 से 5)	निर्णीत	पशुबधशाला आय।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
19	पैरा 5(झ)	निर्णीत	तहबाजारी शुल्क।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा 5(ञ)	निर्णीत	अवर्गीकृत आय।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
21	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत	सीनेमा शुल्क।	
22	पैरा 5(ठ)	निर्णीत	जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
23	पैरा 5(ढ)	निर्णीत	अभिलेख के रखरखाव में औपचारिकताएँ वाँछित।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
24	पैरा 5(ण)	निर्णीत	अभिलेख के रखरखाव में औपचारिकताएँ वाँछित।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।

25	पैरा 6(क)	निर्णीत	₹11000 का अनुचित भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
26	पैरा 6(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
27	पैरा 6(ग)	निर्णीत	ट्रैक्टर ट्राली से कूड़ा उठाने की दर में बढ़ौतरी।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
28	पैरा 6(घ)	निर्णीत	बिजली बिल के भुगतान में अस्पष्टता।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
29	पैरा 6(ङ)	निर्णीत	अनुचित भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
30	पैरा 6(च)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या:फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
31	पैरा 6(छ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
32	पैरा 6(ज)	निर्णीत	कूड़ा निपटान बिल में भुगतान में अस्पष्टता।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
33	पैरा 6(झ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
34	पैरा 6(ञ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
35	पैरा 6(ट)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

36	पैरा 6(ठ)	निर्णीत	वाउचर संख्या 3 मास 02/2001 के भुगतान मे औपचारिकताएँ वाँछित।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
37	पैरा 6(ड)	निर्णीत	भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
38	पैरा 6(ढ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
39	पैरा 6(ण)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
40	पैरा 6(त)	अनिर्णीत	वाउचर संख्या 11 मास 05/2001 से ₹6029 के भुगतान में से ₹1230 की वसूली अपेक्षित।	
41	पैरा 6(थ)	निर्णीत	वाउचर संख्या 13 मास 05/2001 के भुगतान में औपचारिकताएँ वाँछित।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
42	पैरा 6(द)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
43	पैरा 6(ध)	निर्णीत	मूल अनुबन्ध की शर्तों को बदलना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
44	पैरा 6(न)	निर्णीत	वाउचर संख्या 22 मास 05/2001 के भुगतान में औपचारिकताएँ वाँछित।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
45	पैरा 6(प)	निर्णीत	₹52008 के भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
46	पैरा 6(फ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
47	पैरा 6(ब)	निर्णीत	बिजली बोर्ड को भुगतान किये गये ₹7400 के अग्रिम का समायोजन वांछित।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।

48	पैरा 6(भ)(1 से 4)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
49	पैरा 6(म)(1 से 3)	निर्णीत	वाउचर संख्या 32 मास 07/2002 से ₹22528 के भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
50	पैरा 6(य)	निर्णीत	वाउचर संख्या 16 मास 01/2003 से ₹26000 के भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
51	पैरा 6(र)	निर्णीत	₹35000 की प्रतिपूर्ती अपेक्षित।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
52	पैरा 6(ल)	निर्णीत	धरोहर राशि के भुगतान में अभिलेख वांछित।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।
53	पैरा 6(व)	निर्णीत	सुलभ शौचालय अनुबन्ध में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
54	पैरा 6(श)	निर्णीत	सफाई ठेका अवधि अनियमित रूप से एक वर्ष के लिये बढ़ाना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
55	पैरा 6(ष)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
56	पैरा 6(स)	निर्णीत	निर्माण कार्य अभिलेख के रखरखाव में अनियमितताएं।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
57	पैरा 6(ह)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
58	पैरा 7(1 से 19)	निर्णीत	निर्माण कार्य निष्पादन प्रक्रिया में अनियमितताएँ।	
59	पैरा 7(क)(1 से 7)	अनिर्णीत	रैन बसेरा भवन निर्माण में अनियमितताएँ।	
60	पैरा 7(ख)(1 से 7)	निर्णीत	तालाब को मिट्टी से भरने के कार्य में अनियमितताएँ।	
61	पैरा 7(ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या 21 मास 05/2001 से ₹15810 के मस्टर रोल भुगतान में अनियमितताएँ।	

62	पैरा 7(घ)(1 से 4)	निर्णीत	वाउचर संख्या 14 मास 03/2002 से ₹192243 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताऐं।	
63	पैरा 7(ड़)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
64	पैरा 7(च)(1 से 7)	निर्णीत	₹380988 के तीन निर्माण कार्य भुगतानों में अनियमितताऐं।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
65	पैरा 7(छ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
66	पैरा 7(ज)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
67	पैरा 7(झ)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के लिये निविदाएँ आमन्त्रित करने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
68	पैरा 7(ञ)	अनिर्णीत	₹7750 का अधिक भुगतान।	
69	पैरा 7(ट)	निर्णीत	वाउचर संख्या 29 मास 07/2002 से ₹26492 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताऐं।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
70	पैरा 7(ठ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
71	पैरा 7(ड)	अनिर्णीत	तालाब को मिट्टी से भरने के कार्य में अनियमितताऐं।	
72	पैरा 7(ढ)(1 से 5)	निर्णीत	₹295856 तथा ₹138760 के दो निर्माण कार्य भुगतानों में अनियमितताऐं।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
73	पैरा 7(ण)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)

				118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
74	पैरा 7(त)(1 से 3)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
75	पैरा 7(थ)(1 से 5)	अनिर्णीत	₹16590 का अधिक भुगतान।	
76	पैरा 7(द)	निर्णीत	वाउचर संख्या 10 मास 07/2003 से ₹45709 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
77	पैरा 7(ध)	अनिर्णीत	वार्ड नं. 9 में आर डी 0 से 100तक सड़क पक्की करने के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताएँ।	
78	पैरा 7(न)	अनिर्णीत	₹4772 का अधिक भुगतान।	
79	पैरा 7(प)	अनिर्णीत	₹5568 का अधिक भुगतान।	
80	पैरा 7(फ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
81	पैरा 7(ब)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
82	पैरा 7(म)(1 से 4)	निर्णीत	₹31627 का अनियमित भुगतान।	
83	पैरा 7(य)(1 से 3)	अनिर्णीत	वाउचर संख्या 17 मास 07/2003 से ₹271217 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताएँ।	
84	पैरा 7(र)(1 से 2)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

85	पैरा 7(ल)	निर्णीत	वाउचर संख्या 24 मास 03/2005 से ₹106695 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताएँ।	
86	पैर 7(व)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
87	पैरा 7(श)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
88	पैरा 7(ष)	अनिर्णीत	वाउचर संख्या 15 मास 03/2005 से ₹27164 के निर्माण कार्य भुगतान में अनियमितताएँ।	
89	पैरा 7(स)(1 से 4)	निर्णीत	नगर पंचायत क्षेत्र में आवासीय बस्तियों का रख रखाव।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
90	पैरा 7(ह)	निर्णीत	अनियमित भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
91	पैरा 7(क्ष)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
92	पैरा 8(क)	निर्णीत	की मैन की अनियमित नियुक्ति।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
93	पैरा 8(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
94	पैरा 8(ग)	निर्णीत	वाउचर संख्या 19 मास 07/2003 से ₹38448 का अनुचित भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
95	पैरा 8(घ)	निर्णीत	वाउचर संख्या 20 मास 07/2003 से ₹106400 के भुगतान में अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

96	पैरा 8(ङ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
97	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	कोलतार लेखा।	
98	पैरा 9(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
99	पैरा 9(ग)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
100	पैरा 9(घ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5) 118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
101	पैरा 9(ङ)	निर्णीत	स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना।	कृत अनुपालना को सत्यापन कर लिया गया।

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008 तक

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 4(2)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा 4(5)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा 4(7)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा 4(17)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
5	पैरा 4(18)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

6	पैरा 5(3)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
7	पैरा 5(4)	निर्णीत	वेतन से कटौती न करके नगर पंचायत निधि से सामान्य भविष्य निधि अंशदान का हस्तांतरण।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा श्रीमति योगिता बाली के वतन भुगतान अभिलेख के सत्यापन उपरान्त निर्णीत।
8	पैरा 5(5)	आंशिक रूप से निर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुबन्ध पर कर्मचारियों की नियुक्ति।	
9	पैरा 5(6)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
10	पैरा 5(7)	निर्णीत	निर्धारित दर से अधिक दर के फलस्वरूप ₹13950 का अधिक भुगतान तथा बिना सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति से नियुक्ति।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
11	पैरा 5(8)	अनिर्णीत	गृह किराये भत्ते का अनियमित भुगतान व स्टैन्डर्ड लाईसैन्स शुल्क का निर्धारण व वसूली न करना।	
12	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	हस्तांतरित राशि के जमा इन्दराज स्पष्ट न करना।	
13	पैरा 6(4)	निर्णीत	आवासीय आवास के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा 6(6)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
15	पैरा 6(7)(क)	निर्णीत	मानव शक्ति की संख्या के सत्यापन के बिना ठेका राशि का भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
16	पैरा 6(7)(ख)	निर्णीत	गत वर्ष की तुलना में सफाई कार्य पर ₹4422000 की राशि का अधिक व्यय।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
17	पैरा 6(8)	निर्णीत	संविदाओं के बिना क्रय।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
18	पैरा 6(9)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
19	पैरा 6(11)	निर्णीत	भुगतान के विरुद्ध बिल प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
20	पैरा 6(12)	निर्णीत	वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	पैरा 6(13)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.

				ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
22	पैरा 6(14)	अनिर्णीत	₹39486 की आयकर व बिक्री कर की राशि का अधिक भुगतान।	
23	पैरा 6(15)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
24	पैरा 6(16)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
25	पैरा 6(21)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
26	पैरा 6(22)	निर्णीत	भण्डार इन्दराज व उपयोग न दर्शाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
27	पैरा 6(23)	अनिर्णीत	₹11500 की राशि का मानदेय का अनुचित भुगतान।	
28	पैरा 6(25)	निर्णीत	बिजली के मीटरों की स्थापना का विवरण स्पष्ट न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
29	पैरा 6(26)	निर्णीत	भुगतान के समर्थन में व्यय के बिल प्राप्त न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	पैरा 6(27)	निर्णीत	रेहड़ियों का विवरण प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
31	पैरा 6(28)	निर्णीत	मोबाईल के बिलों का अनियमित भुगतान।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
32	पैरा 6(29)(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
33	पैरा 6(29)(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
34	पैरा 6(31)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
35	पैरा 7(1)	निर्णीत	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
36	पैरा 7(2)(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
37	पैरा 7(2)(ख)	अनिर्णीत	तकनीकी अधिकारी द्वारा दर औचित्य पर वैट के रूप में ₹74747 का अधिक भुगतान।	

38	पैरास 7(3)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
39	पैरा 7(3)(क)	निर्णीत	दरों का औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
40	पैरा 7(3)(ख)	निर्णीत	ठेका अवधि की समाप्ति पर पुन: टैन्डर/कोटेशन आमन्त्रित करने की अपेक्षा उसी ठेकेदार की अवधि में बढ़ौतरी।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
41	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	टैन्डर प्रीमियम दर से अधिक प्रीमियम दर के कारण ₹579 का अधिक भुगतान।	
42	पैरा 7(5)(क)	निर्णीत	टैन्डर दरों का औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
43	पैरा 7(5)(ख)	निर्णीत	दर विश्लेषण में दर्शाई बाजार दरों के विरूद्ध कोटेशन प्राप्त न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
44	पैरा 7(6)(घ)	निर्णीत	टैन्डर दर का विभागीय औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
45	पैरा 7(6)(ङ)	अनिर्णीत	कार्य को विलम्ब से पूर्ण करने के परिणामस्वरूप ₹20000 की दण्ड राशि वसूल न करना।	
46	पैरा 7(7)(क)	निर्णीत	टैन्डर प्रीमियम दर का औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
47	पैरा 7(7)(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
48	पैरा 7(7)(ग)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
49	पैरा 7(8)	निर्णीत	पाईपों की खपत स्पष्ट न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
50	पैरा 7(9)	निर्णीत	ठेकेदार से तारकोल के क्रय के विरूद्ध बिल प्राप्त न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
51	पैरा 7(10)(क)	अनिर्णीत	वास्तविक निष्पादन पर 3140.900 किलोग्राम सरिये की वेस्टेज का अनुचित भुगतान।	
52	पैरा 7(10)(ख)	निर्णीत	8mm आकार के सरिये को भार में बदलने हेतु सही गुणनखंड न लगाने के कारण अधिक खपत व ₹446 का अधिक भुगतान।	वसूली का सत्यापन कर लिया गया।

53	पैरा 7(10)(च)	अनिर्णीत	विलम्ब कार्य के लिये दण्ड राशि की वसूली न करना।	
54	पैरा 7(10)(ज)	निर्णीत	इश्यु दर के निर्धारण का अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
55	पैरा 7(12)(क)	अनिर्णीत	अतिरिक्त मद का उच्च दर पर भुगतान करने पर ₹31033 का अधिक भुगतान।	
56	पैरा 7(12)(ख)	अनिर्णीत	विलम्ब कार्य के लिये दण्ड राशि की वसूली न करना।	
57	पैरा 7(12)(ग)	अनिर्णीत	अधिक व्यय की गई राशि के लिये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना।	
58	पैरा 7(12)(घ)	अनिर्णीत	तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न करना।	
59	पैरा 7(13)(क)	निर्णीत	आबन्टित दर का विभागीय औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
60	पैरा 7(13)(ख)	अनिर्णीत	विलम्ब कार्य के लिये दण्ड राशि की वसूली न करना।	
61	पैरा 7(13)(ग)	निर्णीत	अनियमित व्यय।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
62	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय।	
63	पैरा 7(15)	निर्णीत	तकनीकी स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य का निष्पादन।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
64	पैरा 7(16)	निर्णीत	टैण्डर/आबन्टित दरों का विभागीय औचित्य तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
65	पैरा 7(17)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
66	पैरा 7(20)	अनिर्णीत	रेलिंग की खपत के विरूद्ध पैमाईश न करना।	
67	पैरा 7(21)	निर्णीत	सीमेन्ट की वसूली अन्तिम बिल से किया जाना अपेक्षित।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा मूल अभिलेख के सत्यापन उपरान्त निर्णीत।
68	पैरा 7(22)	निर्णीत	बिना आवश्यकता के सरिये का क्रय।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
69	पैरा 7(25) **(यह वास्तव में पैरा 7(23) है क्योंकि पैरा 7 का अन्तिम उप–अनुच्छेद 23 ही है।)**	निर्णीत	भण्डार से जारी सामान के विरूद्ध पावतियाँ प्राप्त न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
70	पैरा 9(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.

				ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
71	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	शेष ₹9467 की राशि की वसूली न करना।	
72	पैरा 9(ग)	निर्णीत	अग्रिमों के विरुद्ध समायोजन लेखे अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
73	पैरा 9(घ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012 तक

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 4(घ)(2)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा 5(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा 5(छ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा 5(ज)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
5	पैरा 5(झ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	पैरा 5(ट)(i)	आंशिक निर्णीत	₹31577 की आय को जमा न करना।	₹31577 अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/15 के दौरान जमा कर दिए गए हैं। दण्ड ब्याज की वसूली शेष है)
7	पैरा 5(ट)(iii)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
8	पैरा 6(iii)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
9	पैरा 7(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
10	पैरा 7(ग)	निर्णीत	रद्द की गई रसीदों को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित न करवाना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

11	पैरा 9	अनिर्णीत	किरायेदारों से ₹186252 विलम्ब शुल्क वसूल न करना।	
12	पैरा 11	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
13	पैरा 13	निर्णीत	प्रत्यार्पणीय प्रतिभूति प्राप्त न किये जाने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा 15	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
15	पैरा 16	निर्णीत	दुकानों का किराया न बढ़ाने से लगभग ₹54890 की हानि	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	पैरा 22	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
17	पैरा 24	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
18	पैरा 26	अनिर्णीत	₹20200 फर्नीचर खरीद पर अनुचित/अनियमित भुगतान।	
19	पैरा 27 (क)	निर्णीत	सफाई अनुबन्ध से सम्बन्धित औपचारिकता की त्रुटियाँ	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा 27 (ख)	निर्णीत	₹237888 आयकर की राशि जमा न करवाने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
21	पैरा 28	निर्णीत	संविदाकार से ₹324000 की आयकर कटौती न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
22	पैरा 29	निर्णीत	संदिग्ध भुगतान	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
23	पैरा 30	अनिर्णीत	₹45800 का अनुचित भुगतान।	
24	पैरा 31	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
25	पैरा 32	निर्णीत	दूरभाष बिलों का देय तिथि से पूर्व भुगतान न किये जाने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
26	पैरा 33	निर्णीत	भुगतान के विरूद्ध पावतियाँ प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
27	पैरा 34 (क)	निर्णीत	कार्य की गुणवत्ता के सत्यापन किये बिना भुगतान किये जाने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
28	पैरा 34 (ख)	निर्णीत	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही भुगतान किये जाने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
29	पैरा 35	निर्णीत	बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किये विज्ञापन पर ₹94531 का अनियमित व्यय।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।

30	पैरा 37	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
31	पैरा 38(1)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने के फलस्वरूप ठेकेदारों को ₹62000 की पैनल्टी वसूल न करना।	
32	पैरा 38(2)	अनिर्णीत	₹39175 का अनुचित भुगतान।	
33	पैरा 38(3)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य में मद विनिर्देश को परिवर्तित करने के कारण ₹1375 की हानि।	
34	पैरा 38(4)	अनिर्णीत	ठेकेदार को ₹1000 का अधिक भुगतान।	
35	पैरा 38(5)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को ₹746 का अधिक भुगतान	
36	पैरा 38(6)	निर्णीत	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों से नियमानुसार आवश्यक कटौतियाँ न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
37	पैरा 38(7)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के भुगतान में से आयकर व बिक्री कर की कटौतियों को समय पर जमा न करवाना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
38	पैरा 38(9)	निर्णीत	दर विश्लेषण व विभागीय औचित्य तैयार किये बिना ही 35109 की अतिरिक्त मदों का भुगतान करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
39	पैरा 38(10)	निर्णीत	रेत की क्रय खपत तथा शेष से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
40	पैरा 38(14)(ख)	निर्णीत	ठेकेदार को ₹880 का अधिक भुगतान।	
41	पैरा 38(15)	निर्णीत	इन्सटालेशन ऑफ 5 नम्बर हैण्ड पम्पस पद डिफरैन्ट वार्डस ऑफ एम सी बद्दी।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
42	पैरा 38(16)(ख)	निर्णीत	निर्माण कार्य विचलन को अनुमोदित न करवाना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
43	पैरा 38(17)(क)	निर्णीत	निर्माण कार्य आबन्टन दर की अनियमितता।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
44	पैरा 38(17)(ख)	निर्णीत	निर्माण कार्य विचलन को अनुमोदित न करवाना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
45	पैरा 38(17)(च)	निर्णीत	समाचार पत्रों में विज्ञापन की प्रति उपलब्ध न करवाना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
46	पैरा 38(17)(छ)	निर्णीत	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
47	पैरा 38(18)(क)	निर्णीत	भुगतान का सत्यापन वांछित।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

48	पैरा 38(19)	निर्णीत	निर्माण कार्यों का विभागीय औचित्य तैयार न किये जाने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
49	पैरा 38(20)	निर्णीत	निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खपत विवरणिका तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
50	पैरा 38(21)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के भुगतान में से श्रम उपकर की कटौती न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
51	पैरा 38(22)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के भुगतान में से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
52	पैरा 38(23)	निर्णीत	नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
53	पैरा 39(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
54	पैरा 39(ग)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
55	पैरा 41(ख)	निर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुबन्ध पर कर्मचारियों की नियुक्ति	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
56	पैरा 42(क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
57	पैरा 42(ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
58	पैरा 42(ग)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
59	पैरा 42(च)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
60	पैरा 43	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
61	पैरा 44	निर्णीत	इन्टरलॉकिंग टाइल्स की स्टॉक रजिस्टर में गलत प्रविष्टियाँ करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।

62	पैरा 45	निर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
63	पैरा 46	निर्णीत	वाहन लॉग बुक सम्बन्धी अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
64	पैरा 47	निर्णीत	वाहन खरीद सम्बन्धी अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
65	पैरा 48	निर्णीत	विविध अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
66	पैरा 49	निर्णीत	अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
67	पैरा 50	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 तक

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 5.2	अनिर्णीत	बैंक द्वारा सावधि जमा पर स्त्रोत पर काटी गई आयकर की ₹314011 का आयकर विभाग से रिफण्ड न लेने बारे।	
2	पैरा 5.3	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा 7.1	निर्णीत	पैन्शन एवं ग्रैच्युटि अंशदान की ₹16.52 लाख को सम्बन्धित निधि में कम जमा करना।	
4	पैरा 8	निर्णीत	पार्किंग फीस की ₹0.50 लाख की कम वसूली	
5	पैरा 14	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	पैरा 15	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
7	पैरा 19.1	अनिर्णीत	संविदाकारों से वसूली गई आयकर की राशि से ₹32139 का आयकर विभाग को अधिक भुगतान करना।	
8	पैरा 19.2	निर्णीत	संविदाकारों के बिलों से वसूल की गई आयकरए शिक्षा सैस, सेल टैक्स व लेबर सैस की ₹7.59 लाख का सम्बन्धित विभागों को भुगतान न करना।	
9	पैरा 19.3	निर्णीत	संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस की ₹0.79 लाख की वसूली न करना।	

10	पैरा 21.1	अनिर्णीत	मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतान एवं लाईसैंस फीस की कम वसूली।	
11	पैरा 21.2	आंशिक निर्णीत	लाईसैंस फीस की ₹0.13 लाख की कम वसूली।	(तालिका के क्रमांक 3 व 4 पर दर्ज ₹7756 (2716+5040) की वसूली कर ली गई है। क्रमांक 1 व 2 पर दर्ज ₹5690 की वसूली शेष है)
12	पैरा 23	अनिर्णीत	हि. प्र. आवास बोर्ड कॉलोनी फेस 3 में बद्दी साईं रोड से अमरावती अपार्टमैन्ट तक सड़क निर्माण करना।	
13	पैरा 24	अनिर्णीत	संविदाकारों को ₹62050 का अधिक भुगतान।	
14	पैरा 25	अनिर्णीत	संविदाकार को ₹61656 का अधिक भुगतान करना।	
15	पैरा 26	अनिर्णीत	संविदाकार को सफाई कार्य हेतु ₹42171 का अधिक भुगतान करना।	
16	पैरा 27	अनिर्णीत	सेल टैक्स/वैट की ₹48580 की कम वसूली करना।	
17	पैरा 29	अनिर्णीत	प्रोवाईडिंग ऑफ 16 मीटर हाई मास्क लाईट इन चाय पार्क फेस 3 बद्दी।	
18	पैरा 30.1	अनिर्णीत	₹8137 का अधिक भुगतान	
19	पैरा 31	निर्णीत	वाउचर संख्या 12 दिनांक 10.10.2014 के भुगतान की गई ₹49720 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना।	
20	पैरा 34.2	निर्णीत	रद्द की गई रसीदों को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित न करवाना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	पैरा 34.3	निर्णीत	रसीदें खाली छोड़ना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017 तक

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 4 (ड) 1	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
2	पैरा 4 (ड) 2	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
3	पैरा 9 (ख)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
4	पैरा 9 (ग)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।

5	पैरा 11	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
6	पैरा 19	अनिर्णीत	आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि को ₹21.95 लाख के भुगतान का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	
7	पैरा 20	निर्णीत	नगर परिषद् की देनदारियों के लिए संकलित अभिलेख तैयार न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
8	पैरा 23	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
9	पैरा 30	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
10	पैरा 32	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
11	पैरा 33	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
12	पैरा 34	निर्णीत	नियमों की अवहेलना करके ₹4.27 लाख के गबन अथवा परिषद् की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयत्न	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
13	पैरा 35	अनिर्णीत	बिजली शुल्क की ₹52.27 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना	
14	पैरा 36	अनिर्णीत	राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय से किराया ₹10.60 वसूली हेतु शेष	
15	पैरा 37	अनिर्णीत	राज्य दवा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा उपयोग की गई बिजली के लाखों रूपये की राशि की वसूली का न करना	
16	पैरा 38	निर्णीत	दुकानों को किरायेदारों द्वारा खाली/छोड़ने पर किराये की बकाया ₹3.12 लाख की वसूली न करने बारे	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राररूपित।
17	पैरा 39	निर्णीत	दुकान किराए पर न देने के कारण सम्भावित किराए की परिषद् हो रही निरन्तर हानि	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
18	पैरा 40	निर्णीत	परिषद् के रैन बसेरा की मुरम्मत के अभाव में किराए पर न देने से हो रही निरन्तर हानि	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
19	पैरा 42	अनिर्णीत	दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹2.12 लाख के सेवाकर की	

			वसूली करके सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करने बारे	
20	पैरा 43	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
21	पैरा 47	निर्णीत	प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय की ₹2.07 लाख प्रतिपूर्ती हेतु शेष	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
22	पैरा 49	निर्णीत	सफाई व्यवस्था के बिलों तथा मजदूरों की हाजिरियों को सत्यापन न किया जाना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
23	पैरा 50	अनिर्णीत	बिल की छायाप्रति पर ₹0.54 का संदिग्ध एवं अनुचित भुगतान	
24	पैरा 51	अनिर्णीत	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising And Visual Publication – DAVP) द्वारा पॉलिसी में प्रावधित 15 प्रतिशत की छूट का समाचार पत्रों से दावा न किए जाने के कारण टैंडर व अन्य प्रकाशनों पर ₹0.34 लाख का अधिक भुगतान	
25	पैरा 53	निर्णीत	बिना टैंडर आमन्त्रित किए ₹5.08 लाख का अनियमित व्यय	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
26	पैरा 54	अनिर्णीत	वर्तमान दरों से लगभग रु1.90 लाख के मूल्य के 4491.8 किलोग्राम सरिये का दुर्विनियोजन	
27	पैरा 55	निर्णीत	स्टॉक प्रविष्टियों को बिलों के ऊपर सन्दर्भित न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
28	पैरा 56	अनिर्णीत	सुरक्षा दीवार निर्माण में शटरिंग व कंक्रीट की अधिक व गलत गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹4. 38 लाख का अनुचित लाभ	
29	पैरा 57	अनिर्णीत	सुरक्षा दीवार निर्माण में दोतरफा शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0. 71 लाख का अनुचित लाभ	
30	पैरा 58	अनिर्णीत	नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0. 39 लाख का अनुचित लाभ	
31	पैरा 59	अनिर्णीत	नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0. 60 लाख का अनुचित लाभ	

32	पैरा 60	अनिर्णीत	नाले के तटीकरण (Channelisation) कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.31 लाख का अनुचित लाभ	
33	पैरा 61	अनिर्णीत	यू आकार की नालियों के निर्माण कार्य में शटरिंग की गलत/दोहरी गणना करके ठेकेदार को दिया गया ₹0.21 लाख का अनुचित लाभ	
34	पैरा 62	अनिर्णीत	नाले के तटीकरण कार्य में कंक्रीट की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.43 लाख का अधिक भुगतान	
35	पैरा 63	अनिर्णीत	नाले के तटीकरण व पार्किंग हेतु स्लैब निर्माण में सरिये की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान	
36	पैरा 65	अनिर्णीत	संविदाकार को सड़क निर्माण कार्य में ₹1,76,868/– के भुगतान बारे अभिलेख/वस्तुस्थिति स्पष्ट न करना	
37	पैरा 66	निर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान मे की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
38	पैरा 67	निर्णीत	निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
39	पैरा 68	निर्णीत	निष्पादित निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में "निर्माण सामग्री उपभोग विवरणी (Material Consumption Statement) तैयार न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
40	पैरा 69	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
41	पैरा 70	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
42	पैरा 71	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
43	पैरा 72	निर्णीत	वाउचर नम्बरों का गलत तरीके से लगाया जाना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(6) अंकेक्षण अवधि 04/17 से 3/2019

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 4 (ख) (i)	निर्णीत	विभिन्न करों के सम्बन्धित विभागों की प्रेषित भुगतान की वास्तविक रसीदें प्रस्तुत न करने बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा 4 (ख) (ii)	निर्णीत	दो वर्ष पश्चात भी ₹0.10 लाख बैंक खाते में जमा न होना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा 4 (ख) (iii)	निर्णीत	रोकड़ बही में माह के अन्त में सावधि जमा में निवेशित राशियों से सम्बन्धित विवरण न दर्शाना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा 4 (ख) (iv)	निर्णीत	सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
5	पैरा 5 (ख)	निर्णीत	प्राप्त अनुदान राशियों से ₹41.89 लाख का अधिक व्यय करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा 5 (ग)	निर्णीत	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा 5 (घ)	निर्णीत	अनुदान रजिस्टर/सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	पैरा 5 (ड)	निर्णीत	सम्बन्धित संस्था से 686.33 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
9	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	सावधि निवेश पर ₹4.37 लाख का कम ब्याज प्राप्त किया जाना।	
10	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज ₹7. 21 लाख को रोकड़ बही में लेखांकन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
11	पैरा 11 (ग)	निर्णीत	दुकानदारों से दुकानें खाली करने के उपरान्त भी किराये की बकाया ₹5.31 लाख की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	पैरा 11 (घ)	निर्णीत	वर्ष 2018–19 के दौरान किराये पर आबन्टित दुकानों का किराया ₹3.78 लाख वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा 11 (ड)	निर्णीत	परिषद् द्वारा 22 खाली दुकानों को किराये पर आबन्टित न करने के कारण वित्तीय हानि।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
14	पैरा 11 (छ)	निर्णीत	दुकानों के किराया निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
15	पैरा 12 (क)	अनिर्णीत	नक्शा पारित आवेदन शुल्क ₹0. 51 लाख की वसूली न करना।	
16	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत	निरीक्षण शुल्क व प्रतिभूति के रूप में ₹0.13 लाख की वसूली न करना।	
17	पैरा 12 (ग)	निर्णीत	अंकेक्षण को सूचना/अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
18	पैरा 12 (घ)	अनिर्णीत	भवन नक्शा पारित शुल्क ₹0.03 लाख की कम वसूली करना।	

19	पैरा 12 (ख)	निर्णीत	भवन नक्शे पारित फीस के वापिसी भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा 13	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
21	पैरा 15	निर्णीत	शराब उपकर से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
22	पैरा 16	निर्णीत	बिजली उपकर।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
23	पैरा 19 (i, ii,iii, iv)	निर्णीत	तहबाजारी को ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
24	पैरा 21	निर्णीत	विज्ञापन शुल्क की वर्ष 2017–18 में आय प्राप्त न होने के कारण वित्तीय हानि।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
25	पैरा 23 (i, ii, iii) तथा (iv)	अनिर्णीत	विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारों को ₹2.22 करोड़ की अग्रिम राशि का अनियमित भुगतान करना।	
26	पैरा 24 (i, ii) तथा (iii)	अनिर्णीत	सफाई कार्य पर वर्ष 217–18 तथा 2018–19 में ₹187.18 लाख का अनियमित व अनाधिकृत व्यय।	
27	पैरा 25	अनिर्णीत	सब्जी मण्डी की सफाई के लिये अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती पर ₹1.39 लाख का संदिग्ध व्यय करना।	
28	पैरा 26 (i, ii) तथा (iii)	अनिर्णीत	नियमानुसार विहित औपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना ₹4. 04 लाख का व्यय करना।	
29	पैरा 27 (i, ii) तथा (iii)	अनिर्णीत	LED TV के क्रय में पाई गई अनियमितताएँ।	
30	पैरा 28 (i, ii) तथा (iii)	अनिर्णीत	AC, Revolving Chair, Ceiling Fan इत्यादि के क्रय में पाई गई अनियमितताएँ।	
31	पैरा 29	अनिर्णीत	सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक व्यय व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने के प्रयोजन से निर्माण कार्यों को तीन लाख व पांच लाख से कम भागों में बांटने सम्बन्धी अनियमितता।	
32	पैरा 30 (i, ii,iii, iv, v, vi, vii) तथा (viii)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
33	पैरा 31 (क)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.

				ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
34	पैरा 31 (च)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
35	पैरा 31 (झ)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल. ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
36	पैरा 33	अनिर्णीत	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण उनके वेतन व भत्तों पर अनियमित व्यय करना।	
37	पैरा 36 (क तथा ख)	निर्णीत	नगर परिषद् के कर्मचारियों के सन्दर्भ में खोले गये/गिरवी रखे गये सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी पैन्शन योजना के खातों में जमा राशि का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
38	पैरा 37	निर्णीत	नगर परिषद् की देनदारियों के लिये संकलित अभिलेख तैयार न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
39	पैरा 38	अनिर्णीत	पैन्शन निधि में नियोक्ता अंशदान ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना।	
40	पैरा 39	निर्णीत	Dead Stock रजिस्टर का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
41	पैरा 40 (i, ii) तथा (iii)	निर्णीत	विश्राम गृह पंजिका के रख रखाव में पाई गई अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
42	पैरा 41	निर्णीत	प्रतिभूति राशि का वापिसी भुगतान मूल रसीद प्राप्त किये व सिक्योरिटी रजिस्टर में दर्ज किये करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
43	पैरा 42 (i, ii, iii)	अनिर्णीत	वाहन लॉग बुक के रख रखाव में पाई गई अनियमितताएँ।	
44	पैरा 43	अनिर्णीत	वाहनों के मुरम्मत रजिस्टर का रख रखाव न करना।	
45	पैरा 44	निर्णीत	आय से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
46	पैरा 45 (क)(i, ii)	निर्णीत	स्ट्रीट लाइट स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव में पाई गई अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
47	पैरा 45 (ख)	अनिर्णीत	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना।	
48	पैरा 46	निर्णीत	नियमानुसार संस्थापना व्यय जाँच रजिस्टर का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
49	पैरा 47 (i, ii, iii, iv,v,vi) तथा (vii)	निर्णीत	अभिलेख/सूचनाएँ अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(7) अंकेक्षण अवधि 04/2019 से 3/2021

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	पैरा का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	पैरा 1 व 2	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं है।
2	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क।	रसीद संख्या 0710735 दिनांक 21.08. 2023 द्वारा भुगतान की पुष्टि कर ली गई।
3	पैरा 4 (क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा 4 (ख) (i, ii, iii)	निर्णीत	बैंक समाधान विवरण/रोकड़ बही रख रखाव में पाई गई अनियमितताएँ।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
5	पैरा 5 (i)	निर्णीत	अनुदानों की ₹685.63 लाख की राशि उपयोग हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	पैरा 5 (ii)	निर्णीत	प्राप्त अनुदान राशियों से ₹0.55 लाख का अधिक व्यय करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
7	पैरा 5 (iii)	निर्णीत	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
8	पैरा 5 (iv)	निर्णीत	अनुदान पंजिका सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
9	पैरा 6 (i)	निर्णीत	निवेश का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
10	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत	सावधि निवेश पर ₹1.21 लाख का कम ब्याज प्राप्त किया जाना।	
11	पैरा 6 (iii)	निर्णीत	सावधि जमा पंजिका अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
12	पैरा 6 (iv)	निर्णीत	उचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा 7	निर्णीत	स्टाफ अग्रिम की ₹1.02 लाख समायोजन हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
14	पैरा 8 (i)	निर्णीत	पैन्शन एवं ग्रैच्युटि निधि की वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
15	पैरा 8 (ii)	निर्णीत	सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
16	पैरा 9 (क)	निर्णीत	सम्पत्ति कर बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
17	पैरा 9 (ख)	निर्णीत	सम्पत्ति कर का नियमानुसार अधिरोपण न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
18	पैरा 10	निर्णीत	रख–रखाव प्रभार ₹56.25 लाख वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
19	पैरा 11 (क)	निर्णीत	दुकान किराया ₹33.02 लाख वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
20	पैरा 11 (ख)	निर्णीत	कुछ दुकानदारों से एक लाख से अधिक किराया वसूली हेतु शेष।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
21	पैरा 11 (ग)	निर्णीत	दुकानदारों से दुकानें खाली करने के उपरान्त भी किराये की बकाया ₹9.05 लाख वसूली करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	पैरा 11 (घ)	निर्णीत	अभिलेख का उचित रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

23	पैरा 11 (ङ)	निर्णीत	किराऐ की वार्षिक माँग कम होना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
24	पैरा 11 (च)	अनिर्णीत	किराया विलम्ब से जमा करवाने पर पैनल्टी की वसूली न करना।	
25	पैरा 11 (छ)	निर्णीत	परिषद् द्वारा 22 खाली दुकानों को किराये पर आबन्टित न करने के कारण वित्तीय हानि।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
26	पैरा 11 (ज)	निर्णीत	दुकानों के किराये के साथ वस्तु एवं सेवा कर की वसूली न करना।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
27	पैरा 11 (झ)	निर्णीत	पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों का सम्बन्धित प्रभारी से सत्यापित न होना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
28	पैरा 12	निर्णीत	पार्किंग शुल्क।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
29	पैरा 13	निर्णीत	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
30	पैरा 14 (क) (i & ii)	निर्णीत	शराब उपकर।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
31	पैरा 14 (ख) (i & ii)	निर्णीत	बिजली उपकर।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
32	पैरा 15 (i से iii)	निर्णीत	तहबाजारी को ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
33	पैरा 16	निर्णीत	पालतू कुत्ता शुल्क की वसूली न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
34	पैरा 17	निर्णीत	सरकार को देय देनदारियों सम्बन्धी अभिलेख का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
35	पैरा 18 (i)	निर्णीत	आय की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
36	पैरा 18 (ii)	निर्णीत	पंजिकाऐं प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
37	पैरा 18 (iii)	निर्णीत	विज्ञापन शुल्क।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
38	पैरा 18 (iv)	निर्णीत	नगर परिषद् की सम्पत्तियों के उपयोग/प्राप्त आय के बारे में स्थिति स्पष्ट न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
39	पैरा 19 (i)	अनिर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री जयदेव चपरासी को ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान।	
40	पैरा 19 (ii)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
41	पैरा 19 (iii)	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्याः फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
42	पैरा 19 (iv)	निर्णीत	सेवा पंजिकाओं के रख रखाव सम्बन्धी अनियमितताएं।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

43	पैरा 19 (v)	निर्णीत	रिहायशी सुविधा के आबन्टन के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	पैरा 19 (vi)	निर्णीत	नियमानुसार संस्थापना व्यय रजिस्टर का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
45	पैरा 19 (vii)	अनिर्णीत	कर्मचारियों की सेवाएँ लिये जाने के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत न करना।	
46	पैरा 20	निर्णीत	क्रय औपारिकताएँ पूर्ण किये बिना ₹1.74 लाख का भुगतान करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
47	पैरा 21	अनिर्णीत	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विभिन्न कर्मचारियों की सेवाएँ आउटसोर्स करना तथा ₹15.32 लाख का भुगतान करना।	
48	पैरा 22	अनिर्णीत	परिषद् निधि से ₹0.25 लाख का अनियमित भुगतान करना।	
49	पैरा 23 (i) व (ii)	निर्णीत	निदेशालय शहरी विकास द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिषद् कोष से किये गये व्यय ₹0.04 लाख की प्रतिपूर्ती न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
50	पैरा 24	निर्णीत	नगर परिषद् कोष में से ₹7.58 लाख का भुगतान आवश्यक सत्यापन के बिना किया जाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
51	पैरा 25	निर्णीत	₹0.24 लाख के अनियमित भुगतान बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
52	पैरा 26	निर्णीत	भुगतानों की वास्तविक पावतियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
53	पैरा 27	निर्णीत	वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ती से सम्बन्धित कार्यों के आबन्टन सम्बन्धी अनियमितताएँ।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
54	पैरा 28	निर्णीत		निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या: फिन(एल.ए.) एच(2)सी(15)(5)118/24 खण्ड–1–733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।
55	पैरा 29	निर्णीत	स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय से पूर्व आवश्यक छानबीन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
56	पैरा 30	निर्णीत	क्रय की गई वस्तुओं के क्रय का उद्देश्य एवं निस्तारण के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा कृत अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
57	पैरा 31	अनिर्णीत	वाहन क्रय के सन्दर्भ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत न करना	
58	पैरा 32	अनिर्णीत	890.99 लाख के हस्तांतरण बारे।	
59	पैरा 33	अनिर्णीत	निर्देशानुसार रॉयल्टी कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना।	

60	पैरा 34	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों के अबन्टित मदों की अपेक्षा कम मदों के निष्पादन करने एवं मदो पर हुये अधिक/कम व्यय बारे स्थिति स्पष्ट न करना।	
61	पैरा 35	निर्णीत	जल प्रभार की वसूली न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
62	पैरा 36	अनिर्णीत	संविदाकार को ₹0.46 लाख का अधिक भुगतान करना।	
63	पैरा 37 (i)	अनिर्णीत	ई पी एफ शीर्ष के अन्तर्गत ₹1.49 लाख की कटौती न करना।	
64	पैरा 37 (ii)	अनिर्णीत	जी एस टी से सम्बन्धित राशि ₹352 की कम कटौती करना।	
65	पैरा 37 (iii)	अनिर्णीत	अनुबन्ध में विहित शर्तों के अनुसार प्रतिभूति राशि की कटौती न करना।	
66	पैरा 38	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों का समापन विलम्ब से होने पर भी शर्तानुसार ₹5.98 लाख जुर्माने की वसूली न करना।	
67	पैरा 39	अनिर्णीत	संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना।	
68	पैरा 40	अनिर्णीत	संविदाकारों को ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान करना।	
69	पैरा 41	अनिर्णीत	वीप होल्स हेतु कटौती किये बिना ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना।	
70	पैरा 42	अनिर्णीत	निर्माण कार्य के आबन्टन की तिथि से पूर्व ही कार्य को पूर्ण दर्शाना।	
71	पैरा 43	निर्णीत	निर्माण कार्यों का आबन्टन ई टैन्डरिंग द्वारा न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
72	पैरा 44	अनिर्णीत	राशि को विभाजित करके निर्माण कार्यों का आबन्टन करना।	
73	पैरा 45	निर्णीत	प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय तकनीकी प्राधिकारी के आवश्यक सत्यापन के बिना करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
74	पैरा 46	अनिर्णीत	औचित्यपूर्ण राशि से अधिक पर निर्माण कार्य का आबन्टन करना।	
75	पैरा 47	अनिर्णीत	C/o U shape drain in HBC phase III part-1 ward No. 9	
76	पैरा 48	अनिर्णीत	Raising the level and construction of road from Amravati towards phase-3 chowk R/D 0/0 to 0/180 mtrs.	
77	पैरा 49	अनिर्णीत	P/F of 80mm thick interlocking paver block near the h/o Hukam Singh to Ram Nath in ward no. 6	

78	पैरा 50 (i)	निर्णीत	पर्याप्त प्रतिसाद के अभाव में निर्माण कार्यों का अबन्टन करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
79	पैरा 50 (ii)	निर्णीत	टैंडर ओपनिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या अपेक्षित से कम होने पर भी निर्माण कार्यों का आबन्टन करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
80	पैरा 50 (iii)	निर्णीत	मदों के दर विश्लेषण सम्बन्धि दस्तावेज प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
81	पैरा 50 (iv)	निर्णीत	निर्माण कार्यों के समापन हेतु निर्धारित समय अवधि बारे सूचना उपलब्ध न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
82	पैरा 50 (v)	निर्णीत	Justification of Rates तैयार न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
83	पैरा 50 (vi)	निर्णीत	संविदाकारों द्वारा प्रयोग किये गये सीमेन्ट के बिल प्राप्त न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
84	पैरा 51	अनिर्णीत	अभिलेख / जानकारी / स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना।	
85	पैरा 52 (i से vi)	अनिर्णीत	विस्तृत बिल– Channelization of Nallah in proposed Herbal Park Suraj Majra Labana W. No. 3 by laying of RCC Hume Pipes RD 0/180 to 0/270.	
86	पैरा 53 (i से v)	अनिर्णीत	विस्तृत बिल– P/F 80 mm ISI mark tiles on internal road of HBC colony Phase-I & II 21 to 26, 432 to 435, 416 to 423, 397 to 407 etc.	
87	पैरा 54 (i & ii)	अनिर्णीत	वाहनों की लॉग बुक।	
88	पैरा 55 (i)	निर्णीत	स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाए जाने बारे।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रास्तपित।
89	पैरा 55 (ii)	निर्णीत	क्रय की गई स्टोर / स्टॉक सम्बन्धी विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित पंजिकाओं में न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

90	पैरा 55 (iii)	निर्णीत	स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियों का सत्यापन न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
91	पैरा 55 (iv)	निर्णीत	इनवैन्टरी रजिस्टर का रख रखाव न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
92	पैरा 55 (v)	निर्णीत	अचल सम्पति पंजिका प्रस्तुत न करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
93	पैरा 55 (vi)	निर्णीत	सीमेन्ट एवं स्टील क्रय/प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
94	पैरा 56 व 57	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2021 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	446
4/21 से 3/24 के दौरान लगाए गए पैरे/उप पैरे (+)	84
कुल योग	**530**
माह जनवरी 2024 में पैरा निस्तारण हेतु आयोजित विशेष अभियान में निदेशक, हि॰ प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के कार्यालय पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(V)118/24 Vol.-1-733 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्णीत।	104
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे/उप पैरे (–)	224
कुल निर्णीत पैरे/उप पैरे (–)	**328**
शेष	**202**

Yearwise detail of the previous settled/unsettled Audit Paras and sub paras in r/o Nagar Parishad Baddi, Distt Solan, HP

Sr	Audit Period	Total paras unsettled as on 01-04-2021	Number of paras settled during Special Drive	Number of paras settled during current Audit	Number of paras still unsettled as on 31-03-2024
1	04/1999 to 03/2005	101	36	45	20
2	04/2005 to 03/2008	73	23	32	18
3	04/2008 to 03/2012	67	22	36	9
4	04/2012 to 03/2015	21	3	7	11
5	04/2015 to 03/2017	43	13	13	17
6	04/2017 to 03/2019	49	4	29	16
7	04/2019 to 03/2021	92	3	62	27
	Total	**446**	**104**	**224**	**118**